राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ३०वां दिवस [संख्या २१

बृहस्पतिवार, दिनांक २४ मार्च, १९६०

———

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, श्रम, आबकारी, मुद्रण, सिंचाई, भाखरा प्रॉजेक्ट, कृषि, स्वायत्त शासन, विधि एवं न्याय, स्वास्थ्य, सहकारी, यातायात एवं आयुर्वेद-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

(विराम)

प्रश्न संख्या ६२०

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान दूकान व वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये मामले

६२१. श्री **भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) अजमेर डिविजन में राजस्थान दूकान व वाणिज्य संस्थान कानून के अन्तर्गत कितने कितने मामले, किस किस महीने में पकड़े गये ?

(२) इन मामलों के संबन्ध में अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कानून के अन्तर्गत जयपुर शहर में जो निरीक्षक रखे हैं जो शहर के व्यापारिक बाहुल्यता की दृष्टि से बहुत कम हैं और इस ही कारण इस कानून के अन्तर्गत बहुत कम मामले पकड़े गये ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर के दूकान तथा वाणिज्य की बाहुल्यता की दृष्टि से निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) अब तक कानून के अन्तर्गत मुकदमा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दायर नहीं हुआ।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(३) जी हां। जयपुर शहर में दूकानों की संख्या अधिक है।

(४) सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है और ध्यान दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : कितने इन्सपेक्टर्स यहां पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो जयपुर में कर रहे हैं। दो जयपुर में पोस्टेड हैं और बाहर से बुलाये गये हैं और उनमें कुछ इन्क्वीज़ करने की बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन दोनों इन्सपेक्टर्स को समान अधिकार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक तो क्लास एक का है और दूसरा दो का है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जयपुर शहर में आपका कानून है उसके विपरीत कानून भंग करके शोप एसिस्टेन्ट्स से काम लिया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी जानकारी नहीं है। ऐसा है कि हमने हमारे यहां रजिस्ट्रेशन की तारीख ३०–११–५६ रखी। बहुत से लोगों ने लाइसेन्स ले लिए और बाकी दूसरों को अभी लाइसेन्स जारी किये जा रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : जिन लोगों ने लाइसेन्स ले लिया है वे रूल्स के अनुसार १२ घंटों से ज्यादा काम नहीं ले सकते, मगर फिर भी वे उनसे १४ घंटे काम लेते हैं

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसके लिए व्यापारी संघ के लोगों ने व्यापारियों के इस व्यवहार के लिये शिकायत सरकार के सामने की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से प्रश्न है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह बात सही है कि व्यापारी संघ ने इसके लिए रिप्रेज़ेन्टेशन भेजे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर दिया तो उसकी डिपार्टमेंट में जांच होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी देनी है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी लेना है तो पूछ लीजिये।

(विराम)

नेक्स्ट। श्री 'कालाबादल'।

झालावाड़ जिले में ठेकेदारों द्वारा सरकारी रेट से अधिक में शराब की बिक्री

६२२. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : क्या मंत्री, आबकारी तथा कर विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) झालावाड़ जिले के पाटन और

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

झालावाड़ कस्बों में सन् १९५६, ५७, ५८ में शराब की कितनी दूकानें खोली गई थीं तथा किस किस ठेकेदार को कितने कितने रुपयों में ठेका दिया गया था ?

(२) उपरोक्त दूकानों पर शराब किस रेट पर बेची जाती रही है और इन तीन वर्षों में हर दुकान पर कितनी कितनी शराब बेची गई ?

(३) हर ठेकेदार को प्रति वर्ष कितना लाभ रहा ?

(४) इन दूकानों का निरीक्षण किस अधिकारी ने किया था ?

(५) क्या यह सही है कि ठेकेदारों के द्वारा सरकारी रेट से अधिक में शराब बेची जाती है ?

आबकारी तथा कर मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) से (३)–झालावाड़ जिले में ५५–५६, ५६–५७,५७–५८ वित्तीय वर्षों में कोई नई दूकान नहीं खोली गई । जो दूकानें इससे पूर्व चालू थीं वही इन वर्षों में चालू रहीं । ठेकेदारों के नाम की सूची ठेकों की रकम,शराब की बिक्री, दर व ठेकेदारों को हुए लाभ की सूचियां (क) और (ख) सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(४) सर्किल इन्सपेक्टर और असिस्टेन्ट कमिश्नर ने निरीक्षण किया ।

(५) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने सन् ५८-५९ का नहीं बताया । आपने दो साल का ही बताया है, तीसरे साल का बतावें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितना पूछा उतना बताया है ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने दो सालों का ही बताया है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने, ५५–५६ ५६–५७ और ५७–५८ का पूछा, वह बताया है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : नई दूकानें नहीं खोलने के लिये....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री भैरोंसिंह ।

चुरू के एस. डी. एम. के विरूद्ध हुई शिकायत में कार्यवाही

६२३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रतनगढ़ तथा चुरू पुलिस में स्थानीय एस. डी. एम. श्री राधावल्लभ चौधरी के विरुद्ध सुश्री कुंकुम नामक महिला द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने की शिकायत पेश की गई थी ?

(२) यदि हां, तो यह शिकायत कब पेश की गई ?

(३) इस शिकायत पर किस किस अधिकारी ने तफ़तीश की तथा किन किन के बयान लिये ?

(श्री भैरोंसिंह)

(४) क्या यह सही है कि पुलिस की तफ़तीश से यह मामला सत्य पाया गया, परन्तु इसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? सुश्री कुंकुमपोली अब कहां है और वह किस प्रकार से एस. डी. एम. के पास पहुँची ?

(५) क्या यह सही है कि इस महिला के बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने भी हुए हैं ? यदि हां, तो कब और किस मजिस्ट्रेट के सामने ?

(६) पुलिस व मजिस्ट्रेट के सामने हुए महिला के बयानों में यदि अन्तर है, तो कृपया उन दोनों बयानों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(७) क्या इस सम्बन्ध में कोई डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी भी की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उसका क्या नतीज़ा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं, परन्तु मुकदमा नं० १५, दिनांक ३०–३–५६ धारा ३४४, ३६६, ३६८, ३७१, ३७६, भा० दं० सं० थाना सुजानगढ़ के अनुसन्धान के समय में उसने पुलिस के समक्ष कहा था कि श्री राधावल्लभ, एस. डी. एम. रतनगढ़ ने भी उसके साथ बलात्कार किया था।

(२) यह आरोप उसने अवैध बन्धन से मुक्त होने के एक दम बाद ही दि० २८–३–५६ को लगाया था।

(३) सर्व श्री हीरालाल सब इन्सपेक्टर, चांदसिंह सब इन्सपेक्टर, गुलाबसिंह हैड का० एवं देवीसिंह सी. आई. ने इसका अनुसन्धान किया और उनके द्वारा १७ व्यक्तियों के बयान लिये गये।

(४) किसी ने भी इस मुकदमे में एस. डी. एम., रतनगढ़ की कथित साजिश के लिये अभियोगी की मदद नहीं की। वह भी एस. डी. एम., चुरू के समक्ष धारा १६४ जा० फौ० के तहत बयान देते समय बदल गई और इसलिये एस.- डी. एम का चालान नहीं किया गया, दूसरे अभियुक्तों का चालान २१–११–५६ को कर दिया। मामला सबजुडिस हैं।

(४) (क) वह अब श्री लालसिंह के साथ रह रही है, जिनकी जमानत पर उसे छोड़ा गया था। उसके कथनानुसार उसे बर्त्तन साफ करने के लिये सवाईसिंह चपरासी एस० डी० एम० के पास ले गया था।

(५) जी हां, धारा १६४ भा० दं० वि० के तहत उसका बयान श्री पी० एस० सक्सेना, तत्कालीन एस० डी० एम०, चुरू द्वारा दि० ५-४-५६ को लिया गया था।

(६) जी हां। सुश्री कुंकुम पोली ने पुलिस के सामने बयानों में कहा कि उसके साथ रतनगढ़ के एस० डी० एम० ने बलात्कार किया किन्तु एस० डी० एम०, चुरू के सामने उसने बयानों में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं कराई।

(७) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : एस० डी० एम०, चुरू के सामने बयान कराने की आवश्यकता क्यों हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मुझे पता नहीं क्यों बयान हुए।

श्री भैरोंसिंह : क्यों हुए, वह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय सुश्री कुंकुम पोली के बयान हुए उस समय पुलिस एस० पी० भी मौजूद थे, उनके सामने हुए।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि धारा १६१ में बयान हुए उसमें उसने यह बात कही।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसके बयान पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट के सामने हुए थे?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि धारा १६१ में जो बयान उसने दिये उसमें कहा कि मेरे साथ जिनाबिल जब्र किया गया।

श्री भैरोंसिंह : बयान हुए उस समय एस० पी० मौजूद थे क्या?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय धारा १६१ में पुलिस के सामने बयान हुए तो उसके तुरन्त बाद ही पुलिस ने १६४ में क्यों नहीं बयान कलमबन्द कराना आवश्यक समझा?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मार्च के बाद की बात है।

श्री भैरोंसिंह : एस० डी० एम० के खिलाफ जब उस महिला ने आरोप लगाये तो मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने तुरन्त बयान क्यों नहीं कमल बन्द कराये?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने हुए तो उसने 'ना' कर दिया। १७ विटनेसेज़ एग्ज़ामिन हुए उसमें से एक ने भी उसके फेवर में बयान नहीं दिये।

श्री भैरोंसिंह : तफतीश के दौरान में महिला ने बलात्कार की रिपोर्ट एस० डी० एम० के खिलाफ की तो पुलिस को तुरन्त ही केस रजिस्टर करना चाहिये था और उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराये जाने चाहिये थे, सो क्यों नहीं कराये गये?

श्री रामकिशोर व्यास : एवीडेन्स ही नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : खुद कह रही हो।

श्री रामकिशोर व्यास : खुद का स्टेटमेंट काफी नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : जिस मुकदमे में बलात्कार की शिकायत की हो तो पुलिस ने फिर क्या किया? पुलिस ने सबसे पहले क्या कार्यवाही की?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टिगेशन किया?

श्री भैरोंसिंह : क्या अलग से मुकदमा दायर करके किया?

श्री रामकिशोर व्यास : चालान भी हो गया।

श्री भैरोंसिंह : ओरिजिनल केस में चालान हुआ है। एस० डी० एम० के खिलाफ बलात्कार के सम्बन्ध में रिपोर्ट की उसमें पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : एविडेन्स ही नहीं है। १७ शहादतें पेश हुईं, उनमें से एक भी उसके फेवर में नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन बिल्कुल पर्टीनेन्ट है। धारा १६१ में बयान देते हुए महिला ने बताया कि उसके साथ एस० डी० एम० ने बलात्कार किया है, तो उसके तुरन्त बाद ही पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक ही ट्रान्ज़ेक्शन है। इसके प्रीवियस बैकग्राउन्ड हैं, वे यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं। आपके सवाल का जबाब दे दिया मैंने। सिवाय उसके दूसरे एविडेन्सेज़ नहीं हैं, इसलिए कार्यवाही नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि उस महिला ने यह रिपोर्ट की कि उसके साथ एस० डी० एम० ने बलात्कार किया तो उस सूरत में जब उसकी रिपोर्ट है तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : बलात्कार की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। स्टेटमेन्ट था उसका, उसमें एविडेन्स मिला नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जो केस एक क्रिमिनल ऑफेन्स का पुलिस के सामने रखा और पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसके लिए कोई केस रजिस्टर किया नहीं पुलिस ने और आप जिसको ओरिजिनल केस कहते हैं उसका चालान कर दिया....

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात को आप दस दफा फरमावें तो भी वही अर्ज करना है कि उसका खुद का स्टेटमेंट है। उसमें कोई एविडेन्स हुआ नहीं। कोर्ट में दूसरा स्टेटमेंट उसने दे दिया। उस केस में एक भी शहादत उसके फेवर में नहीं आयी। ऐसे तो कोई भी लांछन लगा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कोई भी कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स होने की हालत में पुलिस के सामने कोई रास्ता नहीं है कि वह केस रजिस्टर नहीं करे ? और केस रजिस्टर नहीं किया है तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले ही एविडेन्स लेनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट की, तो चालान किया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कह चुका हूं कि कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : उसका स्टेटमेंट हुआ है वह एविडेन्स की तरह है।

श्री रामकिशोर व्यास : जो इन्फॉर्मेशन चाही वह मैंने दे दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब किसी क्रिमिनल ऑफेन्स की कोई पहली

(श्री भैरोंसिंह)

इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस को पहले केस रजिस्टर करना पड़ता है और यदि यह ऑफेन्स किसी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के खिलाफ है तो उस पर बयान उसके कलम बन्द करने के लिए एवं चालान करने के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है ? अब रिपोर्ट आ गयी तो पुलिस को केस सबसे पहले रजिस्टर करना चाहिये था।

श्री रामकिशोर व्यास : मुकदमे की बहस फरमा रहे हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ? जो फैक्ट्स जानना चाहते थे वे मैंने बता दिये।

श्री भैरोंसिंह : यह कायदा बना हुआ है कि क्रिमिनल ऑफेन्स की रिपोर्ट मिलते ही यह पुलिस की ड्युटी है कि वह पहले केस रजिस्टर करे और करती है और उसके बाद शहादतें लेती है और यदि गवर्नमेंट सर्वेन्ट है तो उसके स्टेटमेंट रेकॉर्ड करके उसका प्रोसिक्युशन करने के लिए सरकार से इजाज़त ली जाती है ?

श्री अध्यक्ष : एविडेन्स भी लेते हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : They have got to register the case first.

श्री रामकिशोर व्यास : एक ट्रान्ज़ेक्शन है, चार आदमियों के नाम आते हैं। केस रजिस्टर होता है। एविडेन्स एक के खिलाफ भी नहीं आती है। फिर चालान किस प्रकार से किया जाय ? आप किसी से नाराज हैं, इसलिए क्या किसी पर नाराज होने से वैसे ही चालान कर दिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह नहीं चाहता कि कोई किसी से नाराज हो व नाराज होने से किसी का चालान कर दिया जाय। यहां नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि राजस्थान में आपकी लाडली पुलिस हुकूमत के नीचे एस० डी० एम० जैसे लोग एक महिला के साथ बलात्कार करें और आप उनको प्रोटेक्ट करें।

(व्यावधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर प्लीज़ !! प्रोटेक्शन का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल प्रोटेक्शन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय। प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : दावा क्यों नहीं किया ?

श्री भैरोंसिंह : दावा करने की बात नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसे ही चालान किसी का नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : एविडेन्स भी दी है।

श्री भैरोंसिंह : मिसाल के तौर पर मेरे यहां पर चोरी हो गई। एविडेन्स किससे मांगेंगे ? पहले ज्योंही सूचना मिलती है तो उसके लिए केस पुलिस को रजिस्टर करना चाहिये। उस लड़की को बाद में दबाया गया और बयान बदलवा दिये गये।

श्री अध्यक्ष : केस रजिस्टर्ड था ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं था।

Page No.8

श्री रामकिशोर व्यास : सर्टेन केस चालान था। कई व्यक्ति उसमें इन्वोल्व्ड थे। कइयों के नाम आये, उसका भी नाम है। एविडेन्स आये, चालान कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं जो कहता हूं वह सही है।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत है। इस लड़की को कोई राजपूत....

श्री अध्यक्ष : उसकी डिटेल्स में जाने की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ....

श्री अध्यक्ष : बहस में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो राजस्थान की पब्लिक के साथ अन्याय होगा। एस० डी० एम० द्वारा एक स्त्री के साथ बलात्कार हो और मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान बदलवा दिये जायं और पुलिस पहले केस रजिस्टर न करे और हमारे गृह मंत्रीजी उसको प्रोटेक्ट करें, उन लोगों को जो कि स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं....

श्री अध्यक्ष : प्राइवेट कम्पलेन्ट हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : प्राइवेट कम्पलेन्ट नहीं है, लेकिन यह तो सरकार द्वारा पुलिस को प्रोटेक्ट करने का है।

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि एविडेन्स ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उसकी खुद की एविडेन्स है और उस हालत में रिपोर्ट होते हुए भी पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : एविडेन्स और किस की हो सकती है सिवाय इस लड़की के ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस मामले को समझने की कोशिश करें।

श्री भैरोंसिंह : आप एस. डी. एम. को बचाने का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बचाना होता तो नाम ही नहीं लिखते, पुलिस के बयान में है....

(शोर-गुल)

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल बचा रहे हैं....

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत यह होती है कि फलां मुसम्मात जबर्दस्ती रखी हुई है। पुलिस खुद जाकर बरामद करती है। मुल्जिम थे उनके नाम रख दिये और एविडेन्स रेकॉर्ड हुए। शिकायत आती है, पुलिस चालान करती है, एक तरफ शहादतें नहीं होती हैं, फिर चालान किस प्रकार से कोर्ट में हो ?

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल असत्य है।

श्री अध्यक्ष : No more questions would be allowed.

श्री भैरोंसिंह : यह, अध्यक्ष महोदय,

Page No.9

(श्री भैरोंसिंह)

एक सीरियस मामला है। आखिर जावें कहां ? सदन में ही कहना पड़ता है। एस. डी. एम. को पुलिस प्रोटेक्शन है और इस प्रकार से प्रोटेक्शन होने के कारण कोई महिलाओं के साथ बलात्कार करे, कोई रोकने वाला नहीं। गृह मन्त्रीजी उनको खड़े होकर सदन में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि ऐसा हुआ और होता रहा तो राजस्थान में यही कहा जायगा कि राक्षसों का एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : एविडेन्स ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : किससे एविडेन्स ली ? महिला को कोर्ट में खड़ा कर दिया, यह क्या आप तमाशा करना चाहते हैं.......

श्री रामकिशोर व्यास : तमाशा तो आप करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने पुलिस का तमाशा करा रखा है। बलात्कार होते हैं राजस्थान में, पुलिस केस रजिस्टर करती नहीं और होम मिनिस्टर साहब बलात्कारियों को यहां खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं कि बेटा, करे जाओ।

मैं दो-तीन क्वेश्चन्स पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : काफी समय ले चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन्स बाकी हैं। आपके फैक्ट्स आ चुके हैं। आपका कहना यह है कि अमुक कार्य किया नहीं गया, अब बहस की जरूरत नहीं है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने फैक्ट्स जो थे वे रख दिये।

श्री भैरोंसिंह : जिस केस में चालान किया था तो क्या वह वही केस था जिसमें एस. डी. एम. के खिलाफ रिपोर्ट की गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिसमें रिकवरी हुई है उसमें स्टेटमेंट दिया है।

श्री भैरोंसिंह : जिस रेप में रिपोर्ट की थी उसमें चार आदमियों का चालान हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : जिस केस में उसकी रिकवरी हुई, जिसमें उसका स्टेटमेंट हुआ है, वह चालान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : सेपरेट केस रजिस्टर नहीं हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यही क्वेश्चन है कि क्यों नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें यही कहना चाहता हूं कि एक ट्रान्जेक्शन था, कई आदमी इसमें इन्वॉल्व्ड थे। जिनके सबूत आये उनका चालान पेश किया, नहीं आये नहीं किया।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Pertinent point was that when the lady made a complaint, why it was not registered ? That is the pertinent question. It is not the question whether the complaint was genuine or not, but it was required to be registered.

Page No.10

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि कम्प-लेन्ट कोई नहीं की गई, बयान के दौरान में यह बात आयी है।

श्री भैरोंसिंह : That amounts to the Complaint.

पर्टिक्युलरली इसमें ऐसा हुआ है कि कोई उड़ा कर उसको लाये थे। उसको बरामद करने के लिये चार आदमियों को भेजा गया। उसके बाद उसको एस० डी० एम० के सामने पेश किया गया। उन्होंने उसको चपरासी के सुपुर्द कर दिया और इस तरह से चपरासी की मार्फत उसका ट्रान्जेक्शन एस० डी० एम० को होता रहा। धारा १६१ के अन्तर्गत बयान हुए, वे सदन के सामने रख दें ताकि सदन के माननीय सदस्यों को पता चल जाय कि उसका स्टेटमेंट किस प्रकार का था।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा जान पड़ता है कि गृह मन्त्री महोदय ऐसा करके बलात्कारियों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इसके साथ साथ जो जवाब दिया जा रहा है वह एक प्रकार से सदन का अपमान है। ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा बलात्कार किये जाने पर भी उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसलिये मैं अपो-ज़ीशन के मेम्बरों से चाहूंगा कि इसके विरोध स्वरूप वे सदन की कार्यवाही में भाग न लें और वाक आउट करदें ताकि राज-स्थान में बलात्कार करने वाले अधिकारियों को जो प्रोटेक्शन दिया जाता है गृह मन्त्री की ओर से........

श्री रामकिशोर व्यास : यह वाकेआत बिल्कुल गलत है आपने जो इल्ज़ाम लगाया है उसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : आपने उसका केस रजिस्टर क्यों नहीं किया?

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस० डी० एम० ने जिस प्रकार से बलात्कार किया और वह केस रजिस्टर नहीं किया गया पुलिस की ओर से और उसको गृह मन्त्री महोदय प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हमारा यहां बैठना बेकार है, जहां इस प्रकार के बलात्कार के मामले हों और उनको प्रोटेक्शन गृह मन्त्री की ओर से दिया जाय। ऐसी हालत में मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा वे सदन से वाक आउट कर दें। मैं भी इन शब्दों के साथ सदन से वाक आउट करता हूँ।

(विरोधी पक्ष द्वारा बहिर्गमन)

प्रश्न संख्या ६२४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२५

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी

अलवर गेट पुलिस चौकी के सिपाहियों द्वारा लूणकरणसर-का-हट्टी के श्री छैंगा की पिटाई

६२६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will

Page No.11

(श्री पी० के० चौधरी)

the Home Minister be pleased to state:—

1. Is it correct that in the evening of 19. 10. 59 one Shri Chenga alias Chhaja son of Sukhram Koli of Lunkaran Ka Hatee, Ajmer, was taken to the Alwar Gate police chowki in connection with an enquiry conducted regarding the theft that took place in the house of one Shri Duli Chand on 17. 10. 59 ?

2. Is it correct that to obtain a confession from Shri Chenga, he was mercilessly beaten continuing for 7 hours from 8 P. M. to 3 A. M. on that night by Constables M/s. Shiv Kumar Bishambhar and Tara Chand? Is it correct that the beating continued up to 21. 10. 59 when the actual thief Shri Gangaram was arrested and stolen goods recovered from him ?

3. Is it correct that Shri Chenga was beaten so severely that he has not yet regained physical fitness ?

4. What action has been taken against the defaulting policemen for using physical violence ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : 1. Yes Sir.

2. On suspicion shri Chenga was interrogated along with others on 19, 20 and 21 st Oct, 1959, and after interrogation was allowed to go back every day. The allegations of beating are not true. Shri Gangaram was arrested and the entire property was recovered from him and his wife.

3. and

4. He was not beaten.

श्री पी० के० चौधरी : If he was not beaten, then how was it that he was admitted in the Railway Hospital and there he remained ill and in injured condition for one month?

श्री रामकिशोर व्यास : I cannot say about this. यह मैं कैसे कह सकता हूं कि किस बीमारी के लिये गये ?

श्री पी० के० चौधरी : आप कहते हैं पीटा नहीं, छोड़ दिया; तो फिर रेलवे अस्पताल किसलिये गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार उसको पीटा नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : मुझको सूचना मिली है कि पीटा गया था, उसको छोड़ा नहीं गया।

श्री रामकिशोर व्यास : आप इसके बारे में कहेंगे तो इन्क्वायरी करा सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : इस संबन्ध में आपके पास शिकायत की गई थी कि पीटा गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : पीटा है, तो इन्क्वायरी कराई जा सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : कम्पलेन्ट मैं करता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप लिख कर दें।

श्री पी० के चौधरी : इसमें लिख कर देने का सवाल नहीं।

श्री अध्यक्ष : पीटा है तो वह बाद में भी कम्पलेन्ट कर सकता था, उसको कर देना चाहिये थी। वर्बल कम्पलेन्ट किस आधार पर ली जा सकती है ?

श्री पी० के० चौधरी : If the Hon'ble Minister is prepared to have an enquiry into the matter I am prepared...

श्री अध्यक्ष : Yes, yes. He is certainly prepared to have an enquiry.

(विराम)

Next.

तहसील सरोड़ा के केभड़ टैंक से पीवल भूमि पर बैटरमेन्ट लेवी

६२७. **श्री देवीलाल** (सारदा—सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील सराड़ा में केभड़ टैंक [illegible] पर बैटरमेन्ट लेवी लगाई हैंईग

(२) यदि हां, तो वहां की भूमि से प्रति एकड़ क्या आमदनी होती है ?

(३) क्या यह सही है कि यहां की जमीन में कच्ची नहरें होने से पैदावारी में कमी हो रही है ?

(४) यदि हां, तो कितनी कमी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) मामला विचाराधीन है।

(२) अनुमानतः प्रति एकड़ आमदनी २५० रुपये से लेकर ३५० रु० प्रति फसल होती है।

(३) जी नहीं, कच्ची नहरों से पैदावार में कोई कमी नहीं हो रही है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६२८

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

भाखरा केनाल एरिया में भूमिहीनों को भूमि का अलॉटमेन्ट

६२९. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या मंत्री, भाखरा प्रोजेक्ट बोर्ड निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) भाखरा केनाल एरिया में आज तक कुल कितनी सरकारी जमीन लोगों को काश्त के लिए दी गई है ?

(ख) अभी तक कितने भूमिहीन किसानों की दरख्वास्तें भूमि प्राप्ति के लिए आई हुई हैं और उनमें से कितनों को भूमि अलॉट और की जानी बाकी है ?

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : इस प्रश्न का जवाब राजस्व मंत्री अपनी टर्न पर देंगे।

प्रश्न संख्या ६३०

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६३१

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३२

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३३

श्री आनन्दसिंह कछावा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट

पार्ट टाइम और हॉल टाइम पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स

६३४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

(क) राजस्थान में किन किन जगहों पर पार्ट टाइम पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स काम करते हैं और किन किन जगहों पर हॉल टाइम ? उनकी सूची दी जाय ।

(ख) जो पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स हॉल टाइम काम करते हैं, उनके पास आज तक कितने मुकदमात कन्डक्ट करने के बाकी हैं ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) राजस्थान में निम्नलिखित जगहों पर (हॉल टाइम) पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स काम करते हैं :—

१. पी. पी., जोधपुर २. मेड़ता ३. पाली ४. प्रतापगढ़ ५. चुरू ६. एडीशनल पी. पी., जोधपुर ।

हॉल टाइम पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स के पास जो मुकदमात (कन्डक्ट) करने को बाकी हैं उनकी संख्या जनवरी, १९६० तक इस प्रकार है :—

पी. पी., जोधपुर	१२५
एडीशनल पी. पी., जोधपुर	३६
पी. पी., प्रतापगढ़	३३
पी. पी., मेड़ता	५१
पी. पी., चूरू	१७
पी. पी., पाली	३९

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : हॉल टाइम पी. पी. रखने की क्यों आवश्यकता हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान बनने के पहले चले आ रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : कई पी. पीज़. को एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया, इनको कैसे बाकी रख छोड़ा ?

श्री रामकिशोर व्यास : आर० ए० एस० के सिलेक्शन में जो आ गये वे अपॉइन्ट हो गये, नहीं आये वे हैं ।

प्रश्न संख्या ६३५

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना

६३६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या भूतपूर्व जस्टिस श्री बाफना की कोई रिपोर्ट गत पिछले साल में प्रकाशित हुई है? यदि हां, तो उस रिपोर्ट द्वारा सरकार को क्या क्या सुझाव दिये गये हैं?

(ख) क्या सरकार जुडिशियरी को एक्जीक्युटिव से अलग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(ग) क्या बाफना रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट रखे जावें और वे सीधे हाईकोर्ट के अधीन रहें?

(घ) क्या सरकार पी० एस० आई० और पी० आई० को पुलिस से अलग करके लीगल रिमेम्बरेन्सर के अन्डर में रखने का विचार रखती है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां। रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया।

श्री मूलचन्द डागा : इस रिपोर्ट को हाउस में डिस्कशन के लिये रखा जायेगा?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट के डिसीज़न के बाद।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इसकी एक एक प्रति सदन के सदस्यों को देने के लिये तैयार हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : एग्ज़ामिन कर लें, उसके बाद दे सकते हैं।

प्रश्न संख्या ६३७

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६३८

श्री भैरोंसिह।

(अनुपस्थित)

श्री बी० एन० जोशी।

नगरपालिका फतेहपुर द्वारा भूमि का विक्रय

६३९. **श्री अब्दुलगफ्फारखां** (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या राजस्थान को समस्त नगरपालिकाओं में भूमि विक्रय अधिकार सरकार

(श्री अब्दुलगफ्फारखां)

के आदेश दिनांक १७-२-५६ द्वारा रोक दिये गये थे ?

(२) क्या यह सच है कि फतेहपुर नगरपालिका ने नगरपालिका के सदस्य श्री युसुफ को व उसके भाइयों को उक्त आदेश होते हुए भी कोई जमीन बेची है ? अगर हां, तो किस दर पर ?

(३) क्या यह भी सच है कि श्री युसुफ सदस्य नगरपालिका, फतेहपुर को उक्त बेची जाने वाली जमीन के बाबत सरकार द्वारा भी दिनांक १३-१-५८ को पट्टे न दिये जाने का स्टे ऑर्डर दिया गया था ?

(४) क्या सरकार ऐसे अवैधानिक रियायती कीमत पर दिये गये पट्टों को रद्द करने का विचार रखती है तथा सरकार उक्त आदेशों के अवहेलना करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पत राम) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुलगफ्फारखां: क्या यह सही है कि ३१-८-५६ को अर्जी नहीं दी गई ?

श्री सम्पतराम : अर्जी देने और न देने की जानकारी नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया उसका जबाब दे दिया गया है।

श्री अब्दुलगफ्फारखां : तो क्या यह समझा जाय कि बोर्ड के सामने पेश नहीं की गई ?

श्री सम्पतराम : समझने को तो आप चाहें कुछ समझ लें मैंने डेफिनिट रिप्लाई दे दिया है।

पुलिस इन्सपेक्टर श्री कन्हैयालाल का शव

६४०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि टौंक के पुलिस इन्सपेक्टर श्री कन्हैयालाल का शव सांगानेर-टौंक सड़क पर पड़ा मिला ?

(ख) यदि हां, तो इस घटना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम आया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जिस ट्रक से दुर्घटना हुई उसके चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संग्रह की धारा ३०४ अ० के अन्तर्गत प्रकरण अंकित कर लिया गया है और अनुसंधान हो रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : यह मालूम कैसे पड़ा कि यह ट्रक दुर्घटना का शव है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी से मालूम हुआ।

Page No.16

डॉ० चन्द्रकला : यह रिपोर्ट किसने दी कि शव पड़ा हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास ने इन्फॉर्म किया था।

प्रश्न संख्या ६४१

श्री सतीशचन्द्र, अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४२

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

सहकारी कृषि संस्थाएं

६४३. **श्री बी० एन० जोशी** [चांदीकुई डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) : Will the Co-operati\ Minister be pleased to state:--

1. What was the total number of co-operative farming societies formed in Rajasthan during the year 1959 ?

2. What was the total area of land allotted to all these societies ?

3. What was the total area brought under the plough by all these co-operatives in the Khariff Crop of 1959 and what was the total amount of grain procured by these societies in that crop ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) ४१८.

(२) ४२,७१३ एकड़। २३५ टिनेन्ट फार्मिंग समितियों को।

(३) यह कॉओपरेटिव फार्मिंग समितियां समूचे राजस्थान में बनी हैं, इस कारण अल्प काल में सभी जिलों से अन्य सूचनायें एकत्रित नहीं की जा सकी हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि इन समितियों को जो जमीन अलॉट की गई है वह कृषि के योग्य नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, योग्य नहीं होती तो समिति वाले क्यों लेते, जबर्दस्ती किसी को नहीं दी गई, उन्होंने मांग की वही दी गई।

आबू रोड में यातायात मोटर गाड़ियों की कमी

६४४. **श्री मोहब्बतसिंह**

Will the Minister for Transpo pleased to state:—

Whether the Government realises the acute shortage of transport vehicles with the State Transport at Abu Road in Sirohi District ? Does the Government propose to make suitable arrangements in this connection to meet the requirements of tourist traffic at mount Abu ? Is the Government aware that during the last season the transport arrangement of State Transport between Mount Abu and Abu Road during the peak season was not satisfactory ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): Yes. The Government realises the shortage, in view of this shortage

(श्री रामकिशोर व्यास)

vehicles during the last season, the extra buses were engaged to cope with the rush of traffic at Abu Road.

श्री मोहब्बतसिंह : What is the total number of buses required to meet the public demand during the peak season at Abu ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मुझे मालूम नहीं कितना है। ६ बसें खरीदी हैं और सीज़न के लिये दस बसें और भेजी हैं।

श्री मोहब्बतसिंह : ये दस बसें हमेशा के लिये वहीं रहेंगी या सीज़न खत्म होने के बाद वापिस मंगा ली जावेंगी ? ये दस बसें कब तक पहुंच जावेंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : सीज़न के टाइम से पहले पहुंच जावेंगी। सीज़न तक ही रहेंगी।

ग्राम नगलावी धौराय (बाडी) के निकट पार्वती नदी में प्राप्त हुई लाश

६४५. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि माह फरवरी में सरकार को ग्राम नगलावी धौराय, तहसील बाडी के निकट पार्वती नदी में एक लाश प्राप्त हुई थी ?

(२) यदि हां, तो किस दिन ? वह किस का शव था तथा किस व्यक्ति द्वारा हत्या की गई थी ?

(३) इस प्रकार की वारदातें रोकने के बारे में सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां।

(२) दिनांक १५-२-६० को मृत शरीर छतरियां ठाकुर पुत्र राजहंस वासी दिनकोटा का था। यह हत्या का मामला नहीं पाया गया। अभी तक की गई पुलिस की अनुसन्धान से ज्ञात हुआ है कि वह नदी पार करते समय अचानक डूब गया था।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जालूपुरा (जयपुर) के निवासियों को बसाने की स्थायी व्यवस्था

६४६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या नगरपालिका मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि जालूपुरा (जयपुर) के निवासियों को कुछ दिन पहले अस्थायी झोंपड़ों में बसाया गया है ? यदि हां, तो किस उद्देश्य से ?

(२) इन लोगों को कितने दिन में अपने स्थायी निवास में बसा देने की योजना थी ? क्या उस योजना के अनुसार ही इनके बसाने के काम में प्रगति हो रही है ?

(३) क्या यह सही है कि जालूपुर निवासियों के इन अस्थायी झोंपड़ों में एक

Page No.18

(डॉ० चन्द्रकला)

से अधिक बार आग लग चुकी है ? यदि हां, तो कब कब और प्रत्येक में कितने जान-माल का नुकसान हुआ व क्या राहत दी गई ?

(४) अब जालूपुरा के लोगों को कब तक अपने स्थायी निवास में बसा दिया जायेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (१) गत वर्ष मई मास में तूफान के कारण जालूपुरा बस्ती के कच्चे मकानों की बहुत सी चद्दरें उड़ गई थीं जिसके कारण वहां के निवासियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और सरकार ने उन्हें उसी भूमि पर एक सुनियोजित बस्ती बना कर बसाने का निश्चय किया। नगर विकास मण्डल ने यह योजना बनाई और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है। योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया है और भूमि के समतल करने व नले को पक्का बनाने का कार्य चल रहा है। भूमि को समतल करने के लिये ही उन्हें अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर बसा दिया गया है।

(२) प्रत्येक योजना के पूर्ण क्रियान्वयन में समय लग जाता है और यह योजना कोई अपवाद नहीं है पर फिर भी कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। आशा है, वर्षा प्रारम्भ होने से पहले इन लोगों को भूखण्डों पर कब्जा दे दिया जा सकेगा।

(३) जी हां, चार बार दिनांक २८ जनवरी, १३, १५, और २३ फरवरी को। प्रथम बार २,७००) रु० का, द्वितीय बार १,२८७) रु० का, तृतीय बार १,०६६) रु० का और चौथी बार ६,८५७) रु० का नुकसान हुआ। प्रथम बार ६४१. ४५ न. पै. की और चौथी बार ४६५) रु० की सहायता दी गई।

(४) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वर्षा से पहले पहले इन लोगों को भूखंडों पर कब्जा दे दिया जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : जालूपुरा के निवासियों को दो स्थानों पर बसाने की बात है तो वे दो स्थान कहां कहां हैं ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है। जिस समय अभी वे रह रहे हैं उस जगह को समतल करके नये ढंग से बसाने की स्कीम है। अब उस जगह सब न बसाये जा सकते हों क्योंकि वे बहुत कन्जेस्टेड रह रहे थे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं है कि दो जगह बसाने की बात है ?

श्री सम्पतराम : मैंने उत्तर दिया न।

डॉ० चन्द्रकला : तो जब जालूपुरा निवासियों को वहां से हटाया गया तो उनके घरों की वहां के निवासियों की सूची किसने तैयार की थी ?

श्री सम्पतराम : वह तो नगरपालिका और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने एक स्कीम बनाई है और उसके अनुसार वहां एक अच्छी बस्ती बसाने की उनकी स्कीम है। सारी जमीन को समतल करके वे उन्हें तरतीब से बसाना चाहते हैं इसमें अब सड़कें बनें या और कुछ चीजें बनें और जमीन कम रहे

(श्री सम्पतराम)

क्योंकि पहले वे काफी कन्जेस्टेड तरीके से रह रहे थे इसलिये कुछ फर्क पड़ सकता है और सब न बसाये जा सकें तो उनको अलग से बसाया जा सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा यह सवाल नहीं है, मेरा सवाल तो यह है कि जब उनको वहां से अस्थाई तौर से भी हटाया गया तो वहां कौन कौन रहते थे, कितने घर थे, कितने लोग रहते थे इसकी सूची बनाई गई थी वह किसके द्वारा बनाई गई ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह कॉलोनी नष्ट हो गई थी। वहां रहने वालों की सूची बनाई गई थी, नई बसाने की प्लान बनाई गई थी। पहले जो रहते थे उन्हीं को नई आबादी में बसाया जावेगा, औरों को नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि सूची किसके द्वारा बनवाई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नगर विकास मण्डल और म्यूनिसिपैलिटी, दोनों ने मिलकर बनाई है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

आयुर्वेद की परीक्षाओं हेतु आयोजित परीक्षा बोर्ड

६४७. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) आयुर्वेद विभाग द्वारा इस समय परीक्षाओं की क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या सरकार द्वारा कोई परीक्षा बोर्ड गठित किया गया है ? यदि हां, तो किस एक्ट या किस नियम के अन्तर्गत ?

(३) क्या उस बोर्ड का कोई रजिस्ट्रार या सचिव है ? यदि हां, तो कौन व्यक्ति और उसको क्या क्या वेतन या अलाउन्स आदि दिया जाता है ? क्या उक्त राशि गत बजट में स्वीकृत हुई थी ?

(४) क्या उक्त संस्था का रजिस्ट्रार लोक सेवा आयोग से स्वीकृत कर नियुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) प्राचीन नियमावलि के अनुसार आयुर्वेद की परीक्षाएं रजिस्ट्रार डिपार्टमेन्टल एग्ज़ामिनेशन, शिक्षा विभाग द्वारा ली जाती हैं जो सन् १९६१ तक ली जावेंगी और नवीन नियमावलि के अनुसार आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत एक परीक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा गठित किया गया है जिसके द्वारा १९५९ से आयुर्वेदिक परीक्षाएं ली जा रही हैं।

(२) जी हां। इसके लिये कोई एक्ट में प्रावधान नहीं है परन्तु नवीन नियमावलि पर गठित नियमों में ऐसी व्यवस्था की गई है।

(३) जी हां, रजिस्ट्रार है। यह व्यक्ति श्री कृष्णलाल शर्मा एम. ए. हैं जिनको १७५) रु० से ३५०) रु० के वेतन स्केल में २४५ रु० मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार मासिक महंगाई अलॉउन्स

Page No.20

(श्र

मिलता है। उक्त राशि गत वर्ष के बजट में स्वीकृत हुई थी।

(४) जी नहीं। विभाग द्वारा श्री कृष्ण 'ल एम. ए. को इस पद पर अस्थायी रूप स... न किया गया है और नियमानुसार उनके कन्फर्मेशन की कार्यवाही चालू है।

जयपुर से वाटिका होती हुई सुनारा तक मोटर रूट

६४८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या जयपुर से वाटिका होती हुई सुनारा तक मोटर रूट जारी करने की दर्ख्वास्त जनता व मोटर मालिकों द्वारा सरकार के पास आई है?

(२) अगर हां, तो उक्त रूट को कब तक चालू किया जावेगा?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) मामला विचाराधीन है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक विचाराधीन रहेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : यह आर. टी. ओ. करती है, गवर्नमेंट तो करती नहीं।

धौलपुर उप जिले में कृषि विभाग के बाग

६४९. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) कृषि विभाग के धौलपुर उप-जिले में कितने बाग हैं? सूची सदन में प्रस्तुत की जावे, साथ में यह भी बतलाने का कष्ट करें कि कितनी भूमि में ये बाग लगे हुए हैं और कितनी आय, तथा व्यय वर्ष में इन पर होता है?

(२) क्या यह सत्य है कि राजघर बाग धौलपुर में लगे पपीतों में रोग लगने से फल प्रायः नष्ट हो रहे हैं? क्या यह भी सत्य है कि एक प्लान्ट प्रोटेक्शन मुकद्दम का क्वार्टर भी इस बाग में है? यदि हां, तो उसके द्वारा इस बाग में क्या व्यवस्था की गई?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :(१) कृषि विभाग के आधीन धौलपुर उप-जिले में चार बाग हैं। इनके नाम, क्षेत्रफल जिनमें यह बाग लगे हैं तथा आय-व्यय जो इन चार वर्षों में हुआ उत्तर संलग्न तालिका में है।

(२) नहीं। राजघर बाग धौलपुर में प्लान्ट प्रोटेक्शन मुकद्दम का क्वार्टर नहीं है। इस बाग में लगे पपीतों पर स्टैम रौट नामक रोग लग गया था मगर बोर्ड द्वारा मिक्सचर व कॉपर फुंगिसिडिस नामक औषधियों से फौरन रोक दिया गया।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची तो मुझे प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : चार नाम हैं। आप बता दीजिये।

Page No.21

श्री नाथूराम मिर्धा : एक तो है राजघरजू बाग, धौलपुर, दूसरा भिलगवा गार्डन, धौलपुर, तीसरा महाराज बाग बारी और चौथा राम बाग,बाड़ी ।

डॉ० बहादुरसिंह : इनमें लॉस पड़ रहा है या प्रोफिट हो रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इनका कोई सेपरेट अकाउन्ट बागात, धौलपुर का नहीं रखा जाता था। एक साल का जरूर रखा है पिछले साल ५६-६० का उसमें खर्चा ज्यादा पड़ता है और आमदनी कम होती है। १६-१७ हज़ार के करीब खर्चा होता है और आमदनी छः-सात हज़ार की होती है। अब ये बाग रेवेन्यू विभाग को दे दिये हैं क्योंकि एग्रीकल्चर विभाग को न तो देखरेख करने में लाभ होता है और न उनको ऐसी हालत में ज्यादा रखना अन्य रूप से भी उपयोगी होने की सूरत है, इसलिये रेवेन्यू विभाग को दे दिये गये हैं ताकि या तो वह लीज पर दे दे या ठेके पर जैसा ठीक समझे वह करे।

खतरनाक कैदियों के ही हथकड़ी डालना

६५०. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर-१) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भारत सरकार ने समस्त प्रान्तीय सरकारों को आदेश दिया है कि खतरनाक या भाग जाने के अन्देशों वाले कैदियों ही को हथकड़ी डाली जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस आदेश पर क्या कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : भारत सरकार के आदेशानुसार हथकड़ियों का प्रयोग केवल ऐसे कैदियों के लिये निर्धारित किया गया है कि जो भयप्रद, अनुशासनहीन तथा बाधा-स्वरूप हों अथवा जिनके भाग जाने की या आत्म-हत्या कर लेने की आशंका हो। राज्य सरकार ने भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप पुलिस विभाग को आदेश दे दिए हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : ये अखबार के सम्पादक किस गिनती में आते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : घटना हुई, उसके बाद यह जारी किया। यह नेसेसिटी हुई।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जो नॉन कॉग्नीजेबल होंगे उनको भी हथकड़ी नहीं दी जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : कॉग्नीजेबल हों या नॉन कॉग्नीजेबल जिनके लिये नेसेसरी है उनके लिये है।

प्रश्न संख्या ६५१

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

दिनांक १६ मार्च, १९६० के । स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या ४११

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४२४

श्री बेनाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित)

दिनांक १७ मार्च, १९६० का स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या ४४५

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणदास ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : ४२६ रह गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : श्री पी० के० चौधरी मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा ।

जोधपुर तहसील के ग्रामों के अधिक आबादी वाले हिस्से को जोधपुर क्षेत्र में मिलाये जाने की योजना

६३३. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर—१) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर तहसील के ग्राम मन्डोर, चेतपुरा, पूनला, भदासिया की अधिक आबादी वाला हिस्सा जोधपुर नगरपालिका के क्षेत्र में मिलाये जाने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो कौन कौन सा क्षेत्र नगरपालिका में लिया जा रहा है ?

क्या ग्रामवासियों व सम्बन्धित पंचायतों से इस सम्बन्ध में राय ली गई है ? यदि हां, तो क्या राय आई है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां ।

(२) जोधपुर नगरपालिका के सोजती दरवाजा से पांच मील के अर्द्ध व्यास के घेरे तक पूरा क्षेत्र ।

(३) जी हां । सार्वजनिक सूचना के हेतु तथा इस सम्बन्ध में आपत्तियों को निमन्त्रित करने के लिये हिन्दी में एक उद्घोषणा राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई थी ।

(४) दो मास तक दी गई अवधि में कोई राय नहीं आई ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सम्बन्धित पंचायतों को लिखित नोटिस दिया गया था क्या ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा न कि गज़ट में शाया किया गया था ।

श्री मूलचन्द डागा : पंचायतें जिनका क्षेत्र प्रभावित होता था उनको आपने अलग से नोटिस दिये या नहीं, मैं इतना जानना चाहता हूं ? सवाल यह है ।

श्री सम्पतराम : जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पंचायत को भी लिखा गया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने पंचायतों को पूछा होगा।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : वहां की पंचायतें साल भर से काम नहीं कर रही हैं ?

श्री सम्पतराम : यह अलग सवाल है।

जयपुर शहर के अस्पतालों हेतु विजीटर्स कमेटी

६३५. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर शहर के अस्पतालों के लिए कोई विजीटर्स कमेटी है ?

(२) यदि हां, तो उक्त कमेटी क्या काम कर रही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वैक्सिनेटर्स को ड्रेस

६३७. श्री उम्मेदीलाल (करोली—सु०): क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

राजस्थान में वेक्सीनेटर्स को ड्रेस क्यों नहीं दी जाती है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भारत के अन्य मुख्य राज्यों जैसे बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में वैक्सीनेटरों को कोई ड्रेस नहीं दी जाती है। इसी तरह राजस्थान में भी इनको कोई ड्रेस नहीं दी जाती है। हालांकि उनकी पहचान के लिए उन्हें बैज दिये जाते हैं।

अब उनके ये कार्य पंचायत समिति के अधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

१२. म० प०

मांग संख्या २३—नागरिक निर्माण कार्य इत्यादि

(अग्रेत्तर विचार एवं स्वीकृत)

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट—सु०) माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग

(श्री नाथूलाल करोल)

संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५० क–नागरिक निर्माण कार्य के ऊपर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है । उसमें यह है कि लालसोट,चाकसू और सांगानेर तहसील की जो सड़कें खराब हो रही हैं उनकी मरम्मत कराने के लिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार का यह विचार हो रहा है कि दिन–ब–दिन सड़कों को तरक्की हो लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि जो पुराने जमाने की सड़कें बनी हुई हैं या सरकार ने जो सड़कें बनाई हैं उनके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । अध्यक्ष,महोदय,आपसे क्या निवेदन करूं कि पहले के जमाने की या जयपुर स्टेट के जमाने की जो सड़कें थीं और आज की जो सड़कें हैं उनमें बहुत ही ज्यादा भिन्नता है । उनकी आज तक भी मरम्मत नहीं कराने पर सड़कें खराब नहीं हुई और मौजूदा हालत में जो सड़कें बन रही हैं वह दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं । अब मैं आपको एक सड़क का उदाहरण देता हूँ कि सांगानेर एरोड्रोम से स्टेशन सांगानेर तक बहुत पुराने ज़माने में जो सड़क बनी थी उसका कुछ टुकड़ा बाकी रह गया था, एरोड्रोम आ जाने से कुछ तो सरकार ने ले लिया और कुछ बाकी रह गया था वह अभी भी सड़क खराब नहीं हुई है और गवर्नमेंट ने जो सड़क बनाई वह बिल्कुल खराब हो गई । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि जो सड़कें खराब हो गई हैं उनकी मरम्मत कराने के लिए सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान दे । सांगानेर एरोड्रोम से पूर्व की ओर सड़क जाती है उसकी हालत यह है कि वह सड़क इतनी खराब हो गई है कि उस पर रोड़ी और कंकर तो हैं ही नहीं अब तो सिर्फ खंजरे ही रह गये हैं और वह बिल्कुल खत्म हो चुके हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी बनाने या मरम्मत कराने की कोशिश करें ।

दूसरी अर्ज यह है कि गांधीनगर चौराहे से लेकर सांगानेर स्टेशन जो कि दिल्ली लाइन पर है वह नई सड़क बनी है । गई साल आधी सड़क के ऊपर तो डामर बिछवा दिया है और आधी वैसी ही खाली पड़ी है लेकिन वह सड़क भूड़े में होने की वजह से खराब होती जा रही है और अगर उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं तो गत वर्ष जो पैसा सरकार ने उस पर लगाया है वह बेकार जायेगा । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आधी सड़क के ऊपर जो डामर रह गई है उस पर भी डामर करा दिया जाये ।

इस तरह से अब मैं चाकसू तहसील के लिए निवेदन करूं कि चाकसू के अन्दर जो तीन–तीन साल से काम चल रहा है सड़कों पर वह पूरा नहीं हुआ जैसे कोटखावडा से चाकसू सड़क के ऊपर ३ साल से काम हो रहा है लेकिन वह पूरी नहीं हुई । या तो इसमें ठेकेदारों की कमी है या उनकी कोई जालसाज़ी है या कुछ और बात है या अच्छे ठेकेदार गवर्नमेंट को नहीं मिलते हैं या किसी तरह भी देखिये, सड़क पूरी नहीं हुई और उसके ऊपर जो पुलियायें हैं वह भी अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं । फागी से चाकसू की रोड़ बन रही है वह भी आधी पड़ी है और अभी तक पूरी नहीं हुई है । लालसोट से कूथन की सड़क बन रही है लेकिन वह भी आधी पड़ी है । और जितनी पुलियायें हैं वह छोड़ते जा रहे हैं और सड़क बनती जा रही है । मैं आपसे निवेदन करूं कि जब

(श्री नाथूलाल करोल)

ठेका दिया जाता है तो पुलियाओं का निर्माण भी उसके साथ ही हो न कि अलग होगा। तो ठेकेदार से यह कह दें कि पुलियाओं को क्यों नहीं बनाते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय यहां मौजूद ही नहीं हैं किससे निवेदन करूं लेकिन दूसरे मन्त्री महोदय जिनके पास पहले यह विभाग था उनसे निवेदन करता हूं खास तौर से कि उन पुलियाओं का निर्माण करा दिया जाये और उन्हें पूरा कराने की कोशिश कराई जाये। लालसोट तहसील में भी यही हाल है। झिलमिली एक ऐसी जगह है जो कि बहुत इम्पोरटेन्ट है और लालसोट से दौसा आते हैं या जयपुर आते हैं तो वही रास्ता पड़ता है। वहां की सड़क इतनी खराब हैं कि जिसकी वजह से इतनी दिक्कत है कि आदमी आ ही नहीं सकते। क्योंकि वहां पर पुलिया बनी हुई ही नहीं है और जब पानी आता है तो पैदल आदमियों को आकर के दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी में बैठना पड़ता है। झिलमिली के ऊपर तो काफी दिक्कत है। लालसोट से गंगापुर को सड़क जाती है वह भी खराब हो गई है। इसलिए वह भी जल्दी से जल्दी तैयार कराने की कोशिश की जाये। नई सड़कों के बनाने के बजाय तो सड़कों की मरम्मत जरूर कराई जाये। जो पैसा गवर्नमेंट का लगा है, मरम्मत नहीं कराने से बेकार जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सांगानेर एरोड्रॉम से स्टेशन सांगानेर जो कि दिल्ली लाइन का है उसकी मरम्मत जरूर कराई जाये नहीं तो उसमें जो कुछ पैसा गवर्नमेंट ने लगाया है वह खत्म होता जा रहा है। अगर उसकी मरम्मत नहीं हुई तो बिल्कुल खत्म हो जायेगी। जो गांधीनगर चौराहे से स्टेशन सांगानेर जो कि दिल्ली लाइन पर है उस पर आधे हिस्से के अन्दर डामर कराई जाये आधे पर तो पहले ही हो रही है और जो ऊपर सड़कें बताई हैं इन सड़कों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करा दिया जाये, इतना ही निवेदन है कि मंत्री महोदय, इस पर ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी इनको पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है दैनिक वेतन के आधार पर विभाग में नियुक्त कर्मचारियों की दयनीय अवस्था पर विचार करने हेतु। हमारे राज्य में दो विभाग हैं जो कि मुख्य रूप से इस प्रकार के कर्मचारियों को नौकरी देते हैं। एक तो यह नागरिक निर्माण विभाग और दूसरा बिजली विभाग। इन विभागों में जो कर्मचारी रखे जाते हैं वह दैनिक वेतन के आधार पर रखे जाते हैं। अब उनको आवश्यकता है या नहीं, यह बात दूसरी है। लेकिन इस विभाग में इस प्रकार की परम्परा है। उसमें भी कुछ करप्शन है। जितने इन्जीनियर्स हैं, असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स हैं उससे लेकर चीफ इन्जीनियर तक इस सम्बन्ध में योग्यता निर्धारित है। उसमें असिस्टेन्ट इन्जीनियर ५० तक के वेतन वाले को नौकरी पर नौकर रख सकता है, इन्जीनियर १०० रुपये तक का नौकर रख सकता है; चीफ इन्जीनियर २०० से २५० तक की नौकरी के कर्मचारी को नौकर रख सकता है। वैसे तो इसके अन्दर इस प्रकार के कर्मचारी हैं कि जितनी तनख्वाह तक उन कर्मचारियों को देने का अधिकार है नौकरी पर रखा जाता है। बाकी के विभागों

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

को पब्लिक सर्विस कमीशन की इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन इस विभाग में दैनिक वेतन पर रखा जाता है, डेली वेजेज़ के आधार पर नौकर रखा जाता है। इस प्रकार के इस विभाग के अधिकारियों को अधिकार है नौकर रखने के। किस प्रकार के कर्मचारियों को नौकरी मिल सकती है, यह वास्तव में सोचने का विषय है। किस आधार पर यह अधिकार दिये गये थे ? वह साधारणतया ऐसा काम होता है, जैसे कि सड़क का काम है तो उस पर मिट्टी डालने का काम है, रोड़ी बिछाने का काम है, इन साधारण कामों पर रेग्युलर सर्विस के कोई आदमी काम नहीं करते हैं, रुपया-डेढ़ रुपये के मजदूर मिलते हैं और मजदूरों को स्थायी नौकरी कैसे दे सकते हैं, तो उनको दैनिक वेतन पर नौकर रखा जाता है। इस सिद्धान्त पर सरकार ने उनको अधिकार दिये थे। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उससे आगे बढ़ कर इस अधिकार का उपयोग यहां तक किया है कि क्लर्कस क जो काम है, लोअर डिवीज़न क्लर्कस और अपर डिविज़न क्लर्कस को, इस प्रकार की श्रेणियों के जो कर्मचारी हैं उनको भी इस केटेगरी में दैनिक वेतन के आधार पर नौकर रखना शुरू कर दिया। और विभागों में ६ महीने, ३ महीने या महीने भर के लिए टेम्पोरेरी नौकर रखे जाते हैं और उसके बाद में उनको कन्फर्म कर दिया जाता है लेकिन इस विभाग में पिछली विधान सभा के सत्र के समय भी इन्क्वायर किया गया था तो पता लगा था कि १०-१० साल के कर्मचारी दैनिक वेतन के आधार पर बैठे हुए हैं। फिर उनकी सर्विस की सिक्योरिटी का आधार क्या होगा ? उनको इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्दर लिये जाने का, उनके फिक्सेशन का क्या होगा ? उनके रेग्युलर इन्क्रीमेंट का क्या होगा ? जो सुख सुविधाएं उस केटेगरी के कर्मचारियों को हो सकती हैं उन सुख सुविधाओं से वे कर्मचारी वंचित रह जाते हैं। उनकी नौकरी की सिक्योरिटी नहीं है। जब भी अधिकारी की मर्जी आ जाय चाहे वह एक साल, २ साल या ४ साल का नौकर हो उसको नौकरी से अलग किया जा सकता है या जब अधिकारियों की मर्जी आये इन अधिकारियों को किसी को ५०)रु० तक का, किसी को १००) रु० तक का और किसी को १५०) रु० तक की तनख्वाह वाले लोगों को एडहॉक नौकर रखने का अधिकार है, उनको नौकर कर सकते हैं। जहां मर्जी हो गई तो किसी को २०) रु०, को किसी ३०) रु० और किसी को ५०) रु० का इन्क्रीमेंट दे दिया। अगर मर्जी नहीं हुई तो नौकरी से निकाला जा सकता है या उसका इन्क्रीमेंट नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हजारों कर्मचारी इस विभाग में बहुत पहले से इस प्रकार से चलते आ रहे हैं। मान लें कि लेबरर्स का सवाल होता तो माना जा सकता है, लेकिन जहां तक क्लर्कस का सवाल है। यानि जो क्लर्कस इस आधार पर रखे जाते हैं उनका कोई रेग्युलर तरीका नहीं बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन वैसे ही रखा हुआ है। अगर वहां पर रेग्युलर आवश्यकता है, क्योंकि कई सालों तक वे क्लर्कस चलते रहते हैं तो उनकी पोस्ट्स को परमानेन्ट किया जाय और परमानेट करके उस आधार पर उनको नौकर रखा जाय। इतनी अधिक अवधि से जो काम करते आ रहे हैं उनको रेग्युलर सर्विस

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

में डालकर जिस प्रकार से रेग्युलर सर्विस के जो कर्मचारी हैं, उनको जो सुख सुविधा मिलती है वह उनको मिलनी चाहिये। इस प्रकार से विभाग के अधिकारियों की मर्जी पर हजारों रुपयों का बजट नहीं छोड़ना चाहिये। यदि उनकी मर्जी हो गई तो बूढ़े लोगों को भी रखा जा सकता है। अधिकारियों की मर्जी हो गई तो अपने सगे-संबन्धियों को इस प्रकार से रख लेते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि जो एज में कम होते हैं या इस प्रकार के भी कर्मचारी देखे जा सकते हैं जिनको कई वर्षों तक नौकरी नहीं मिलने वाली है या जिनको ४, ६ महीने वेट करना है दूसरी नौकरी पर जाने के लिए तो ६ महीनों के लिए इस विभाग में इन्जीनियर साहब से सांठ गांठ हो जाती है या सम्बन्ध हो जाता है तो इस विभाग में नौकर रखलिया जाता है। यह एक प्रकार से परवरिश का विभाग है। परवरिश के योग्य जो कर्मचारी हैं उनको यह विभाग रखता है। इस प्रकार से अधिकारियों की मर्जी पर इस विभाग को नहीं छोड़ना चाहिये जिससे कि सर्विसेज़ में इनसिक्योरिटी हो। सर्विसेज में सिक्योरिटी हो और फिजूल खर्चा बचे, इन सारी बातों का इस सम्बन्ध में, माननीय मंत्री महोदय विचार करें और एक निश्चित नीति निर्धारण कर इस विभाग की सर्विसेज़ का क्लासिफिकेशन करके उनका निर्धारण किया जाय।

[इस मांग पर आज निम्नलिखित और प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री नाथूलाल करोल मीणा :

(११) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील सांगानेर, चाकसू व लालसोट में जो सड़कें खराब हो गई है उनकी मरम्मत कराने पर बहस करने हेतु।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

(१२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य में १०) रु० की कटौती की जाय (दैनिक वेतन के आधार पर विभाग के नियुक्त कर्मचारियों की दयनीय अवस्था पर विचार करने हेतु)

श्री लक्ष्मीचन्द :

(१८) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (सांचोर तहसील के छात्रावास भवन की मरम्मत पर विचार करने हेतु)

(१६) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०— नागरिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (सांचोर स्कूल भवन की मरम्मत काफी समय से न होने के कारण पर विचार करने हेतु)

(२०) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (जिला जालोर के सांचोर हायर सेकण्डरी स्कूल भवन व जालोर हाई स्कूल भवन का कार्य शुरू करने में देरी पर बहस करने हेतु)

श्री मोहनलाल भटनागर :

(२१) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को मजदूरी दिलाने पर बहस करने हेतु)

(२४) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर—जयसमन्द सड़क की दुर्दशा पर विचार करने हेतु)

Page No.28

श्री लक्ष्मण हीगत :

(२३) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर जिले के कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया, खैरवाड़ा तथा सराड़ा की सड़कों की हालत पर प्रकाश डालने हेतु)

श्री प्रभुलाल पुरोहित :

(४४) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील लालसोट में सड़कों की मरम्मत पर बहस करनेहेतु)

श्रीसम्पतराज जैन :

(५२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले की आर्थिक व अन्तर्राज्य महत्व की सड़कों के निर्माण व विकास पर बहस करने हेतु)

(५५) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (मनोहर थाना में नदी की बाढ से आबादी को बचाने के लिए दीवार की मरम्मत न कर सकने पर बहस करने हेतु)

श्री परसराम मदेरना :

(५३) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील ओसियां में केन्द्रीय सड़क निधि से मन्जूर शुदा सड़क के अपूर्ण रहने पर बहस करने हेतु)

श्री तेजाराम गहलोत :

(54) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil Works be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to maintain the Sojat-Bilara Road properly).

श्री रामकरणसिंह :

(५६) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (डाबला–कोटपुतली सड़क की मरम्मत के लिए बहस करने हेतु)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा :

(५८) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (किशनगढ़ से करकेड़ी तक सड़क बनाने में विभाग द्वारा देरी की जाने पर बहस करने हेतु)

श्री मनोहर कोठारी :

(45) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil Works be reduced by Re. 1/-(To discuss deplorable condition of Udaipur-Kelwara Road).

(46) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil Works be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of department for not taking over the roads constructed either by village panchayats or by development blocks for the purposes of maintenance).

श्री मोतीलाल :

(३६) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार एवं विकास खण्ड

(श्री मोतीलाल)

द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत पर बहस करने हेतु)

(४६) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों और पंचायत समितियों के अलावा सहायतार्थ अनुदान पर बहस करने हेतु)

श्री सूबेदारसिंह :

(४०) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (झिरी-सरमथुरा सड़क को जनता द्वारा बनाने पर सरकारी सहयोग पर विचार करने हेतु)

(४१) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पार्वती नदी से बसेड़ी तक सड़क की मरम्मत पर विचार करने हेतु)

(४२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (बसेड़ी-बांसाई सड़क की मरम्मत करने पर विचार हेतु)

श्री रामचन्द्र :

(५७) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले की नदियों पर जो पुल बन रहे हैं उनमें ढिलाई पर बहस करने हेतु)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग के ऊपर मेरे ३ कटौती प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव सांचोर तहसील में छात्रावास भवन की मरम्मत पर विचार करने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर छात्रावास जो है वह एक पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है जो कि स्टेट के टाइम में कस्टम की बिल्डिंग थी; कस्टम के एबोलिश होने से छात्रावास के सुपुर्द की गई थी। यह पी.डब्लू.डी. विभाग के अन्तर्गत है। अगर उसकी मरम्मत की पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो मुश्किल होगा। यहां तक उसकी हालत है कि जब उप शिक्षा मंत्रीजी बरसात में सांचोर पधारे थे और आप से मैं स्वयं मिला और कहा कि उसका मुलाहिजा करें तो उस मकान के अन्दर उनकी घुसने की हिम्मत नहीं हुई और मुझसे कहा कि आप आगे चलें। उप मंत्रीजी गये तो उनको उसकी दुर्दशा मालूम हुई कि शायद न मालूम किस वक्त में यह बिल्डिंग बच्चों पर गिर जायगी। उसकी ऐसी अवस्था देख कर उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसकी रिपेअर्स के लिये पी. डब्लू. डी. विभाग को लिखा जायगा, उन्होंने शायद लिखा होगा यह मैं मान कर चलता हूं। बरसात का मौसम अब भी आने वाला है और बिल्डिंग की ऐसी ही दशा रही तो बच्चों के ठहरने के लिए मुश्किल हो जायगी क्योंकि वहां पर दूसरी बिल्डिंग भी ऐसी नहीं दीखती है जिसको छात्रावास बनाया जाय। अभी तो मामूली रिपेअर से यह बिल्डिंग ठीक हो जायगी और बच्चों के रहने की व्यवस्था हो जायगी और स्कूल और छात्रावास चल रहा है उसको चलने में सफलता मिलेगी। अगर रिपेअर नहीं हुई तो यह १०–१५ हज़ार की बिल्डिंग टूट जायगी और मामूली रिपेअर से ठीक होकर बच्चों को जो रिलीफ मिलने वाला है वह नहीं मिल सकेगा। यहां तक हो सकता है,

Page No.30

(श्री लक्ष्मीचन्द)

यह शंका है कि कहीं कोई बच्चा दब कर न मर जाय।

मेरा दूसरा कटमोशन है वह है कि सांचोर स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी छत से पानी गिरता है, प्रत्येक कमरे के अन्दर पानी गिरता है। वह पुराने टाइम की बिल्डिंग है। छत का रिपेअर नहीं होता और केवल सफेदी हो जाती है। अगर छत की रिपेअर नहीं हुई तो छत से पानी गिरता रहेगा और यहां तक मुश्किल हो जाती है बरसात के दिनों में कि बच्चों का लिखना-पढ़ना बन्द हो जाता है। वे कागज़ पर लिखते हैं और उस पर ऊपर से पानी गिरता है तो वह फैल जाता है। बच्चों के यह चार महीने छुट्टी के बराबर निकलते हैं क्योंकि बरसात में पानी के गिरने की वजह से पढ़ाई नहीं हो सकती है। मकानों की दुर्दशा है, अगर उसकी मरम्मत नहीं करवाई गई तो यह ५० हजार की बिल्डिंग बनी हुई है वह नाकाम होगी और बिल्डिंग के पड़ने की हालत हो जायगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की मरम्मत, जो हर साल के लिये रिपेअर पर खर्चे की रकम है, उससे खर्चा चलने वाला नहीं है, जो १००) २००) मेन्टीनेन्स के लिए रखे जाते हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए विशेष रकम स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर स्वीकार नहीं की गई तो काफी लॉस होगा। यह लॉस दोनों बिल्डिंगों का ४०—५० हज़ार का होगा। उनके एवज़ में दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए फन्ड्स एवेलेबल करने पड़ेंगे। इसलिए मेरी यह रिक्वेस्ट है कि इनकी मरम्मत जल्दी हो जाय।

तीसरा मेरा कट मोशन है जालोर और सांचोर में हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाना स्वीकार किया है, उसके लिए है। वह रकम ३१ तारीख तक खर्च हो जानी चाहिए। अभी केबिनेट की वहां पर मीटिंग हुई थी तो मंत्री महोदय से मैंने अर्ज़ किया था तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि पैसा लैप्स नहीं होगा। मैं उस विश्वास को लेकर चलता हूं, लेकिन अभी तक टेन्डर्स एक्सेप्ट नहीं हुए हैं तो मुझको शंका है कि शायद उस पैसे का युटिलाइज़ेशन न हो तो शायद वह रकम लैप्स हो जाय और किसी काम में नहीं आये। बड़ी मुश्किल से सरकार ने यह कम दी है, ४०,०००) जालोर और ७०,०००) सांचोर के लिए दिये हैं। अगर इस प्रकार से इस रकम का सदुपयोग नहीं हुआ और मनी लैप्स हो गई तो दूसरी दफा मांगने के लिए सरकार के पास एप्रोच होना पड़ेगा और हो सकता है कि सरकार एक बजट में एक दफा एक जगह को प्रायोरिटी देती है तो दूसरी दफा दूसरी जगह को देनी पड़ेगी। इसलिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जो पैसा है उसका सदुपयोग किया जाय और जो बिल्डिंग बनने वाली है उसमें किसी प्रकार से कमी नहीं हो और पैसे का उपयोग करने के लिए थोड़े बहुत फन्डस को युटिलाइज़ करने के लिए तमाम टेन्डर्स एक्सेप्ट हो तब तक गिट्टी, सीमेंट आदि इक्ट्ठा कर लें तो पैसा लैप्स नहीं होगा। इसी आशा को लेकर मैंने कट मोशन सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला मज़दूरों को मज़दूरी दिलाने के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय,

Page No.31

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपयों की व्यवस्था की है और उसके अन्तर्गत हमारे निर्माण कार्य चल रहे हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि निर्माण कार्यों में लाखों आदमियों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन दरअसल में वस्तुस्थिति देखें तो मालूम होगा कि ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार मजदूरों को रखते हैं, काम करवाते हैं लेकिन मजदूरी का चुकारा नहीं करते हैं। जब इस बारे में पी. डब्लू. डी. विभाग को लिखा जाता है तो वह कहते हैं कि टर्म्स एन्ड कन्डीशन्स में इस प्रकार की हमारी व्यवस्था नहीं है और न किसी नियम के अन्तर्गत दिला सकते हैं। लेबर विभाग को लिखा जाता है तो वे कहते हैं कि लेबर लॉज़ इन पर लागू नहीं होते हैं। इन सारे दृष्टिकोणों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उस क्षेत्र के अन्दर, दूसरी जगह का मैं नहीं कहता हूं, इसकी बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई है। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था कि वहां पर दो, तीन साल से लोगों की मज़दूरी बाकी है। एक क्षेत्र में ठेकेदार कार्य करता है वह बिना मजदूरी चुकाये दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। इस दृष्टिकोण से अब समय आगया है कि इसके बारे में कुछ निश्चित व्यवस्था की जाय लेबर लॉज़ में या उसके टर्म्स एन्ड कन्डीशन में इसको रखा जाय। उनके पास कुछ नहीं रहता है। वे अपना खरा पसीना बहाते हैं लेकिन चुकारे के वक्त में यहां तक मारे मारे फिरते हैं कि एक-एक, दो-दो साल तक चुकारा नहीं होता है। तो यह बहुत विषम परिस्थिति हो गई है। मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बारे में व्यवस्था की जाय ताकि गरीबों को राहत मिल सके।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव जयसमन्द सड़क के बारे में है। यह उदयपुर में काफ़ी पुरानी सड़क है। माननीय सदस्यों का जिनका वहां जाने का काम पड़ा है वे जानते हैं कि इसकी हालत कैसी है। जो रुपयों की व्यवस्था इसे बारे में की गई थी उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी मरम्मत का ठेका ऐसे ठेकेदार को दिया गया जिसको डेढ़ साल पूर्व कार्य समाप्त करना चाहिये था लेकिन उसने अब तक समाप्त नहीं किया। चीफ़ इंजीनियर साहब की तरफ से बाद में यह लिखा गया था कि डिपार्टमेंट की तरफ से कार्य शुरू किया जाय लेकिन अब तक शुरू नहीं किया गया। हजारों आदमी यहां पर प्रतिदिन आते हैं। सड़क के महत्व की दृष्टि से सागवाड़ा इसी सड़क से आते जाते हैं। सारी बातों को देख कर यह निवेदन करूंगा कि सारी सड़क एक साथ नहीं हो सकती लेकिन जैसी व्यवस्था १८ मील के बारे में की गई है उसकी दुरुस्ती जल्दी करने की कोशिश करें और ठेकेदार के खिलाफ़ भी कार्यवाही करें जिसने इतनी देरी करने पर भी कार्य पूरा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं उनमें यह बताया गया है कि

(श्री लक्ष्मण हीरात)

उदयपुर जिले में कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया, कालानाडा आदि तहसीलों में जो सड़कें हैं उनकी ओर सरकार ध्यान दे। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके आदेश से, क्रमशः एक एक करके इनको प्रस्तुत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोटड़ा उदयपुर जिले में एक पिछड़ा हुआ इलाका है, आदिवासियों का इलाका है। कोटड़ा जाने के लिये उदयपुर से एक रोड जाती है वाया गोगुन्दा होकर। इस रोड पर प्रथम पंच वर्षीययोजना में उदयपुर से गोगुन्दा तक सड़क बनाने का प्रोविज़न रखा था लेकिन पहली योजना निकल गई उसमें यह सड़क पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरी योजना में रखा गया लेकिन सिर्फ ८—१० मील तक भी सड़क नहीं बन पाई है। बाकी रोड २२ मील की अभी अधूरी पड़ी है। इस रोड की मरम्मत नहीं करने से साल में कम से कम एक-दो एक्सीडेन्ट्स होते हैं। गत वर्ष जो एक्सीडेन्ट हुआ उसमें दो—तीन आदमियों की मृत्यु हो गई। यह सिर्फ २२ मील का टुकड़ा है। हम सर्विस की बस में जाते हैं तो पूरे दो घंटे लग जाते हैं इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी हालत कैसी है।

गोगुन्दा से कोटड़ा ५० मील की दूरी पर है। सड़क के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी रकम रखी गई थी जो लैप्स हो गई। इन दोनों योजनाओं में यह सड़क नहीं बन पाई। तीसरी योजना शुरू होने वाली है, शायद तीसरी योजना में भी नहीं बनेगी।

कोटड़ा से सरूपगंज रोड बहुत महत्वपूर्ण है। बरसात में कोटड़ा जाने के लिये दूसरे रास्ते बंद हो जाते हैं और सरूपगंज का रास्ता रह जाता है। इसी रास्ते से सरकारी कर्मचारी और जनता आती जाती रहती है। यह टुकड़ा करीब ३६ मील का है लेकिन यह भी कम से कम ३ महीनों तक साल में बंद रहता है। उदयपुर जिले में यह इलाका ऐसा है जो तीन महीनों तक बिल्कुल बंद रहता है। कोटड़ा तहसील हैड क्वार्टर है, फॉरेस्ट स्टेशन है और ऑफिस भी है। यह बंद रहता है तो शासन की दृष्टि से भी और लोगों के आने जाने की दृष्टि से बड़ी दिक्कत होती है। वहां से लाखों रुपयों का माल फॉरेस्ट और खनिज का निकलता है। माल निकालने की तकलीफ होती है।

अध्यक्ष महोदय, कोटड़ा से खेरवाड़ा आनेवाली रोड है उस पर भी सरकार ने रकम रखी है, यह बहुत खुशी की बात है कि इस पर कुछ काम हो पाया है, हालांकि पूरा नहीं हुआ। प्रथम और द्वितीय योजनाएं निकल चुकी हैं फिर भी पूरा नहीं हुआ। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम तहसील हैड क्वार्टर से जिलों तक सड़क होनी चाहिये जो १२ महीनों तक काम में आ सके। इसी तरह से फलासिया की रोड है उसकी भी यही हालत है। इस पर भी २५ हज़ार रुपये का काम बताया गया है लेकिन यह गोगुन्दा तक वैसी ही रोड बनी है. आगे सर्वे भी नहीं किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना निकल चुकी है और दूसरी योजना निकलने वाली है लेकिन काम कुछ भी शुरू नहीं हुआ है कम से कम सर्वे करवा दें तो भी कुछ तसल्ली होगी।

इसी तरह से खेरवाड़ा से रिखबदेवजी होती हुई नेशनल हाई-वे पड़ती है। यह सड़क इस राज्य की तरफ से नहीं है, इसका ताल्लुक भारत सरकार से है। लेकिन मैं

Page No.33

(श्री लक्ष्मण हीरात)

निवेदन करना चाहता हूं कि जो रोड नेशनल हाई-वे है वह साल में दो बार टूटती है, दो बार उस पर डामर हो जाता है, फिर काट कर टीक किया जाता है। ऐसी इसकी स्थिति है। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिये। एक-एक जगह पर तीन-तीन बार डामर हो जाय और चौथी बार कट जाय तो यह एक समस्या है, इस पर फिजूल पैसा खर्च होता है। इसी तरह से गोगुन्दा से पिंडवाड़ा रोड है उसमें २० हज़ार रुपये की रकम रखी है लेकिन कुछ नहीं किया है। जैसे पहले रिलीफ में सड़क बनी थी उसी से आते-जाते रहते हैं। साल में ६ महीनों तक यह सड़क चलती है बाकी समय बंद रहती है। हम जब निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहते हैं कि रोड बना दो तो वे ध्यान देते नहीं हैं। सूखे हुए मौसम में एक-आध गैंग देते हैं जो आकर मिट्टी डालता है जो बरसात में साफ हो जाती है और रास्ता बंद हो जाता है।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं खास कर राणकपुर रोड के बारे में। इस बारे में काफी कोशिश की गई है उसके बाद में मान लिया है कि इसको बनायेंगे इस कारण से मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस ओर भी जो ऐसे इलाके हैं चार-पांच तहसीलों में उस ओर भी ध्यान जाना चाहिये जैसा कि सलूम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया है कि मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिलती है. यह बात सही है। किस वजह से नहीं मिलती, मज़दूर मेहनत करते हैं, फिर भी उनको मज़दूरी नहीं मिलती है। तो एक तो यह समस्या है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। दूसरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां से रोड जाती है उस रोड में जिन किसानों की जमीन आ जाती है उनको मुआवज़ा देने की जल्दी कोशिश नहीं करते हैं। दो-तीन साल हो जाते हैं, फिर भी मुआवज़ा नहीं मिलता है। इसके लिए वे काफी प्रयत्न करते हैं। ये जो हमारी दिक्कतें हैं इन दिक्कतें की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर इनको दूर करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों के लिए तो डामर की सड़क बनाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं, इसके लिए व्यवस्था करते हैं बजट में लेकिन जो गांवों में रहने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं करते हैं। अगर व्यवस्था करते भी हैं तो उसके साथ ही कहते हैं कि साहब पहले श्रमदान करो तब जाकर रकम देंगे। गांव वालों से श्रमदान की मांग की जाती है जब कि शहर वालों से श्रमदान की मांग नहीं की जाती और ज्यादा से ज्यादा काम शहरों में किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस का और सरकार का ध्यान गांव वालों की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां के लोग श्रमदान देने के लिए तैयार हैं उनकी ओर सरकार को और निर्माण विभाग को ध्यान देना चाहिए ताकि वहां सड़कें बन सकें। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वह सड़क की है। अगर सड़क बन जाती है तो एक इलाके से दूसरे इलाके में आसानी से जा सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जाकर देख सकता है कि जनता की क्या हालत है। तो जो श्रमदान का प्रश्न है उसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(श्री लक्ष्मण हीरात)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं कि निर्माण द्वारा पंचवर्षीय योजना में से कुछ मदद दे कि जो दो–दो, तीन–तीन मील के टुकड़े पड़े हैं उन पर सड़क बनाने के लिए निर्माण विभाग कुछ रकम दे दे। कुछ काम तो ब्लॉक की तरफ से होता है, कुछ रकम निर्माण विभाग दे दे और दो–दो मील और तीन–तीन मील के टुकड़े ऐसे हैं कि ऐसे इलाकों में दो–दो मील और तीन–तीन मील के टुकड़ों पर सड़क बना कर अच्छा रास्ता बनाया जा सकता है और लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ–जा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं और माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसे जो इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, जहां रोड नहीं है और छः–छः महीने तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है इस ओर सरकार ध्यान दे। अंत में, मैं निवेदन कर दूं, हमारी सरकार इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री सूबेदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५० नागरिक निर्माण कार्य में जो मांग सदन से माननीय मंत्री महोदय ने की है उसमें १ रु० का कटौती प्रस्ताव लालसोट तहसील में सड़कों की मरम्मत पर बहस करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। निवेदन यह है कि लालसोट तहसील में दौसा को और जयपुर को लालसोट से मिलाने वाली जो सड़क है वह अत्यन्त खराब है....

श्री परसराम मैंदरीना (आसीन) : पेपर रीडिंग हो रहा है ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : इस सड़क को वैसे प्रकृति ने ही खराब बना रखा है इसमें करीब १२ नले हैं। इन १२ नलों की वजह से सड़क पर चलती हुई मोटर में रहटक का आनन्द लिया जा सकता है यदि सड़क ठीक हो, किन्तु मौजूदा हालत में तो वे नले मोटर और सवारियां दोनों के लिये ही खतरे को जड़ हैं। यह भी याद रखने लायक है कि यह सड़क लालसोट तहसील की सब से अधिक ट्राफिक वाली सड़क है....

श्री परसराम मैंदरीना : कुछ जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, स्टेनो लिख नहीं सकता है, धीरे धीरे बोलिये।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : सब डिविजनल ऑफिस और जिला ऑफिस तथा राजधानी से मिलाने वाली सड़क है किन्तु इसकी हालत देखने पर आज के इन्तजाम और सरकार पर तरस आता है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय तथा अन्य मंत्रीगण इस सड़क पर होकर गुजरे हैं और सम्भवतः इस सड़क की खराबी का अनुभव भी किया होगा किन्तु कुछ करने के नाम पर बिल्कुल ही गोल है। यह सड़क दौसा से थोड़ी दूर चल कर ही

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

टूटी–फूटी है और १२ माइल करीब इसी हालत में है । झिलमिली पर तो इसकी हालत बहुत खराब है । इसके बारे में पचासों बार लिखा गया, कहा गया, मन्जूर किया गया, किन्तु नतीजे में बावड़ी का नाम गुलसप्पा । इस सड़क पर डामर करने के आश्वासन दिये जा चुके हैं, बार बार कहा जा चुका है, किन्तु होता कुछ नहीं है । यही हालत लालसोट से गंगापुर की सड़क की है । इसमें दो नले ऐसे आते हैं जिन्हें बरसात में बसें पार नहीं कर सकतीं और सवारियों को उतर कर जाना पड़ता है और कपड़े ऊंचे उठा कर पार करना पड़ता है । जनानी सवारियों के लिये तो ऐसी हालत में और भी दिक्कत हो जाती है । इसी तरह कैथुन-चाकसू जाने वाली सड़क अभी पूरी नहीं हो पाई है । इन सड़कों को कुछ अच्छे गांवों से मिलाने वाले टुकड़े जैसे कल्लावास, खुर्रा, दौलतपुरा, रामगढ़, डीडवाणा से मिलाने वाले टुकड़े बनाना आवश्यक हैं जो एक–एक, दो–दो मील के टुकड़े हैं ।

इतना कह कर मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित)

श्री किशनलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतराज ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं । पहला कटौती का प्रस्ताव है झालावाड़ जिले की आर्थिक व अन्तराज्य महत्व की सड़कों के निर्माण व विकास पर बहस करने के हेतु । अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले का जहां तक सम्बन्ध है, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस जिले की पूर्णतया उपेक्षा की गई है । जहां तक पहली पंचवर्षीय योजना का सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ जिले के अन्दर जिन सड़कों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह लक्ष्य न केवल पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा हुआ बल्कि दूसरी पंचवर्षीय योजना भी समाप्त होने को आई, चार साल बीत गये हैं लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है । इसका मतलब यह हुआ कि दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में थोड़े निर्माण के काम तो जिले में करवा सके लेकिन बाकी कामों से महरूम रह गये । यही नहीं, जो सड़कें बनाने का निश्चय किया गया था वह पूरा नहीं हुआ बल्कि कई आवश्यक सड़कों को नज़र अन्दाज़ कर दिया गया है । मैं निवेदन कर दूं कि सन् १९५३ में, जब माननीय भोलानाथजी निर्माण मंत्री थे, उन्होंने लालसोट तहसील का दौरा किया था । उनका अन्तराज्य सड़कों की ओर ध्यान दिलाया गया था और बाद में आने वाले निर्माण मन्त्री ने इस बात को स्वीकार किया था कि लालसोट जिले के पास मध्य प्रदेश का इलाका लगा हुआ है, ऐसी सड़कें हैं जिनको यदि बना दिया जाय तो उनसे न केवल राजस्थान की जनता का आर्थिक

Page No.36

(श्री सम्पतराज जैन)

विकास होगा, राजस्थान की जनता की उन्नति होगी बल्कि मध्य प्रदेश के इलाके की जनता को भी हर तरह की सुविधायें प्राप्त होंगी। तो जहां तक राजस्थान की लालसोट की जनता का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि दो सड़कें ऐसी हैं जिनको अगर बनवा दिया जाय तो उन पर राजस्थान का बहुत कम पैसा खर्च होता है। एक सड़क है, बकानी से बरखेड़ा तक आगे मध्य प्रदेश, और दूसरी सड़क है, मनोहर थाना से राजगढ़....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कितने मील है ?

श्री सम्पतराज जैन : ५-१० मील के टुकड़े हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े अगर बना दिये जायं, बकानी से बरखेड़ा तक, राजस्थान इलाके में और मनोहर थाना से राजगढ़ तक करीब से सम्बन्ध हो सकता है और अभी जो चक्कर खाकर और समय खर्च करके व्यापारियों को अपने काम के लिए वहां जाना पड़ता है वह पैसा और समय राजस्थान की जनता का बच सकता है न केवल बकानी बरखेड़ा, मनोहर थाना आदि की जनता का पैसा बच सकता है बल्कि पूरे राजस्थान का इससे फायदा होगा। जो ये ५-१० मील के टुकड़े राजस्थान की इन चार तहसीलों में पड़ते हैं ये सड़कें पहली पंचवर्षीय योजना में न बनाई जा सकीं, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन टुकड़ों को, अन्तराज्य सड़कों की जन हित की दृष्टि से निर्माण कराने का कष्ट करें। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा, इसके साथ साथ दोनों राज्यों के प्रशासनिक ऑफिसर्स को भी सुविधा प्राप्त होगी। राजस्थान के जो ऑफिसर वहां जाते हैं, उनको पैदल, घोड़े, गाड़ी में या और किसी तरह सफर करना पड़ता है और उनको आने जाने में काफी कठिनाई उठानी पड़ती है, राज्य कार्य के विषय में ऑफिसर्स को आना पड़ता है, ऐसी सूरत में इन दोनों सड़कों को बनाना बहुत आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि इनको जल्दी बनवा दिया जाय। गत वर्ष जब केबिनेट के सामने एम० एल० एज० प्रस्तुत हुए थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बरखेड़ा रोड के लिए स्वीकार किया था और कहा था कि यह मेरी देखी हुई है, इसको बनाना बहुत आवश्यक है, इससे जनता का पैसा बचेगा, समय की बर्बादी बचेगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता का आर्थिक लाभ भी होगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि कोटा भोपाल जो रोड है यह एक मुख्य रोड है और इस रोड से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की जनता का सम्बन्ध है। इस रोड पर कोटा से भोपाल बस भी चलने लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो सकता है कि रोडवेज़ का राष्ट्रीयकरण होने जा रहा है तो जयपुर से भोपाल तक बस चले तो इसी रोड पर होकर बस जायगी। ऐसी हालत में, मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान्, कि यह सड़क बनी हुई है, यह पत्थर की है, इस पर तारकोल नहीं हुआ है इसलिए तारकोल होना आवश्यक है। इसके साथ ही तीवधार, कालीसिन्ध, उजाड़ नदी है, ये यातायात को रोक देती हैं, २०-२२ दिनों तक सम्बन्ध बिल्कुल कट जाता है, न

(श्री सम्पतराज जैन)

डाक जाती है, न ट्रक आदि जा सकती है । तो कोटा भोपाल रोड का विकास किया जाय, यह जरूरी काम है और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कोटा से भोपाल रोड पर यह पुल बन रहा है, उम्मीद है कि वह शीघ्र ही पूरा हो जायगा । पर इसके साथ ही कालीसिन्ध नदी पर भी पुल बनना आवश्यक है । अभी वहां पर रपट बना हुआ है, इसके स्थान पर पुल बनना आवश्यक है क्योंकि वर्षा के दिनों में बाईस २ दिन तक बसें, डाक वगैरह ठप्प पड़ी रही थीं और डाक, बसेज़ और सारा यातायात बिल्कुल अवरुद्ध हो गया था। इसलिये इस पर भी पुल बनना आवश्यक है ।

इसके साथ ही साथ, माननीय अध्यक्ष मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तीन धारा के पास पुल बनना चाहिये । असनावर के पास में उजाड़ नदी है, अरणिया के पास नदी है इनके ऊपर भी पुल बनने चाहिये तभी जयपुर भोपाल का यातायात निर्बाध रूप से चल सकता है । मैं समझता हूँ मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और इन पुलों का निर्माण शीघ्र ही करवायेंगे ....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : मन्त्री महोदय घर के ही हैं ।

श्री सम्पतराज जैन : घर के जरूर हैं, पर घर के नहीं सारे राजस्थान के हैं, पर कहीं दिया तले अन्धेरा न रह जाय ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : दिया तले तो अन्धेरा रहता ही है ।

श्री सम्पतराज जैन : मैं उम्मीद करता हूं कि दिया तले अन्धेरा नहीं रहेगा, उनके लिये सारा राजस्थान एक ही समान है । तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी दो पंचवर्षीय योजनाओं में उपेक्षा रही है, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे ये काम पूरे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि आर्थिक महत्व की सड़कें झालावाड़ में बननी आवश्यक हैं । उनकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है । खानपुर से अकलेरा रोड के लिये ५८–५९ के बजट में रकम रखी गई थी । मैंने चीफ इन्जीनियर महोदय को पत्र लिखा था तो उन्होंने कहा था कि इस वर्ष सड़क बनाई जायगी लेकिन जब बजट देखा तो उसमें सड़क का नाम भी गायब और पैसा भी गायब । ६०–६१ के बजट में तो इसके लिये कोई रकम नहीं रखी गई है । यह समझ में नहीं आता कि खानपुर से अकलेरा सड़क बनाना ५८–५९ में तय हो चुका था और इसके लिये रकम रखी थी तो क्यों नहीं उसको बनाया गया और अब ६०–६१ के बजट में भी इसके लिये रकम नहीं रखी गई है, इसके पीछे न मालूम क्या कारण है ? अब मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये रकम रखा जाना आवश्यक है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल इसी सडक को झालावाड़ में बनाना स्वीकार किया गया था, दूसरी सड़कें प्रथम पंचवर्षीय योजना में रख ली गई थीं पर इनमें से एक भी सड़क नहीं बनी है। तो इस तरह एक सड़क भी इन दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे झालावाड़ में नहीं बनी है । अब २–

Page No.38

(श्री सम्पतराज जैन)

अप्रेल से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष शुरू हो रहा है इसके अन्दर तो इनको अवश्य पूरा करा दिया जायगा, ऐसी मैं मन्त्री महोदय से उम्मीद रखूंगा।

चुटीले से लास तक की सड़क पर छापी नदी पर पुल न होने के कारण छापी नदी सारे यातायात को वर्षा के दिनों में रोक देती है। मनोहर थाना से अकलेरा, हरनावदा होकर सड़क जाती है। उसके ऊपर कालीकार के ऊपर पुल नहीं बना तो मनोहर थाना तहसील और मनोहरथाना खास का सम्बन्ध जो हमेशा से कटता रहा है वह कटता रहेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे इसी साल वर्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही बनवाया जाय।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि मनोहर थाना, अकलेरा सड़क बन गई है, उस पर पुलिये नहीं बने हैं, इस कारण बरसात में यातायात बन्द रहता है इसलिये मैं, मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के काम बाकी पड़े हैं इनको पूरा करावें। थाना धार से बकानी सड़क की मरम्मत करवाना आवश्यक है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसकी शीघ्र ही मरम्मत करवाई जाय। इसके साथ साथ निवेदन करूं कि ये कार्य पूरे क्यों नहीं हुए हैं, इनके कारण माननीय सदस्यों ने निवेदन किये ? मैं यह निवेदन करूंगा कि सहकारी समितियों से ये कार्य क्यों नहीं करवाते हैं ? इन कार्यों का सहकारी समितियों को ठेका दे दें और पंचायत एरियाज़ में हैं उनका ठेका पंचायतों को दे दें और ओवरसियर, व इन्जीनियर बगैरह सहकारी समितियों और पंचायतों को मार्ग दर्शन करें तो ये कार्य शीघ्र हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में तो कम से कम हमारी सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा होगा।

झालावाड़ जिले की आर्थिक व अन्तराज्य महत्व की जो सड़कें हैं उनके निर्माण व विकास का कार्य शीघ्र ही पूरा होगा, यह मैं, मन्त्री महोदय से उम्मीद करूंगा।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि मनोहर थाना तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। मनोहर थाना तहसील हैडक्वार्टर, पंचायत समिति का स्थान और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। यहां इसके तीन तरफ नदियां हैं वहां बरमा नदी पर मनोहर थाना को बाढ़ से बचाने के लिये पहले एक दीवार बनी हुई थी। यह दीवार नदी की बाढ़ के पानी से मनोहर थाना कस्बे की रक्षा करती थी पर तीन—चार साल पहले बड़े जोर की बाढ़ आई थी तो वह दीवार टूट गई और पानी कस्बे के अन्दर घुस आया, इससे सौ दो सौ घर बह गये और पचास—साठ हजार का नुकसान उठाना पड़ा। उस दीवार का अभी तक निर्माण नहीं कराया गया है जब कि उस दीवार को टूटे तीन—चार वर्ष होने आये हैं। मैं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये निवेदन करूंगा कि जब जनता को इतना नुकसान उठाना पड़ता है तो केवल पांच दस हजार रुपया खर्च लगा कर पी० डब्ल्यू० डी० विभाग इस दीवार की मरम्मत क्यों नहीं करवाता ? बरमा नदी पर यह दीवार ही मनोहर थाना कस्बे की बाढ़ से रक्षा करती है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस दीवार का निर्माण वर्षा के आने के पहले पहले करवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम ।

श्री परसराम मैदरीना (श्रासीन) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कट मोशन नं० ५३ को मूव करता हूं। जोधपुर जिले की ओसियां तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने तीन सड़कें बनवाने का प्रावधान रखा था। उन तीन में से एक सड़क ओसियां से खींवसर है उसको सेंट्रल रोड फंड के अन्दर बनवाने की सरकारी योजना थी। ढाई साल पहले इसका बनना शुरू हुआ, आधी नागोर जिले में और आधी जोधपुर जिले में बननी शुरू हुई तो जहां तक जोधपुर जिले का प्रश्न है केवल ४ मील डेढ़-दो साल पहले बनी है, बाकी काम बन्द पड़ा है। ग्रेवल रोड बनने का है पर जो मेटीरियल इस पर डाला गया है वह फेअर वेदर रोड जैसा है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि ये छोटे-छोटे टुकड़े. जो तीन-चार महीनों में पूरे हो जाने चाहिये थे वहां तीन-तीन-चार वर्ष लगते हैं। १८-१६ मील का यह जोधपुर का टुकड़ा है, इस ओर ध्यान देंगे और जल्दी ही इस सड़क को बनाने की कोशिश करेंगे।

दूसरे, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि दो रोड्स और बनाने का प्रावधान रखा था उनमें एक ओसियां से भीकमकोर सड़क है। इसमें भी केवल तीन-चार मील सड़क बनी है और अब डेढ-दो साल से यह काम बन्द पड़ा है इसकी क्या वजह है? मैंने एक दो दफा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था पर कोई प्रगति नहीं हुई।

तीसरी, रोड के टेन्डर्स दो दफ़ा इन्वाइट हुए। वे टेन्डर्स इन्वाइट होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं किया। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां तक मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी का प्रश्न है इस दिशा में सरकार का रवैया ऐसा रहा है जो वहां की जनता में असंतोष का कारण है। मैं उम्मीद करूंगा कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त होने के पूर्व ही रोड्स के निर्माण का कार्य पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह इस प्रकार है :-

"To discuss the failure of the Government tc mamtain the Sojat-Bilara Road properly" सोजत और बिलाड़ा के तहसील हैड क्वार्टर हैं उनको जोड़ने के लिये कुछ समय पहले सड़क बनाई। इस सड़क की सरकार की ओर से वक्त पर मरम्मत नहीं हो रही है। यह सड़क संवत् १६६६ में जब मारवाड़ में फेमिन पड़ा था उस समय वहां के हिज़ हाइनेस ने फेमिन रीलीफ़ वर्क्स में बनाई थी। यह सड़क दोनों तहसील हैड क्वार्टरों को मिलाती है और इसके एक तरफ तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे का और दूसरी ओर वेस्टर्न रेल्वे का स्टेशन है। यह एक बहुत महत्व की सड़क है और इसमें मडली और अटपडा में लाइम स्टोन बहुत मिलता है जिसका लाइम हिन्दुस्तान में दूर दूर तक जाता है। इस सड़क की कोई मरम्मत नहीं हो रही है। अब तक मोटरों के चक्कों के अलावा कोई उधर सड़क का निशान नहीं मिलता। इसलिये मैं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये सरकार का और माननीय मंत्री महोदय

(श्री तेजाराम गहलोत)

का ध्यान आकर्षित करता हुआ यह निवेदन करूंगा कि आवागमन और इन्डस्ट्रीज़ के लिहाज़ से और तहसील हैड क्वार्टर के लिहाज़ से अगर पक्की बनाने का प्रबन्ध नहीं हो सके तो ऐसा अवश्य प्रयत्न किया जावे जिससे मोटर आसानी से आ जा सके। क्योंकि इसके बीच में जो कुछ भी गांव पड़ते हैं उनमें न तो लोगों को मोटर या रेल की सुविधा मिलती है इसलिये वह उनको मिल सके। इसलिये जब तक वहां पक्की मैटल रोड नहीं बने तब तक गैंग लगा कर इसको ठीक करवाया जा सके ताकि सबको फायदा मिल सके।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण के संबन्ध में एक सड़क कोटपुतली से डाबला तक निर्माण करने के लिये है। यह सड़क ठिकाने के समय से बनी हुई है। उस समय की बनी हुई होने से उसकी देख-रेख नहीं की जाती है और इस वजह से वह सड़क धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। मैंने इसके लिये पहले भी सरकार को जानकारी दी थी कि इतनी बड़ी सड़क किसी सरकारी पैसे से पूरी न की जावे तो १० मील का जो टुकड़ा है जहां बहुत ज्यादा आवागमन के साधन हैं और आवागमन चलता है, वह टुकड़ा इतना महत्वपूर्ण है और जिसमें करीब करीब एस० डी० ओ० हैड क्वार्टर, कोट-पुतली और अधिकतर छोटे छोटे कस्बे हैं जो उसके पास में बसे हुए हैं। नारेड, काकडी, खुवाडा आदि। हर गांव की तीन–तीन हज़ार और ढाई-ढाई हज़ार की आबादी है और लोगों को आने-जाने में बहुत असुविधा होती है। गाड़ियें बंसूर से डाबरा होकर जाती हैं। इस तरह बन्सूर से कोट तक सड़क राजस्थान सरकार ने बनाई है। अगर यह सड़क नाडेर–कोटपुतली रोड तक पूरी करते हैं तो इसमें ठिकाने की तरफ से जो रोडी लगी वह पड़ी हुई है और अगर इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो यह सड़क बिल्कुल खराब हो जावेगी। इस १०, ५ साल के दौरान में इस सड़क पर बहुत गहरे गड्ढे पड़ रहे हैं और अगर कोई मरम्मत नहीं कराई गई तो मैं आशा करता हूं कि ऐसा समय आ जावेगा कि जिससे यह मालूम नहीं होगा कि यहां पर कोई सड़क थी। अत: माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस डाबला कोटपुतली रोड पर जो कोटपुतली से नारेडा तक ५ या ७ मील का जो टुकड़ा है इसको किसी भी तरह से चाहे बचत में से पैसा निकाल कर या किसी प्रकार की योजना बना कर इसकी मरम्मत की जावे वर्ना जब यह सड़क बिल्कुल खराब हो जावेगी और इसकी कंकरीट और रोडी है वह वर्षा, गर्मी आदि के आने से बिल्कुल खराब हो जावेगी और जिस समय नई सड़क बनाने की बात आवेगी तो आपको बहुत खर्चा लगेगा। इस समय यदि इसकी मरम्मत की जावे तो मामूली पैसों में ठीक हो सकेगी और इस समय मरम्मत नहीं की गई तो धीरे धीरे वर्षा, गर्मी, धूप वगैरह और इधर–उधर गाड़ियें चलती हैं उससे नष्ट हो कर सड़क का नामो निशान नहीं रहेगा और फिर से सड़क को बनाने में पूरा पैसा खर्च करना होगा। अत: पुन: सरकार से निवेदन है कि यह करीब ७ मील का टुकड़ा है इसको अवश्य ठीक करा दिया जावे और इसको मरम्मत के लिये अवश्य ले ताकि कम पैसों

(श्री रामकरणसिंह)

में सड़क की मरम्मत हो जावेगी और गाड़ियों के आने जाने में भी रूकावट नहीं होगी और इसके साथ साथ लोगों को सहूलियतें भी मिलेंगी और सरकार को सड़क को बाद में पूरी की पूरी बनाने में बहुत पैसा खर्च होगा, इससे भी पैसे की बचत होगी।

अत: इस प्रस्ताव के जरिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आवश्यक धन-राशि निकाल कर खर्च करेंगे और आवागमन के लिये जनता को सुविधा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि राजस्थान सरकार यातायात के साधनों के लिये बहुत रुपया स्वीकृत करती है और रुपया खर्च भी किया जाता है लेकिन बजट के साथ जो परिशिष्ट देते हैं उसमें जिस कार्य के लिये अंक अंकित किये जाते हैं उन सड़कों के अलावा दूसरी सड़कों में वह रुपया खर्च कर दिया जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब बजट विधान सभा में पेश होता है और जो उसके साथ परिशिष्ट दिये जाते हैं तो फिर रुपया उसमें बतलाई सड़कों पर खर्च न होकर दूसरी सड़कों पर क्यों खर्च किया जाता है? मैंने देखा है कि बजट में हर साल किशनगढ़ से करकेड़ी रोड के लिये कुछ न कुछ रकम रखी जाती है। कभी ४० हज़ार तो कभी ५० हज़ार रुपया रखा जाता है। मगर वह रुपया उस पर खर्च नहीं होता। इस साल जब बजट देखा तो इस साल के बजट में इस सड़क का नाम ही नदारद। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि हज़ारों लोग यहां पर विदेशों से निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य के दर्शन के लिये आते हैं। हमारे यहां प्रदेश में जिस प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय है उसी प्रकार दूसरा निम्बार्क सम्प्रदाय है और जिस प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान में नाथद्वारा में है उसी प्रकार निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य का सलेमाबाद में स्थान है। यहां पर देश विदेश के लोग आते हैं और सारे भारतवर्ष के लोग इन आचार्य के यहां आते हैं और जब लोग किशनगढ़ के स्टेशन से उतरते हैं और उनके स्थान की तरफ जाते हैं तो उनको यह पता चलता है कि राजस्थान में सड़कें नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी आपको निवेदन करूंगा कि इसके आसपास पींगलोद गांव है जहां पर काला मार्बल निकलता है जिसका पत्थर अशोक होटल में लगा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : अशोक होटल कहां है?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : बम्बई में।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : दिल्ली में है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : पहले यह काला मार्बल का पत्थर इटली से आता था। यह सलेमाबाद के पास गांव है। इस पत्थर को सैकड़ों रुपये खर्च करके लोग ले जाते हैं, सब जगह यह जाता है। तो मैं यह निवे-

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

दन करना चाहता हूं कि धार्मिक दृष्टि से, दार्शनिक स्थान होने के नाते और व्यापारिक दृष्टि से व आवागमन की दृष्टि से इस सड़क का बनाना बहुत जरूरी है । इसके निर्माण को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया था और यह कहा गया था कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में इसको निश्चित रूप से पूरा कर दिया जाएगा मगर इस साल बजट में ही रुपया नहीं रखा गया। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर गौर करें और इस सड़क को बनाने की पूरी पूरी शीघ्र कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : कटौती के प्रस्ताव समाप्त हुए ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के कटौती के प्रस्ताव बाकी हैं। अगर आप आज्ञा दें तो बोल लें ।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में ही बोलें ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्तुत मांग के सम्बन्ध में दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। पहले कटौती प्रस्ताव के जरिये मैंने यह मांग की है जो सड़कें डेवलप्मेन्ट ब्लॉक्स के जरिये या ग्राम पंचायतों के ज़रिये श्रमदान से निर्मित की जाती हैं उन सड़कों पर बाद में जाकर कोई देख-रेख करने वाला नहीं होता है और उसका परिणाम यह होता है कि लाखों रुपया उन सड़कों पर खर्च करने के बाद जो सड़कें डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स के ज़रिये से या पंचायतों के ज़रिये जिन सड़कों का निर्माण हुआ है वे नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। मैं यह, अध्यक्ष महोदय, चाहता हूं कि इसके लिए एक सिद्धान्त के तौर पर राज्य सरकार प्रावधान रखे और व्यवस्था करे कि जो सड़कें ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में ब्लॉक डेवलप्मेन्ट अथवा जनता के श्रमदान या जन सहयोग से बनाई गई हैं, यदि वे पक्की न भी बनाई जा सकें तब भी उनके मेन्टीनेन्स की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ऐसी कोई एक सिद्धान्ततः समीचीन व्यवस्था होनी चाहिये ।

मैं उदाहरण के तौर पर अपने क्षेत्र की तीन सड़कों के बारे में, इस ओर, राज्य सर-कार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक सड़क है आमेट से होकर दवेर नेशनल हाई वे की जो खाकरमाला नंदाण को जाती है। खाकरमाला और नंदाण वह क्षेत्र है जहां कि पहले पुलिस अधिकारी भी जाने में हिचकिचाते थे क्योंकि उस क्षेत्र में डाकू लोगों ने अपना क्रियाकलाप और कार्य क्षेत्र बना रखा था। मैं समझता हूं कि जब जनता ने उस आवश्यकता को महसूस किया और काफी श्रमदान देकर एवं ब्लॉक का पैसा भी जहां काफी खर्च हुआ उस महत्व-पूर्ण सड़क का निर्माण किया गया । आज उस सड़क की स्थिति को देखें तो साधारण गाड़ियां तो क्या जीप भी आजकल उस रास्ते से नहीं निकल सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब काफी पैसा राज्य सरकार का और जनता का खर्च हुआ, काफी जन सहयोग भी किया गया तो ऐसी महत्वपूर्ण सड़क की रक्षा और मेन्टीनेन्स के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करे। एक बात, मैं बराबर अनुभव करता हूं कि हमसे कहा जाता है कि जन सहयोग से कच्ची सड़कें, फेयर वेदर रोड्स बनाई गई तो ग्राम पंचायतों को उनकी

(श्री मनोहर कोठारी)

देखरेख करनी चाहिये। मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि न तो आज ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति ऐसी है और न ही उनके पास देखरेख करने के लिए कार्यकर्ता हैं जो कि समय समय पर देखरेख करते हुए उनकी मरम्मत की व्यवस्था कर सकें। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और राज्य सरकार को सोच-समझ कर एक नीति इस विषय में निर्धारित करनी चाहिये कि ऐसी महत्वपूर्ण सड़कों के कार्य और मरम्मत पी. डब्ल्यू. डी. रोड्स एण्ड बिल्डिंग्स में हो। राजसमन्द से कुंभलगढ़ घाट का थोरिया के बीच घाटे को चीर कर एक सड़क जाती है। बरसात में यह सड़क बन्द हो जाती है और आज जाने की स्थिति नहीं है, सड़क बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस स्थिति को देखना अवश्य चाहिये। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जरूर चाहिये और हमारे निर्माण मंत्री महोदय को सद्भावनापूर्वक इस पर विचार करना चाहिये, यह मेरी भावना है और मांग है।

१ म० प०

दूसरा कटौती प्रस्ताव मैंने जो प्रस्तुत किया है वह है उदयपुर से कुंभलगढ़ की एक सड़क का। जब मेवाड़ का राज्य था, अलग से महाराणा का राज्य था, उस समय भी कई वर्षों पूर्व उस सड़क का निर्माण हुआ था और इसको पहली बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क कहा जाना चाहिये जोकि उस समय उदयपुर राज्य में निर्माण की गई थी। उस सड़क से जो व्यक्ति निकलता है वह यह अनुभव जरूर करेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा कभी मिट्टी डलवाने के बाद कोई उसके मेन्टीनेन्स की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि महत्वपूर्ण सड़क को बर्बादी से बचाया जा सके। उस सड़क की हालत बड़ी खराब हो गई है, पिचिंग खराब हो चुका है और मिट्टी भी नहीं रही है। कुंभलगढ़ जैसे सुन्दर और प्राकृतिक स्थान को देखने के लिए हमारे राजस्थान के एवं हिन्दुस्तान के ही व्यक्ति नहीं आते हैं किन्तु बाहर से विदेशी लोग भी आते हैं। यदि उन सड़कों की राज्य सरकार मेन्टीनेन्स नहीं करेगी, देखरेख नहीं करेगी तो ज्यादा शोभनीय बात नहीं कही जा सकती है। इसलिए इस कटौती प्रस्ताव के जरिये मैं माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा और उनका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसी ऐतिहासिक सड़क को, उस प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थान को देखने लिए आते हैं, अच्छे ढंग में रखने का प्रयत्न करें और यह बहुत आवश्यक भी है क्योंकि ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। बरसात में तेज पानी के फ्लो के कारण रास्ते कट जाते हैं, सड़क की मिट्टी वगैरा बह कर सारी सड़क खराब हो जाती है। कम से कम बरसात के बाद उनकी मरम्मत की जा सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तो बरसात के बाद ही वे सड़कें नष्ट–भ्रष्ट हो जाती हैं और उस सड़क पर तो ट्रान्सपोर्टेशन की व्यवस्था की दृष्टि से भी इसको देखना चाहिये। वैसे अभी मोटरें चलती हैं और यदि वे चाहें तो मिट्टी डाल कर कम से कम अपनी मोटरों के आने जाने की व्यवस्था करते हैं अन्यथा नहीं। इस ओर राज्य सरकार की ओर से ध्यान नहीं गया है। ऐसी महत्वपूर्ण सड़क को यदि

(श्री मनोहर कोठारी)

पक्की बनाया जा सके तो बहुत ही अच्छा है। खास कर कुम्भलगढ़ जैसे ऐतिहासिक किले के स्थान की रमणीयता की एवं बाहर से विदेशियों के आते रहने की दृष्टि से भी इस सड़क की उपयोगिता हो सके एवं लोगों को भी कष्ट न हो, कम से कम इसकी मरम्मत तो कराते ही रहना चाहिये। इन बातों को कहते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन सड़कों की व्यवस्था करें।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरे दो कटौती प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा और विकास खण्डों के द्वारा जो सड़कें बनती हैं उनके सम्बन्ध में हैं। माननीय अध्यक्ष, हमारी सरकार की तरफ़ से तीन तरह की सड़कें बनती हैं।

श्री चन्द्रसिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री मोतीलाल : एक तो इन्टर स्टेट और एक इन्टर डिस्ट्रिक्ट....

(गणपूरक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह सरकार के विकास खण्डों द्वारा जो सड़कें बनती हैं उनकी मरम्मत के सम्बन्ध में है। सरकार द्वारा सड़कें बनती हैं, राजस्थान में इनकी प्रगति हो रही है और आशा है और होगी। लेकिन सड़कें बन जाने के बाद उनकी मरम्मत नहीं होती। मरम्मत के लिए रुपया भी रखते हैं लेकिन जिन खास सड़कों पर मरम्मत की आवश्यकता है उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। विकास खंडों के द्वारा जो सड़कें बनती हैं उनको पी.डब्ल्यू. डी. विभाग के द्वारा नहीं लिया जाता और न विकास खंड में मरम्मत के लिए पैसा रखते हैं। एक खाटू कटौती सड़क है जो सम्वत् १९९२–९६ में बनी थी, पूरी नहीं बनी है। उस सड़क पर इतना लोड है कि उसको देखते हुए उसकी कोई मरम्मत नहीं होती। इसके लिये चीफ़ इन्जीनियर को मालूम है और इस महकमे के जो पहले मंत्री महोदय थे उनको भी मालूम था। यह सवाल बहुत इम्पोर्टेन्ट है। नागौर जिले में मकान बनाने के लिए जो पत्थर है वह पास ही से निकलता है। बीकानेर और चुरू में भी वह पत्थर मकान बनाने के काम में आता है। १४ मील का टुकड़ा है, २०–३० गाड़ियां रोज चलती हैं। मेटल्ड रोड बनाने का तो प्रोग्राम नहीं है लेकिन ग्रेवल रोड का भी नहीं है। पत्थर का लोड होने से वहां पर गाड़ियां फंस जाती हैं और माल जिस समय पहुंचना चाहिये नहीं पहुंच सकता है। इससे खान में मज़दूरों को तकलीफ होती है। उनका माल वहां पर पड़ा रहता है और जिन कन्जुमर्स को मिलना चाहिये उनको भी समय पर नहीं मिल सकता। कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इनकी पट्टियां काम में आती हैं लेकिन समय पर वहां पर भी नहीं पहुँच सकता है; इसलिए रकम लैप्स हो जाती है।

ये तीनों तरह से दिक्कत हैं। मेटल्ड रोड नहीं होने से काफी असुविधा है। खाटू से पाटोती तक का जो मार्ग है उसमें से एक–डेढ़ मील का टुकड़ा करलिया लेकिन उतने में मेटल्ड रोड नहीं बन सकी। वहां पर यदि रोड बनाई जाती है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, दो हाथ के नीचे पत्थर है। यदि वह बन जाती है तो सुविधा यह होगी कि गवर्नमेंट

(श्री मोतीलाल)

के जो वर्क्स हैं, पब्लिक वर्क्स हैं वे आसानी से हो सकेंगे और समय पर पत्थर पहुंच जाया करेगा और मज़दूरों को काम मिलेगा, गाड़ियों को काम मिलेगा और गवर्नमेंट का रुपया लैप्स नहीं होगा।

इसके अलावा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है लाडनूं से पाटोदी तक का पांच मील का टुकड़ा पांच साल से बना हुआ है और आधा पड़ा है उसके ऊपर ग्रेवल तक नहीं किया गया, मरम्मत नहीं हुई। सेकन्ड फाइव इयर प्लान में दूसरे रोड्स को ले लिया गया। मरम्मत का काम छोड़ कर दूसरी रोड्स को ले लिया जाता है तो इससे काफी नुकसान होता है। कई रोड्स ऐसी हैं जो प्रथम पंच वर्षीय योजना में बनी लेकिन उस पर फिर ध्यान नहीं रखा गया इस कारण उनमें गड्ढे पड़ गये, मरम्मत नहीं होती। इस तरह से होता क्या है कि नई रोड्स तो हम बनाते जाते हैं और पुरानी बर्बाद होती जाती हैं। कल जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि भरतपुर में रोड्स की हालत यह है कि पांच मील आगे बनती है तो पिछली सात मील साफ हो जाती है; आगे बढ़ते रहने से यह बात जरूर है कि आपका माइलेज़ बढ़ता है किन्तु पीछे की सड़क की मरम्मत न होने से वह खत्म हो जाती है। इसी प्रकार विकास खंडों के द्वारा जो रोड्स बनती हैं तो उनकी मरम्मत के लिये भी विकास खडों के के पास फण्ड्स नहीं होते। लादडिया टू बाडी रोड बनी थी उसके बाद में उस पर पैसा नहीं खर्च हुआ जो ग्रेवल थी वह भी साफ हो गई और अब यह फेअर वेदर रोड बन गई। इसी प्रकार फेमिन की रोड्स होती हैं वे फेमिन के समय जितनी बन जाती हैं उतनी ही पड़ी रहती हैं फेमिन के खत्म होते ही वहां का काम भी खत्म हो जाता है और जितना टुकड़ा बन पाया उतना ही बना रहता है। इस प्रकार लाखों रुपया खर्च हो जाता है लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करने से कई जगह खड्डे पड़ जाते हैं। इसी प्रकार कई छोटी रोड्स होती हैं यदि आप उनकी मरम्मत के लिये आगे फण्ड्स नहीं रख सकते तो आपको फेमिन रोड्स लेनी ही नहीं चाहिये, ले तो उसके बाद कन्टीन्युएशन में लेनी चाहिये।

इसके अलावा कुछ रोड्स ऐसी भी हैं जो श्रमदान में बनी हैं। श्रमदान के समय में ब्लॉक में ये काम शुरू किये गये। श्रमदान के कारण काफी वर्क हुआ है। लेकिन जो कुछ बाकी काम रह जाता है वह पड़ा रहता है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आपको इसके लिये फण्ड्स रखने चाहिये चाहे वे फेमिन रोड्स हो। श्रमदान द्वारा निर्मित रोड्स हों उनके लिये फण्ड होना चाहिये ताकि जो कुछ बाकी रह जाय वह पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ उसकी मरम्मत आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रानी और गच्छीपुरा तक का जो १८ मील का टुकड़ा है वह श्रमदान से बना था। उसमें क्या हुआ कि आधी दूर तो ग्रेवल पड़ गया बाकी जगह नहीं पड़ पाया है। इस तरह से करीब ११ मील की रोड पड़ी है। श्रमदान से बनाये हुए मार्ग पर यदि ग्रेवल गिर जाता है, काफ़ी बड़ी बचत हो जाती है। आप मानिये कि कम से कम इससे एक लाख रुपये की बचत हुई है। उसमें से करीब ५० हज़ार का काम तो हो गया है। रोड जो बन गई है उस पर ग्रेवल डाल दिया जाय तो वह कम्पलीट हो

(श्री मोतीलाल)

जाती है। सरकार की जो पी० डब्लू० डी० रोड्स हैं, श्रमदान की कई बनती हैं, उनकी मरम्मत के लिए आप पैसा नहीं रखते हैं तो उनका फायदा किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। फेमिन के समय में जो रोड्स बनती हैं उस समय में मज़दूरों को मज़दूरी भी आधी दी जाती है। मान लीजिये उस समय डेढ़ रुपया मज़दूरी होती है तो १२ आने और १० आने मज़दूरों को दी जाती है। इस तरह से आधी कीमत में रोड्स बनती हैं। ओटोमेटिकली जहां आपका एक लाख रुपया खर्च होता है वहां केवल ५० हज़ार रुपये से काम चल जाता है। इसलिये जो इस प्रकार की रोड्स बनती हैं उनके सम्बन्ध में सरकार को बराबर ध्यान देना चाहिये।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है, वह पंचायतों और पंचायत समितियों को अनुदान देने के संबन्ध में है। इसके लिए कुछ रुपया हमने रखा है, उसके लिये मेरा निवेदन है कि पंचायतों और पंचायत समितियों को उनकी जनसंख्या उनकी लम्बाई चौड़ाई को देखते हुये यह धन राशि दी जानी चाहिये। जैसा कि आप म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्दर में जो सड़कें होती हैं उनके लिये जिस अनुपात से खर्च करते हैं उतना आप पंचायत और पंचायत समितियों को अनुदान नहीं दे रहे हैं। पंचायत समिति में कोई रोड़ बनती है तो उसके लिये आप ग्रान्ट-इन एड नहीं देते हैं और म्युनिसिपैलिटीज़ को हेरफेर करने के लिये काफी रुपया आप ग्रान्ट-इन एड के तौर पर देते हैं। उदाहरण की तौर पर निवेदन करूं जयपुर के जौहरी बाजार की सड़क है इसमें हम देखते हैं कभी इधर से टूट फूट होती है तो कभी उधर से। इसी में काफी खर्चा आप कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आप म्युनिसिपैलिटीज को हेरफेर के लिए और सड़क को बदलने में ग्रान्ट-इन-एड देते हैं लेकिन गांवों में जो कोई रोड बनाते हैं तो उसको आप ग्रान्ट-इन-एड नहीं देते हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ को आप चाहे जितना दें इसमें मुझे एतराज़ नहीं। आप उनकी सीमा में सड़कें कांच की बनवा दें मुझे कोई एतराज़ नहीं लेकिन गांवों में कॉम्युनिकेशन के लिये जो लोगों को आवागमन की सुविधा नहीं है यदि वहां पर ग्रेवल रोड बन जाती है तो आप पंचायतों को ग्रान्ट-इन-एड के रूप में पैसा दें। इसके लिये जो आपने फण्ड रखा है वह बहुत कम है और ज्यादा रखा जाना चाहिये। इससे यह भी होगा कि पंचायत समितियें, पंचायतें यदि जिला हैड क्वार्टर से सम्बन्ध रखने के लिये किसी सड़क का कार्य हाथ में लेती हैं श्रम दान से या किसी प्रकार से बनवाती हैं तो उसके लिये आपकी ओर से ग्रान्ट-इन-एड दी जानी चाहिये। श्रमदान से जो रोड आधी रह जाती है गांव के लोग उसे बनाते हैं पंचायत के दृष्टिकोण से गवर्नमेंट को उसमें ग्रान्ट-इन-एड देनी चाहिये, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सूबेदारसिंह (बाडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं पुरानी सड़कों की मरम्मत के बारे में। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर साल अपने बजट में इतना रुपया रखती है कि हम नई सड़कें इतनी बनायेंगे और उधर क्या होता है कि पुरानी जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत न होने के कारण वे नष्ट होती जाती हैं और नई सड़कों के लिये प्रावधान करते जाते हैं।

(श्री सूबेदारसिंह)

धौलपुर में जितनी भी पुरानी सडकें हैं उनमें आधी से ज्यादा अधिकांश सड़कें बनने के दूसरे–तीसरे महीने से ही हम देखते हैं, उनकी गिट्टियां उखड़नी शुरू हो जाती हैं और इस तरह से वे अस्त-व्यस्त तरीके से चलती हैं।

धौलपुर से बसेड़ी सड़क जाती है। उस पर से रोज आठ–दस बस सर्विस की बसें, चार–पांच आगरा से माल ढोने ट्रक और बाकी रोजाना पत्थर ढोने वाली ट्रकें चलती रहती हैं। पर वह पार्वती नदी से बसेड़ी जाने वाली सडक का दो मील का टुकडा ऐसा खराब है कि सडक की गिट्टी उतर उतर कर खेतों में चली जाती है।

धौलपुर से भरतपुर, भरतपुर से पुऊ तक भी यही हाल है। किसानों के खेतों में गिट्टी जाती है, वे अलग हैरान हैं। उनके खेत सडक के नज़दीक पड़ते हैं तो इस तरह मैटल सड़क पर न रह कर खेतों में जाता है। वहां अलग किसानों का नुकसान करता है और इधर ट्राफिक वालों को अलग नुक–सान है।

रियासत के समय में बनी सड़क है बसेड़ी से बामन वासरई जहां करोली और भरतपुर की रियासत की सीमाएं मिलती हैं उस पर आज भी पत्थर ढोने वालों के ट्रक चलते हैं और और चलते हैं, काफी ठीक है। उन स्टेटों का कितना रुपया खर्च हुआ? उसकी मरम्मत कराने पर भी विभाग ध्यान नहीं देता। बाकी सड़क अधूरी पड़ी है, लोगों को काफी असुविधा और कठिनाइयां होती हैं।

धौलपुर से राजाखेड़ा सड़क टीक करवाई गई और भी जितनी नई सड़कें बनती हैं वे आज साल भर से अधिक नहीं चलतीं। पुरानी सड़कों की मरम्मत आप करवाते नहीं। आपकी नई सड़कों की हालत साल भर से ज्यादा ठीक रहती नहीं, बरसात में सब साफ हो जाती हैं।

ऐसी स्थिति में आपको नई सड़कों के बनाने की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिये। पहले जितनी चीजें घर में मौजूद हैं उनकी ही आप व्यवस्था ठीक तरह से कर लें वर्ना आगे नई बनती जावें और पीछे वाली टूटती जावें तो जनता में असन्तोष बढ़ता है, जनता में इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होती।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है श्रमदान से सड़कें बनाई जावें। सरमथुरा से फिरई दस मील दूर है। वहां से अब तक लोग ऊंट-गाड़ी से या पैदल जा सकते थे। वहां से ट्रक मोटर का रास्ता नहीं था। कई जगह तो ऐसी हैं जहां लोगों को पैदल उतर कर चलना पड़ता है। वहां एक हज़ार आदमी रोजाना लग कर २५-३० दिन में या पचीस-तीस हज़ार आदमियों ने सारी सडक को साफ किया चौड़ा किया। ब्लॉक की जीप को उस पर से पहले पहल ले गये। मैं भी वहां था उस मौके पर। गांव वालों ने उस मोटर की पूजा की क्योंकि उनकी जिन्दगी में सबसे पहली बार गाड़ी उस गांव में पहुंची थी। इस प्रकार का लोगों में उत्साह पैदा हुआ। इस उत्साह को देख कर ब्लॉक ऑफिसर ने यह कहा कि यह सड़क सरकार द्वारा ठीक करादी जावेगी। हर साल ठीक कराई जाती है, पर वह पहाड़ी इलाका है, सरकार ध्यान दे और उसे पक्की करवा दे तो अच्छी बात है।

(श्री सूबेदारसिंह)

उसकी घाटियां ठीक करादी जावें। इस रास्ते से मध्य भारत, कुशलगढ़ नज़दीक पड़ते हैं। चम्बल पार के लिये भी यह रास्ता है। इसमें मोटरों को तकलीफ है। अगर सरकार इसको एक बार ठीक करादे, पक्की करा दे तो काफी सुविधा लोगों को हो जाय। इसी तरह श्रमदान से जो बनाई जावें उन का भी ध्यान रखा जावे।

विभागीय सुस्तो पर भी मेरा कटौती का प्रस्ताव है। सपई, करोली, सरमथुरा के बीच की सड़क का चार-पांच साल से काम हो रहा है। हर साल मिट्टी पड़ती है, बरसात में चली जाती है। मैटल भी पड़ा रहता है जिसे आस-पास गांव वाले उठा ले जाते हैं और अपने मवेशियों के बाड़े बनाने में काम ले लेते हैं। हसगौर और सपेऊ तक लम्बी सड़क है। यह जल्दी बन जावे तो किसी प्रकार से सबको राहत मिले। किस प्रकार से यह सुस्ती आती है, मैं इसे नहीं कह सकता। कई कारण हैं इसके। कुछ दिन पूर्व विनोबाजी ने कहा था कि पी. डब्लू. डी. विभाग को समाप्त कर दिया जावे और जनता जो सड़कों के आस पास बसती है उनको उसे बनाने दिया जावे तो ज्यादा अच्छा काम वे करेंगे, ज्यादा अच्छी सड़क वे बनावेंगे। हमारी सरकार ने भी कुछ ध्यान दिया है और विभाग की ओर से सड़क बनाने की योजना बनाई। हमारे विभाग द्वारा सड़क बनाई गई, सरमथुरा और बसेड़ी की सड़क का दो मील का टुकड़ा। पर जब यह देखते हैं कि कितनी दिलचस्पी वे इसमें लेते हैं तो सोचने की बात हो जाती है। आपको तो निश्चित तौर से ठेकेदार से जल्दी बनाना चाहिये और ज्यादा ठीक बनाना चाहिये और ज्यादा मज़बूत होनी चाहिये। क्योंकि उस सड़क को बनाने में ठेकेदार कुछ पैसा अपनी जेब में रखेगा जिससे वह अपने घर का खर्चा चलाता है। विभाग का तो बन्धा हुआ पैसा है। ठेकेदार की जेब में जाने वाले पैसे को वे अधिक अच्छी सड़क बनाने में खर्च कर सकते हैं। पर होता क्या है इनमें भी कि अधिकांशतः जितने मज़दूर काम पर लगाते हैं उनसे अधिक की हाजिरी रजिस्टर में दर्ज की जाती है। बीस मज़दूर काम पर हैं तो हाजिरी रजिस्टर में २५-३० मज़दूर हैं। इस प्रकार जब घर में ही नाजायज़ तौर से पैसा लेने लगे इसकी प्रतिक्रिया का स्वरूप एक दिन देश में आवेगा जब पी. डब्लू. डी. का काम सारा जनता अपने हाथ में लेगी। आज वे इन्जीनियर,- वे सरकारी कर्मचारी, मन्त्री सारे उसी समाज में रहते हैं। उनकी बातें छिपी नहीं रह सकतीं। आज हमारी सरकार लाखों करोड़ों रुपया इन कामों में खर्च कर रही है। पर इधर उधर सरकारी इन्जीनियरों, ओवरसियरों आदि की जेबों में करीब करीब ४० परसेन्ट चला जाता है। ६० परसेन्ट सरकारी कामों में असल में खर्च होता है। इसलिये सरकार को इसकी ठीक व्यवस्था करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे माननीय मन्त्री भी नये आये हैं और उन्होंने इस विभाग को लिया है। वे राजा भी रहे हैं मैं आशा करूंगा कि वे इस विभाग को ठीक कर देंगे। आज जो ४० परसेन्ट पैसा इनकी जेबों में जाता है यह देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो इस तरह चला जाता है उसको आप जरूर बचावेंगे और इसे सड़कों पर खर्च करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब कटौती के प्रस्ताव समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : मेरा एक प्रस्ताव है, ५७ नम्बर पर है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव है?

श्री रामचन्द्र : जी हां।

श्री अध्यक्ष : (कुछ देख कर) आप बोलिये।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य पर एक कटौती का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है।

मेरे इस प्रस्ताव को रखने का मुख्य आशय यह है कि सार्वजनिक निर्माण कार्य में झालावाड़ जिले के साथ कितनी ढिलाई बरती गई है उसके विषय में तो मेरे क्षेत्र से आये हुए अन्य सदस्य ने इस सदन में विवरण दिया है, मैं तो यह केवल एक बात पर निवेदन करना चाहता हूं और वह बात जो है जिले की ही दृष्टि से नहीं, राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे जिले में दो बड़ी नदियां हैं एक आहू और दूसरी काली सिन्ध। आहू नदी पर इस समय दो पुल बनाने के लिये सरकार ने सहमति प्रकट की है, सहमति ही नहीं बल्कि उसके लिये आज्ञा भी प्रदान कर दी है। पहला पुल जो इस वक्त बन रहा है वह झालावाड़ से ८ मील दूर सुकेत के मुकाम पर बन रहा है। इसका कार्य पिछले साल शुरू हुआ। इन्जीनियर ने बरसात से पहले उसे समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया लेकिन ठेकेदार की ढिलाई से वह रह गया। यही नहीं, ठेकेदार ठेका छोड़ कर भाग गया। नतीजा यह हुआ कि जो काम पिछले साल बना था और जिसे जून के पहले समाप्त कर दिया जाना था वह आज भी ठप्प पड़ा है। इसके लिये डर है जिस पर लाखों रुपया सरकार ने लगाया है उस नदी में अगर अगले साल बाढ़ आ गई तो यह लाखों रुपयों का सरकार का काम जो हुआ है वह नष्ट हो जावेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यदि इस रुपये को बचाना चाहती है तो इस नदी पर जो काम बन चुका है उसको पूरा कराने के लिए बाकी के काम को शीघ्रातिशीघ्र कम्पलीट करा ले वर्ना मुझे डर है कि अगली बारिश में जो कुछ चुनाई हो चुकी है वह नदी के सेलाब से बह जायेगी, इससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हो जायेगा और इसीलिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

इसी के साथ साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं जो कि इसी नदी के दूसरे पुल से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, पच-पहाड़ और सुनेल के बीच यही नदी निकलती है और वहां से इतने भयंकर रूप से निकलती है कि कम से कम प्रति वर्ष एक-दो आदमियों की भेंट हो जाती है और वैसे जानवर तो सैकड़ों की तादाद में बह जाते हैं। इस नदी पर पुल बनाने का प्रश्न आज से नहीं बल्कि आज से १० वर्ष पहले से चल रहा है। इस नदी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सुनेल परगना जो कि मध्यभारत के पहले अधिकार में था उस परगने को राजस्थान में मिलाने के लिए राजस्थान सरकार और मध्यभारत सरकार और साथ ही इन्टर स्टेट मामला होने की वजह से केन्द्रीय सरकार तीनों ने मिल कर इस पुल के बनाने का

(श्री रामचन्द्र)

निर्णय किया था और मंजूरी हुई थी। साथ ही साथ यह तय हुआ था कि इस पुल के बनने में जो कुछ खर्च होगा उसका १।३ भाग केन्द्रीय सरकार देगी, १।३ भाग राजस्थान सरकार और १।३ भाग मध्यभारत सरकार देगी। तदनुसार इसका नक्शा बन कर मंजूरी हो गई और इसके टेन्डर मांग लिए गए। लेकिन १ नवम्बर, १९५६ को जब सुनेल परगना राजस्थान का भाग बन गया तो आशा यह थी कि यह पुल जल्दी से जल्दी बन जायेगा लेकिन सुनेल का राजस्थान में क्या मिलना था कि पुल का नकशा ही खत्म हो गया। आज हम बराबर कई वर्षों से इसके लिए निवेदन कर रहे हैं कि इस पुल के ऊपर जो कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार और मध्यभारत तीनों ने मिल कर निर्माण करने का निश्चय किया है और क्योंकि अब मध्यभारत सरकार से यह भाग निकल कर राजस्थान के पास आ गया है इसलिए इस परगने की सारी जिम्मेदारी डेवलपमेन्ट की राजस्थान सरकार के ऊपर आ गई है। इसलिए विशेष रूप से इस बात के लिए। कर्मचारियों से निवेदन किया कि इस पुल का काम जिसको बनाने का सरकार का दायित्व है इसको जल्दी से जल्दी पूरा करा दिया जाये लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रार्थना करने पर भी इस पुल का जो नकशा तैयार हो गया था और आगे काम बढ़ने का और टेन्डर मंगाने का काम था वह ठप्प हो गया है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि इस भयंकर बाढ़ से जो इस क्षेत्र के लोगों का फायदा होता है और सैकड़ों जानवर बह जाते हैं, इस भयंकर दुर्घटना से बचाने के लिए यह पुल जो कि राजस्थान सरकार का दायित्व है यह पूरा करने का प्रयत्न करें ताकि जनता को संतोष हो और प्रतिवर्ष जो नर-संहार का दृश्य जनता के सामने आता है वह बारंबार रिपीट न हो; यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अब और कोई कटौती के प्रस्ताव नहीं हैं। माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं श्री सोहनलालजी के पक्ष में बोलूंगा।

(हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सोहनलाल भटनागर....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble Member has already spoken once.

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं सारे राजस्थान के निर्माण के विषय में बोलूंगा।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : वे कल बोले थे तथा अब और सम्बन्ध में बोलेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : In all the demands the Hon'ble Member is having the privilege of speaking twice.

Page No.51

श्री अध्यक्ष : इस मांग पर नहीं बोले। आप संक्षेप में बोलेंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव : जी हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मेरे मान्य अज़ीज़ दोस्तों ने पथ निर्माण के विषय में कई कटौती के प्रस्ताव रखे। उनके भाषण सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि मैं अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ निवेदन करूं। मेरा बल्लभनगर क्षेत्र है। वहां की जो सड़कें हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करूं। हमारे बल्लभनगर क्षेत्र में भूपालसागर तहसील है और वहां शुगर फैक्ट्री है। वह शुगरकेन एरिया होते हुए भी वहां पी० डब्ल्यू० डी० के एग्जीक्युटिव इन्जीनियर ने सड़कों के ऊपर कोई तवज्जोह नहीं दी जब कि भारत सरकार ने शुगरकेन एरिया के लिए प्रान्तीय सरकारों को आदेश दे दिया है कि एप्रोच रोड और मिल सकती है।

१.२६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी पंचवर्षीय योजना में पी० डब्ल्यू० डी० वाले कुछ नहीं कर सके और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू होने जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि भूपालसागर शुगरकेन एरिया है। उदयपुर डिविज़न में सड़कों का अभाव है, सारी तहसीलों से गन्ना शुगर फैक्ट्री में कृषक लोग लाते हैं। जब कि वह कृषक लोग दस बीस माइल से अपनी गाड़ी में गन्ना ढोते हैं तो वहां ६–६ इन्च और १०–१० इन्च के गड्ढे होते हैं तो जब किसान लोग मुझसे मिलते हैं तो वे कहते हैं कि अपने उदयपुर डिविज़न से कई एम० एल० एज़०, गये वे सब बोलते हैं लेकिन तुम्हारा भी कर्त्तव्य है कि तुम हमारी वकालात करो।

(हंसी)

तो मैं यह निवेदन करूं कि जो सड़कों का अभाव है, वह मंत्री महोदय जो कि निर्माण विभाग के हैं, यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मंत्री महोदय उपस्थित हैं इसलिए मैं भी मेरा बयान कर दूं। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाखों रुपया लैप्स होने जा रहा था तो हमारे मंत्री महोदय ने यह विश्वास दिलाया कि कोई पैसा लैप्स नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : वर्तमान मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया था?

श्री हरिप्रसाद यादव : जी हां। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उदयपुर डिविज़न की सड़कों का जो काम है वह 'ए' क्लास कॉन्ट्रेक्टर्स को दिया गया है। जब कि उदयपुर जिले के हैड्क्वार्टर्स पर हमारे मंत्री मण्डल की बैठक हुई तो हमने एक प्रस्ताव रखा कि हम यह चाहते हैं कि जो 'ए' क्लास कॉन्ट्रेक्टर्स हैं जो कि १५० मील की सड़क को लेकर बैठे हैं तो छोटे छोटे कॉन्ट्रेक्टर्स जैसे 'बी' क्लास, 'सी' क्लास और जो लेबर्स कॉन्ट्रेक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं तो जहां हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप किस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं?

श्री हरिप्रसाद यादव : मैंने अध्यक्ष

(श्री हरिप्रसाद यादव)

महोदय से इस विषय पर बोलने के लिए स्पेशल परमिशन मांगी थी।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : कोई विशेष कटौती का प्रस्ताव सिलेक्ट किया है या सारा बुहारा निकाल रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं तो अपने पर पहले ही बोल चुका हूं। मैं अपने क्षेत्र की बात कह कर पूरे राजस्थान की बात कह रहा हूं, फिर आपके भी क्षेत्र पर आऊंगा।

(हंसी)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब कि मंत्री मण्डल की बैठक के समय यह तय किया गया था...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मंत्रि-मण्डल की बैठक में क्या हुआ है, यह अपना विषय नहीं है। आप अपने विषय पर बोलिये जो कि सदन से सम्बन्धित है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई विषय नहीं है।

(हंसी)

मेरे क्षेत्र के लोगों की जो कठिनाइयां हैं वह रख रहा हूं। खास तौर से मैं शुगरकेन एरिया से आता हूं तो आप लोगों से मैं यह निवेदन करूं कि जो सड़कें पांच वर्षों में पूरी नहीं हुई हैं अब बारिश का समय नज़दीक आने लगा है तो कृषक लोग कहते हैं कि भाई तुमने हमारा क्या किया ? तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इन सड़कों की ओर खींचना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप सड़कों को इधर खींच लीजिए, ध्यान को उधर क्यों खींच रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां 'ए' क्लास कॉन्ट्रेक्टर को ठेका देकर उदयपुर में जो एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर हैं उनसे हम मिले तो उन्होंने कहा कि हमने रिमाइन्डर कर दिया है। मैंने कहा कि वह पहाड़ियों पर काम करते हैं जहां कीचड़ होती है, तो भूपालसागर से ३ मील पर अकोला रोड है उस पर कर दो तो उन्होंने कहा कि नहीं कॉन्ट्रेक्टर्स को जैसी सहूलियत होगी, करेंगा। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि पर्सनल लैटर लिख कर उन सड़कों की ओर ध्यान दिया जाय, क्योंकि वहां लाखों किसानों का सवाल है, मेरा ही नहीं बल्कि....

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो सवाल ही नहीं है, है तो सवाल किसानों का।

श्री हरिप्रसाद यादव : दूसरे भी जो चुन कर आये हैं उनकी वकालात करूंगा। जैसे मेरी तहसील के पास चित्तौड़ ज़िला पड़ता है और चित्तोड़ जिले की तहसीलें भदेसर, कपासन, राश्मी, ये जो ३, ४ ब्लॉक्स हैं उनकी ओर से और राजसमन्द, रेलमगरा....

श्री उपाध्यक्ष : राजसमन्द रेलमगरा का कुछ नहीं कहें आप।

श्री हरिप्रसाद यादव : के लिए निवेदन करूंगा कि सड़कें तैयार करवाने की कार्यवाही की जाय। अब दोयम बात यह आती है कि जैसा कि माननीय सोहनलालजी ने कहा कि मज़दूरों का पेमेन्ट नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन ग्रहण करें। समय समाप्त हो गया। आसन ग्रहण करें।

श्री हरिप्रसाद यादव: श्री सोहनलालजी ने कहा कि मज़दूरों को पेमेन्ट नहीं होता है। यह माननीय मंत्री महोदय को चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट के लोगों को हिदायत करके जिन मजदूरों का, जिन पैट्टी कॉन्ट्रेक्टरों का, जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पेमेन्ट नहीं हो रहा है, परिपत्र निकाल कर उनकी जायज़ मांगों की ओर ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: Cut motion, Shri Bhimsen, I am sorry, the Hon'ble Minister to reply.

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, आज जो सदन में बहस हो रही है और जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं कोशिश तो यही करूंगा कि जितने भी आप लोगों के कटौती प्रस्ताव आये हैं। उनके ऊपर कुछ न कुछ चर्चा कर सकूं। इसके पहले मैं यह उचित समझता हूं कि आपके सामने यह पेश किया जाय कि सड़कों की जितनी डिमान्ड्स हैं उनको मीट करना बड़ा कठिन है, क्योंकि राजस्थान के पास इतने फण्ड्स नहीं हैं कि सारी डिमान्ड अपन मीट कर सकें। वैसे १९४३ में जब कि नागपुर प्लान बना था उस वक्त अगर सब सड़कें हिन्दुस्तान में बन जातीं तो कम से कम ३७२ करोड़ रुपये खर्च होते और आजकल के टर्म्स में उनको केलक्युलेट किया जाय तो ७४४ करोड़ के करीब रुपया खर्च सारे हिन्दुस्तान में होता। तो अब तक जहां तक लिमिटेड फण्ड्स हैं उनको देखते हुए जो हमारा फर्स्ट प्लान बना, सेकिण्ड प्लान बना और जो थर्ड प्लान बनने जा रहा है वह भी इस बात का सब्जेक्टेड रहेगा कि हमारे पास कितने फण्ड्स हैं। तो इसके अलावा मैं आपके सामने थोड़े चन्द फीगर्स पेश करना चाहूंगा और वह यह है, फर्स्ट फाइव इयर प्लान में राजस्थान, में ५.५० करोड़ रुपये का टार्गेट था प्लान का। उस ५.५० करोड़ में से ४.९८ करोड़ खर्च हो गया और जो माइलेज रोड का बना वह न्यू कन्स्ट्रेक्टेड रोड्स की जो माइलेज थी १.८५४ मील नई सडकें बनीं और १.३७३ मील जो है उन सडकों का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मुझे यह निवेदन करना था आपसे कि यह ठीक है कि आज हर आदमी इस बात के लिये कॉन्शियस है कि हमारे विलेज तक सडक आये और यह हम भी मानते हैं कि सडकें, जहां तक हो सके, हरएक विलेज तक पहुँच जाय, मगर सारा प्लान इस बात पर मुनस्सर रहेगा कि हमारे पास फण्ड्स हैं नहीं।

सेकिण्ड फाइव इयर प्लान के लिए मुझे यह निवेदन करना है कि हमारी जो डिमान्ड थी, जो डिमान्ड रखी थी वह ३५ करोड़ की थी और ३५ करोड़ के बदले में ९.७६ करोड़ मिले और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि by the end of the Second Five Year Plan १०.१० करोड़ खर्च कर देंगे। तो जो शॉर्टफाल का आइडिया है

(श्री हरिश्चन्द्र)

वह शॉर्टफाल नहीं रहेगा बल्कि २, ३ पर्सेन्ट एबाऊ प्लान जायगा। तो आप देख सकते हैं कि जब ३५ करोड़ की थी उसके एवज में जब ६. ७६ करोड़ मिला तो प्लान जो हमने बनाया था वह ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। अब थर्ड प्लान में कितना रुपया मिलेगा, यह, इसके ऊपर हमारा सारा प्लान डिपेन्डेन्ट रहेगा। तो मैं यह आपसे अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैं भी मानता हूं कि राजस्थान की तरक्की के लिए, राजस्थान की जनता की प्रोस्पेरिटी के लिए और आगे बढ़ने के लिए यह नेसेसरी चीज़ हो जाती है कि सड़कें जो हैं यह हम प्रोवाइड करें। लेकिन सारी बातें इस बात पर सब्जेक्टेड होती हैं कि हमारे पास कितना रुपया एवेलेबल है।

कई माननीय सदस्यों ने यह पॉइन्ट रखा है कि किसी न किसी रूप से डीसेन्ट्रलाइज़ेशन जो कि राजस्थान में हुआ है और पंचायत समितियों का फॉर्मेशन हुआ तो उसके अन्दर पंचायत समितियों को किसी न किसी रूप से एसोसियेट करना चाहिए। दूसरा यह है कि पंचायत समितियों ने श्रमदान के द्वारा जो सड़कें बनाई हैं उनका क्या होगा? यह मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए मुझे यह निवेदन करना है कि जहां तक प्लानिंग का सवाल है तो ऑल राजस्थान प्लानिंग के अन्दर एसोसियेट करना तो मैं समझता हूं.मुश्किल रहेगा। हो सकता है कि हम कोई न कोई विचारधारा चलायें, लेकिन यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किसी न किसी रूप से जो डीसेन्ट्रलाइज्ड एजेन्सीज़ हैं उनको भी एसोसियेट करना है प्लानिंग के अन्दर। थर्ड फाइव इयर प्लान में अगर फण्ड्स एवेलेबल हुए तो यहां तक मेरा खयाल है कि पंचायत समितियों या जिला परिषदों को भी हम इस बात के ऊपर ले आयें कि उनके द्वारा विलेज रोड तो कम से कम बने और वह विलेज से डिस्ट्रिक्ट रोड और इन्टर विलेज रोड्स वे खुद ही बनायें। तो ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखीं वे सारी डिपेन्डेन्ट हैं कि थर्ड प्लान में कितना रुपया एवेलेबल होगा।

कई माननीय सदस्यों ने यह बात रखी है कि ठेकेदारी की प्रथा जो है यह खत्म होनी चाहिए। इसके विषय में मुझे आपसे निवेदन करना है कि इसमें दो राय नहीं है कि ठेकेदारी की प्रथा जो है यह जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए। लेकिन डिफिकल्टीज़ यह हैं कि आज अगर ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल ही बन्द कर देते हैं तो जो हमारे सामने काम है वह काम इतना फैला हुआ है और इतने हो रहे हैं वे सब काम रुक जायेंगे। तो कुछ इस बात को हमको देखना होगा कि धीरे धीरे ठेकेदारी की प्रथा खत्म हो और धीरे धीरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एन्करेज़ करें, डिपार्टमेंटल वर्क्स को एन्करेज़ करें। तो एक टाइम ऐसा आयेगा जिसमें यह ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जायगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी वह टेक ऑवर कर लेगी, मगर आज ही जो हम ठेकेदारी प्रथा बन्द कर देते हैं तो क्या होगा कि काम जितने पड़े हुए हैं या जितने चल रहे हैं वे बन्द हो जायेंगे। यह काम आज निहायत जरूरी हैं, हमारी प्रोग्रेस के लिए वह कम हो जायेंगे। तो इसके सिलसिले में मैं कुछ फीगर्स अर्ज कर दूं। १९५०-५१ में जो टोटल एक्सपेन्डीचर रोड्स

(श्री हरिश्चन्द्र)

एएंड बिल्डिंग्स का था वह १४२ लाख टोटल राजस्थान का था और १९५९–६० का जो एक्सपेन्डीचर है वह है ७५८ लाख। तो आप देख सकते हैं कि कितना इन्क्रीज्ड हुआ है काम। और अगर इस ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल बन्द कर दें तो इतना काम भी नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ का जहां तक सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी उनके पास एक्सपीरियेन्सड हैन्ड्स नहीं हैं जो वर्क निकाल सकें। यदि आप मुलाहिज़ा फरमायेंगे तो आपको महसूस होगा कि वह वर्क इतने स्टेन्डर्ड का नहीं होता। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ लर्न कर सकें और टेक्निकल हैंड्स रख सकें। उनको सहयोग देना सरकार का काम है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पी० डब्ल्यू० डी० का सवाल है, हम हर तरह से इमदाद देने को तैयार रहेंगे।

जहां तक बिल्डिंग्ज़ का सवाल है, मैं आपके सामने फिगर्स रखना चाहूंगा। ५२–५३ में इस काम के लिये ३१ लाख का फंड था और ५९–६० में २६० लाख का खर्चा हुआ है। आप देखते हैं कि कितने टाइम्स खर्चा बढ़ गया है और हमारा जो एस्टेब्लिशमेन्ट है अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड स्टेन्डर्ड वह होना चाहिये कम से कम ३६ डिविज़न्स according to the yardstick provided by the Central P. W. D. इसके एवज़ में हमारे पास केवल १९ डिविज़न। हैं तो यह भी निवेदन करने की जरूरत है। यह जरूरी है कि आप देखते हैं कि काम धीरे धीरे होता है लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी पी० डब्ल्यू० डी० पर रख दें, जहां का स्टाफ लिमिटेड है, तो यह अनुचित बात होगी। हो सकता है पर्टिकुलर इन्डिविजुअल के यहां ढिलाई हो, कमजोरी हो सकती है लेकिन जनरल बात फरमाना कि सारे डिपार्टमेन्ट का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं यह अनुचित बात होगी। मुझे कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जो अर्ज करना था वह कर दिया। मैंने इससे सम्बन्धित फिगर्स भी कलेक्ट करने की कोशिश की है। इनका बिगिनिंग १९५५ में हुआ और उनको यह फेसिलिटी दी गई कि आप १० हजार रुपयों तक का काम एग्जीक्यूट करें। जब थोड़ा बहुत डेवलपमेन्ट देखा तब यह रूल निकाला कि वे विदाउट टेन्डर इन्वाइट किये, २०,००० रु० तक का काम ले सकते हैं। फिर बाद में एक संशोधन और हुआ और वह यह कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को एक लाख रुपयों तक का काम दिया जा सकता है लेकिन उनको टेन्डर में शरीक होना पड़ेगा। लेकिन उनको यह फेसिलिटी सरकार ने दी कि आपके टेन्डर्स ५ परसेन्ट बिलों तक जा सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो भी उनको टेन्डर दिया जायगा। यह एक कदम हम आगे उठा रहे हैं ताकि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ किसी न किसी रूप में तरक्की कर सकें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपको यह सुन कर खुशी होगी कि कुल वर्क कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा ५४ लाख रुपयों का हुआ राजस्थान में। मैं समझता हूं यह क्रेडिटेबल बात है। कुल ६८६ कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ राजस्थान में इस वक्त ठेके का

(श्री हरिश्चन्द्र)

काम कर रही हैं। यह भी मैं समझता हूं बड़ा क्रेडिटेबल है।

चंद माननीय सदस्यों ने यह फरमाया था कि जो ठेकेदार हैं वे अपने लेबरर्स को पूरी तौर से पैसा नहीं देते और वेजेज़ अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन्स पेमेन्ट नहीं होता। यह मामला सरकार के पास पहले भी आया था और अभी भी है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स के जो एग्रीमेंट्स हैं वे अंडर एग्ज़ामिनेशन हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसी कार्यवाही की जायगी जिससे ठेकेदार बाउन्ड हो जायेंगे ठीक तरह से लेबरर्स को रखने के लिये और उनका पेमेन्ट रेग्युलरली हो, ठीक तरह से रूल्स और रेग्युलेशन्स के अनुसार मिलता रहे। इसे जल्दी ही करने की कोशिश की जायेगी।

चंद माननीय सदस्यों ने यह भी कहा था कि जो लेबरर्स पी० डब्ल्यू० डी० में काम कर रहे हैं उनको कम वेजेज़ मिलता है। इसके लिये मुझे यह निवेदन करना है कि जब पी० डब्ल्यू० डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ और सन् ५२ में जो रेट ऑफ वेजेज़ थी वह ३० रु० थी और सन् ५७ में उसको बढ़ा कर ३० से ३५ कर दिया गया। कुलियों के और बेलदारों के ४० रु० कर दिये गये। उसके बाद फिर जैसे जैसे मंहगाई बढ़ी वैसे वैसे और बढ़ाते गये। सन् ५७ में जो कुलीज़ काम करते थे उनको ४० रु० दिये जाने लगे और बेलदारों को ४० से ४५ रु० दिये जाने लगे। उसके बाद सन् १९५९ में कुलीज़ के ४५ रु० हो गये और बेलदारों के ५०रु० हो गये। तो धीरे धीरे यह जरूर है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और उनको जहां तक हो सके सहायता दी जा रही है। इसके अलावा उनको पहले छुट्टियें नहीं मिलती थीं लेकिन अब उनको १० फेस्टिवल हॉलिडेज़ मिलने लगीं हैं और इसके अलावा अर्न्ड लीव का भी प्रोविजन रखा गया है, केज्युअल लीव का भी प्रोविजन है। उनको टी ए. और डी. ए. भी दिया जाता है और इसके अलावा एकेजुशन फेसिलिटीज़, मेडीकल फेसिलिटीज देने की बात है और ओवर टाइम देने का है, साथ ही पी. एफ. का बेनिफिट है। इस पर भी यह कहना कि उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उचित नहीं होगा।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-मु : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं यह जानना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले बैठिये ! माननीय मंत्री जबाब दे चुकें तब सवाल पूछें। यह मेरी व्यवस्था है, इसका पालन करें।

श्री हरिश्चन्द्र : एक जो पॉइन्ट माननीय सदस्यों ने उठाया है वह है रिपेअर्स का। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारी सड़कों की रिपेअर्स जितनी अच्छी होनी चाहिये उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया, जब तक फंड्स अवेलेबल न हों तब तक सड़कों की अच्छी मरम्मत, जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं हो सकती। मैंने एक कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट बनवाया है, दूसरी स्टेट्स में क्या है और हमारे यहां

(श्री हरिश्चन्द्र)

क्या है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

सीमेन्ट कांकरीट की रोड पर यू. पी. में १ माइल के रिपेअर्स पर ५०० रुपये खर्च होते हैं और राजस्थान में २०० रु० खर्च होते हैं। इसी तरह से टार रोड पर यू. पी. में ४,६४० रु० खर्च होते हैं, पंजाब में २,००० रु० खर्च होते हैं मद्रास में ३,००० रु० खर्च होते हैं और राजस्थान में ५०० रु० खर्च होते हैं। पर माइल मेटल्ड रोड पर यू. पी. में २,७६० रु० खर्च होते हैं, मद्रास में २,७६० रु० खर्च होते हैं पंजाब में २००० रु० खर्च होते हैं और राजस्थान में १००० रु० खर्च होते हैं। और ग्रेवल रोड पर यू० पी० में ३६० रुपये खर्च होते हैं, पंजाब में ४०० रुपये खर्च होते हैं और राजस्थान में १५० रुपये खर्च होते हैं। तो आप खुद ही इस बात का मुलाहिजा करेंगे और सोचेंगे कि जहां प्रोविजन्स इतने कम हैं तो रिपेअर्स भी नेचुरली सब जगह नहीं हो सकती और जो रिपेअर होती है वह दूसरी जगह के स्टेन्डर्ड से कम होगी, यह मानने की बात है। ये सारी बातें फाइनेन्सेज के ऊपर हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, फाइनेन्सेज़ बढ़ते हैं तो जिस तरह काम चल रहा है, मैं मान कर चलता हूं इन कोर्स ऑफ टाइम प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, हमारी इन्कम बढ़ेगी और सड़कें बनेंगी। इस वक्त जो चन्द फिगर्स बताये और जो आउट पुट है वह क्रेडिटेबल है। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Creditable! where ? In which side and which istrict ?

श्री हरिश्चन्द्र : Pardon?

श्री श्रीभानसिंह : Creditable! where? In which side and which istrict ?

श्री हरिश्चन्द्र : All round, I would say.

श्री श्रीभानसिंह : I am afraid this is not the case with Bharatpur istrict. All maintenance and construction is neglected.

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह पूछना चाहता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, जो ऐसे प्रश्न हैं...

श्री हरिप्रसाद यादव : श्री श्रीभानसिंहजी ने कैसे लिया, मेरी समझ में नहीं आता ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिश्चन्द्र : इसके अलावा रोड्स के, जैसे मैंने अर्ज किया, मेन्टीनेन्स के जो फिगर्स मैंने कोट किये उसके साथ साथ मैंने यह कोशिश की है कि मैं यह बताऊं कि ट्रेफिक कितना इन्क्रीज़ हुआ है, १९५१ में जहां कि व्हीक्युलर ट्रेफिक ६,८०० था वहां १९५६ में २६,००० है। यह आप समझ सकते हैं कि सड़कों की जिस तरह प्रोग्रेस चल रही है इतना ट्रेफिक बढ़ रहा है, ट्रेफिक की स्पीड बढ़ रही है, ट्रेफिक का

(श्री हरिश्चन्द्र)

जो वेट है, २६,००० में ऑर्डिनरी कार नहीं हैं, ट्रक्स भी हैं, ट्रक्स का लोड, माननीय सदस्य जब मोटर में पधारते होंगे तो देखते होंगे, किस हेवीनैस की ट्रक्स चलती हैं, पांच टन्स, १० टन्स की ट्रक्स चलती हैं। अपनी जो सड़कें हैं, जिस तरह चल रही हैं, ये इस लोड को उठाने के काबिल नहीं हैं। इसके लिए कहना कि ये रोड हेवी ट्रेफिक बिअर कर सकें, यह गलत होगी। मेरा निवेदन करना है....

श्री श्रीभानसिंह : Whose fault is this ? It is the fault of your experts. They should have constructed better roads. .

श्री हरिश्चन्द्र : It is nobody's fault. It depends entirely on the finances available within the State. If we have better finances, we can give you cement roads, but if we don't possess the finances, I am afraid we cannot give you such roads; and with the heavy traffic that is going on, it is not possible to maintain the roads and, therefore, I say that it is creditable with these limited finances.

श्री श्रीभानसिंह : Then better wind up the epartment, if you cannot provide the roads.

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य जो भरतपुर से पधारे हैं, उन्होंने यह कहा कि भरतपुर में सड़कों की रिपेअर या प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो इसके लिए मैंने चन्द फिगर्स कलेक्ट किये हैं, १९५९ तक पेन्टेड रोड भरतपुर में ३९३ मील है....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सिर्फ पेपर में हुई हैं, एक्चुअली नहीं हुई।

श्री हरिश्चन्द्र : मेटल्ड रोड ९६५ मील, फेअर वेदर रोड १२४ मील हुई है....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हुई नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास है। अगर आप कल आयेंगे तो अपन बात करेंगे।

इसके बाद मेन्टीनेन्स ऑफ रोड्स का सवाल है। १९५७-५८ में ४,६२,३४१ रुपये खर्च हुए हैं, १९५८-५९ में ५,९२,२६२ रुपये खर्च हुए हैं मेन्टीनेन्स पर और १९५९-६० में अप टू दिसम्बर, १९५९ ४,४८,८९७ रुपये खर्च हुए हैं। इसके अलावा रिपेअर मिस्लेनियस-ग्रान्ट जो है: १९५७-५८ में ५५,४०४ रुपये दिये गये, १९५८-५९ में १,१०,७४० रुपये दिये गये और १९५९-६० में १,४०,३०५ रुपये दिये गये और in addition to this, special allotment of Rs. 1,50,000/- was made for Bharatpur during the year 1958-59. तो यह मेरा निवेदन करना है कि १ लाख, ५० हज़ार रुपये दिये हैं। This is out of the total provision of 10 lakhs for whole Rajasthan' तो यह मेरा निवेदन करना है कि यह आप फर्मा रहे हैं कि कुछ नहीं दिया जा रहा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं, यह दिया गया है....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : खर्च नहीं हुआ मैं समझता हूं, अगर आप देखेंगे तो....

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया, यह खर्च की पोज़ीशन है। अगर खर्च नहीं हुआ होता तो अप टू दिसम्बर, १९५९ फिगर्स कैसे आते ? Upto 1959, means the exact figures.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं कि एक टैस्ट केस रख लीजिये। कमेटी इसको देख चुकी है और उसने रिपोर्ट दी है कि काम नही हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र : बीकानेर से आने-वाले माननीय सदस्यों ने कई बातें रखी हैं। मैंने उनको एक जगह कम्पाइल किया है और जो कट मोशन आये हैं उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। एक जो सवाल उठा था, पी० डब्ल्यू० डी० सर्किल का कि बीकानेर में पी० डब्ल्यू० डी० सर्किल कायम किया जाय, इसके लिए शायद यहां प्रश्न भी रखा गया था सदन में। जहां तक वर्क लोड का सवाल है, यह तो मान कर चल रहे हैं कि बीकानेर में वर्क लोड विदिन लास्ट थ्री ईअर्स काफी इन्क्रीज़ हुआ है और वहां सर्किल खुलना चाहिए। तो यह मामला गवर्नमेंट के विचाराधीन है और मैं मान कर चलता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही हो जायगी....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : सर्किल बन जायगा, रोड नहीं बनेगी।

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरा प्रश्न है, जो बीकानेर डिविज़न से कन्सर्न रखता है और वह है शिड्युल्ड रेट्स को रिवाइज़ करने का। इसके सिलसिले में मुझे निवेदन करना है कि यह भी अन्डर कन्सीडरेशन ऑफ गवर्नमेंट है और जल्दी से जल्दी शिड्युल्ड रेट्स भी रिवाइज़ की जायेंगी। दूसरा जो है वह यह है कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि बीकानेर जो है कम्प्लीटली निगलेक्टेड एरिया रहा है। उसके लिए भी मैंने चन्द फिगर्स कलेक्ट किये हैं। १९४९ में टोटल रोड माइलेज था बीकानेर डिविजन का, वह ३१७ मील था....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बीकानेर डिविज़न का बता रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : बीकानेर डिविज़न की बात है।

श्री भीमसेन : बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की बात कही थी।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने बीकानेर डिविज़न के फिगर्स कलेक्ट किये हैं। १९६१ के आखिर तक हम उम्मीद करते हैं कि १,४६८ मील रोड बन जायेगी। तो यह कहना कि बीकानेर डिविज़न में कुछ नहीं हुआ है, यह भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है....

श्री भीमसेन : क्या बीकानेर जिले के बारे में बता सकते हैं कि कितनी रोड बनी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, मैं बतलाऊंगा।

श्री चन्दनमल वैद : आपने जो

(श्री चन्दनमल वैद)

१,४६८ मील फर्माया, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गिफ्ट कितनी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं बता दूंगा।

इसके अलावा टोटल एक्सपेन्डीचर ऑन रोड्स इन सेकिंड फाइव इअर प्लान में बीकानेर डिविज़न के लिए १.५० करोड़ था, उसके अगेन्स्ट कुल राजस्थान के लिए १०.१० करोड है यानि वन–टेन्थ बीकानेर में खर्च हो रहा है....

श्री चन्दनमल वैद : बीकानेर डिविज़न में ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

उसके अलावा नॉन प्लान्ड खर्चा और बीकानेर में हुआ। इसके अलावा चन्द माननीय सदस्यों ने सड़कों के बारे में कहा....

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्यों को चन्द सदस्य न लिया जाय, जिला वाइज़ लिया जाय, निर्वाचन क्षेत्र वाइज़ लिया जाय।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी को हिदायत दी जाय।

(हंसी)

जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिया, उन्होंने समय बेकार किया।

(हंसी)

श्री हरिश्चन्द्र : अब हर रोड के लिए मैं निवेदन करूं। उसके लिए मुझे कहना है कि रावतसर से जो सड़क ५२ मील तक है वह कम्प्लीटेड है। इसमें माइनर ब्रिज अनकम्प्लीट पड़ा है। उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया है। वहां से पैसा अलॉट होने पर यह ब्रिज का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जायगा।

रावतसर से सरदार शहर की पोज़ीशन है वह यह है कि रावतसर से गंगानगर का जो पोर्शन है वहां तक तो टेन्डर्स हो गये हैं और जो भीनासर है वहां से बीकानेर के टेन्डर्स हो गये थे पर टेन्डर्स ऊंचे आने के सबब से री-टेन्डर हो रहे हैं। तो यह प्रोसीजरल डिले है। तो मैं आशा करता हूं कि यह कमी जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करके काम शुरू किया जायेगा।

बीकानेर से सरदारशहर वाया रतनगढ़-इसके मेन्टोनेन्स के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है, ऐसा माननीय सदस्य ने फरमाया था। इसके लिये मैं स्टेटमेंट लाया हूँ और मैं उसको आपके सामने पढ़ूंगा। ऐसा है कि सालाना दो लाख रुपया इसके मेन्टीनेन्स का खर्च होता है। इसकी टोटल लैंथ २१२ मील है यह मैं जरूर मानता हूं कि यह सड़क खराब कन्डीशन में है और इसका इम्प्रूवमेंट करना हमारा फर्ज हो जाता है....

(करतल–ध्वनि)

पर इसके साथ ही लिमिटेड फंड्स को देखते हुए २ लाख रुपया एवरी इयर खर्च करें तो कम नहीं है।

१९५४–५५ में एन्युअल रिपेअर पर १८,३६१ रुपया और स्पेशल रिपेअर पर

(श्री हरिश्चन्द्र)

२,४८,५१६ रु० खर्च किया गया।

१९५५–५६ में एन्युअल रिपेअर पर ५८,७६७ रु० और स्पेशल रिपेअर पर २,००,२४६ रु० खर्च किया गया।

१९५६–५७ में एन्युअल रिपेअर पर ५२,५४६ रु० और स्पेशल रिपेअर पर १,३०,५३१ रु० खर्च किया गया।

१९५७–५८ में एन्युअल रिपेअर पर ८६,२२० रु० और स्पेशल रिपेअर पर १,०७,७४८ रुपया खर्च किया गया।

१९५८–५९ में एन्युअल रिपेअर पर १,१५,०६८ रु० और स्पेशल रिपेअर पर १,२५,८१३ रुपया खर्च किय गया। और

१९५९–६० में १,१०,८४८ रु० एन्युअल रिपेअर पर और १,०३,५९३ रु० स्पेशल रिपेअर पर खर्च किया गया।

तो यों मिला कर एवरेज २ लाख के आसपास पड़ता है। हम कोशिश यह करेंगे कि एडीशनल ग्रान्ट मिली तो और खर्च किया जाय वर्ना यह दो लाख रुपया एवरी इयर खर्च हो रहा है।

मेडीकल कॉलेज के बारे में भी यहां सदन में चर्चा हुई थी कि काम बड़ी ढिलाई से चल रहा है, इस काम को जल्दी पूरा करना चाहिये। यह तो मैं भी मानता हूं कि काम जल्दी से जल्दी होना चाहिये। मैंने पूरी परिस्थिति की जांच की तो मालूम हुआ कि वहां टेन्डर्स कॉल हुए थे, इसके बाद जो वहां टेन्डर्स आये, उनको देखते हुए जो पी० डब्ल्यू० डी० स्टाफ है, उसको महसूस हुआ कि यह कोई कलेक्टिव टेन्डर्स दिये गये हैं। यह होता है कि जहां ठेकेदार कम होते हैं, काम बड़ा होता है तो वे सब मिल कर पूल हो जाते हैं। ४ टेन्डर्स आये थे चारों ३७ पर्सेन्ट से ३७.७ के रेंज में आये। चार टेन्डर्स थे, चारों इस तरह के आये। इससे यह अनुमान हुआ कि जो टेन्डर्स करने-वाले हैं उन्होंने पूल कर लिया है। इसको अवोइड करने के लिये टेन्डर्स नहीं दिये और वर्क डिपार्टमेंटली शुरू किया। यह हो सकता है कि डिपार्टमेंटली वर्क स्लो हो, पर इसके लिये हमने कल ही रात को मीटिंग की थी। इन्जीनीयर जो हैं, लेबर का सवाल है, प्लानिंग का सवाल है, सारे प्लान की जरूरत होती है, उस प्लान को जांच करने की जरूरत होती है....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मैं निवेदन करूं कि इधर तो ढिलाई हो सकती है, पर इम्फॉर्मेशन के लिये अर्ज करूं कि टौंक-उनियारा रोड पर....

श्री हरिश्चन्द्र : टौंक–उनियारा का सवाल नहीं है, बीकानेर मेडीकल कॉलेज के बारे में अर्ज कर रहा हूं।

डिपार्टमेंटली काम करने के लिये प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। एक एक्सपर्ट बैठ जाय और देखे कि प्लान ठीक तरह से एग्ज़ीक्युट हो रहा है। मैंने स्टाफ से बातचीत की है और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ीक्यूट करवाया जाय। डिपार्टमेंटल वर्क करने के लिये न तो हमारे पास मशीनरी है; लेबर लाना, मेटीरियल लाना ये सब काम हैं तो कोशिश यह करेंगे कि जल्दी से जल्दी हों। मैं भी बीकानेर जाकर अगर गवर्नमेंट

(श्री हरिश्चन्द्र)

की तरफ से कर सकते हैं तो इस काम को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ढिलाई नहीं रहेगी । पर हमारे हैंड्स भी हैंडिकेप्ड हैं । फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि काम जल्दी हो।

फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने चन्द प्रस्ताव रखे हैं एक तो उनका रेलवे क्रॉसिंग के बारे में प्रस्ताव था उसके बारे में तलाश की तो मालूम हुआ कि रेल्वे लाइन पर दो क्रोसिंग ऑलरेडी हैं और सी० क्लास के हैं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य की क्या इच्छा थी, उसके मुतल्लिक वह बता दें। उनकी और क्या इच्छा है और गवर्नमेंट क्या कर सकती है तो गवर्नमेंट कार्यवाही करेगी।

दूसरा था सेंट्रल रोड फंड्स के बारे में इसके बारे में यह है कि जितना स्प्रिट राजस्थान कन्ज्यूम करता है उसके अनुसार मिलता है, जितना ज्यादा स्प्रिट कन्ज्यूम होगा उतना ही ज्यादा मिलता है। माननीय सदस्य ने कहा था कि ज्यादा पैसा सेंट्रल रोड फंड से मांगें तो राजस्थान को ज्यादा पैसा मिल सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह डिपेन्ड इस पर है कि स्प्रिट जितना कन्ज्यूम करते हैं उसके अनुसार मिलता है । तो हमको जो मिलना चाहिये था वह मिल गया है। कोई बकाया नहीं है।

माननीय सदस्य ने शायद हाई स्कूल की रिपेअर के लिये भी कहा। मैंने इस बारे में जांच की तो पता चला कि यह पी. डब्लू. डी. की लिस्ट पर नहीं है। इसका खर्चा डिपार्टमेंट पर पड़ेगा और मैं आशा करता हूं कि डिपार्टमेंट इसे करवा देगा।

दूसरे, उन्होंने कहा कि उनके यहां पर कोई सड़क नहीं है। मैंने इस बात को एग्ज़ामिन करवाया है। वाकई में यह बात ठीक है कि उनकी कॉन्स्टीट्युएन्सी में कोई सड़क नहीं हैं। बिचून से फुलेरा, फुलेरा से जोबनेर और जोबनेर से रेनवाल, इस सड़क को थर्ड प्लान में शुरू कर देंगे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : इसी प्लान में शुरू कर दें।

श्री हरिश्चन्द्र : खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चन्द बातें बताई हैं कि एक तो ब्रिजेज हैं, इकलेरा, मनोहरपुर थाना सड़क पर कम्प्लीट नहीं हुई हैं। मैंने पूछताछ की है। वह काम ठेकेदार के द्वारा हो रहा था अब डिपार्टमेंटली हो रहा है। तो इसके लिये यही अर्ज करना है कि यह काम हम जल्दी से जल्दी कम्पलीट करने की कोशिश करेंगे। आशा यह करते हैं कि वर्षा के पहले पहले यह काम पूरा हो जाए।

दूसरी बात, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भकानी से गोगटपुर की ५ मील दूरी की सड़क है जो मध्यप्रदेश को मिलाती है, उसके बारे में कहा। इसके बारे में मुझे यही निवेदन करना है कि हम ५ मील की सड़क लाने की कोशिश करेंगे।

झालावाड़ रोड के बारे में, मैंने कहा कि बारां तक यह तैयार हो गई है। जो बीच बीच में खराब है उस पर टार कराने की कोशिश

Page No.63

(श्री हरिश्चन्द्र)

की जा रही है और जल्दी यह टार हो जावेगा ।

झुंझुनूं से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की रिपेअर के सिलसिले में । कन्सट्रक्शन ऑफ प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, इसके लिये मुझे यह निवेदन करना है कि वहां डॉक्टर्स के क्वार्टर्स का काम शुरू हो गया है और काम १९६० के आखिर तक कम्प्लीट हो जावेगा ।

इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं और एक स्टेटमेंट जो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट का है, आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे माननीय सदस्यों को मालूम हो कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कितनी रोड माइलेज है । रोड माइलेज के फिगर्स इस प्रकार हैं :

नाम डिस्ट्रिक्ट	सन् ४९ का माइलेज	सन् ६०–६१ तक का माइलेज
जयपुर	५४१	८०५
झुंझुनूं	१६७	२८७
सीकर	६०	४३८
अलवर	५०५	८४८
भरतपुर	५९१	९७८
सवाई माधोपुर	२४४	५३४
टौंक	२१२	३९८
कोटा	८३७	१,१४९
बूंदी	३३५	५३६
झालावाड़	४५७	६१६
जोधपुर	८९५	१,१०९
नागोर	४५८	९६२
पाली	५२५	७०५
जालोर	१६५	३४३
सिरोही	२८२	३९८
बाड़मेर	२६१	६६७
जैसलमेर	०	४३६
बीकानेर	११४	५३४
गंगानगर	१	४७२

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : ये फिगर्स हैं वे क्या ५१ के बाद के हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि ये फिगर्स ४९ के दिये हैं । ११४ मील १९४९ में थी और अब ५३४ मील हो जावेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : ये आंकड़े तो गलत मालूम होते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : इसका ब्रेक अप वैल्यू है । यह सन् ६०–६१ के एण्ड तक बनेगी :

चुरू	२०२	४६१
उदयपुर	७६८	१,९६१
चित्तौड़	२०३	४९६
भीलवाड़ा	१०२	६१२
बांसवाड़ा	१९१	३३०
डूंगरपुर	३०२	४०८
अजमेर	फिगर्स एवेलेबल नहीं हैं	९३७ हो जावेगे

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सबसे ज्यादा और सबसे कम माइलेज किस स्थान पर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पर्सेन्टेज के हिसाब से निकलता है उसको केलक्युलेट करके बता सकते हैं। जोड़ बाकी लगा कर करना होगा। यों टोटल माइलेज कोटा में सबसे ज्यादा है। अगर मैं जोड़ बाकी करने बैठ जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसमें पुरानी और नई सड़कें भी शामिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री हरिश्चन्द्र : इसके अलावा मैं दूसरे प्रश्नों में जाऊंगा और यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों का फरमाना था कि अन-इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है। मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं हुआ है। मैं यह कहूंगा कि प्रोपोर्शनेटली सभी जगह काम किया गया है और हम यह आशा करते हैं कि हमारी यह काम की रफ्तार और भी तेजी से चलेगी और आप पब्लिक की मांग है उसको प्रोड्यूस करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया....

श्री भैरोंसिंह : प्रोपोर्शन किस बेसिस पर है, एरिया पर है या पोपुलेशन पर?

श्री हरिश्चन्द्र : नेसेसिटी के बेसिस पर है।

श्री श्रीभानसिंह : That means your epartment does not take economic importance of the place but only the necessity.

श्री हरिश्चन्द्र : It also takes the economic consideration in its development. इसके अलावा सांगानेर एअर पोर्ट के लिये माननीय सदस्यों ने फरमाया कि यह सड़क खराब है। हम भी यह मानते हैं....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : यह बहुत अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी मरम्मत हो रही है। यह १९६०-६१ में ठीक करा दी जावेगी।

इसके अलावा सांचोर में बोर्डिंग हाउस के रिपेअर्स के सिलसिले में कहा गया। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह कह सकता हूँ कि इस बिल्डिंग की मरम्मत शुरू करवा दी गई है।

एक माननीय सदस्य ने फरमाया था कि जो जयसमन्द रोड जयसमन्द लेक तक जाने वाली है उसमें काम शुरू हो। यह तो मैं नहीं कह सकता कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारा का सारा काम समाप्त हो जावे लेकिन बहुत सारा काम दूसरी पंचवर्षीय योजना में खत्म हो जावेगा और जो काम बचेगा वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जावेगा। इस पर डामर का काम जो पहले ही फर्स्ट स्टेज पर है पूरा कर दिया जावेगा।

इसके अलावा चन्द सड़कों के लिए और कहा गया था, जैसे कि खेरवाड़ा से कोटड़ा रोड। उसकी पोज़ीशन यह है कि उसके एस्टीमेट्स २,४३,०००) रु० के हैं। यह काम सेन्क्शन्ड था। वर्क, हम उम्मीद करते हैं, सन् ६१ के आखिर तक कम्प्लीट हो जावेगा।

Page No.65

(श्री हरिश्चन्द्र)

दूसरा सवाल है उदयपुर से गोगुन्दा रोड। इसके लिए माननीय सदस्य ने फरमाया था। इसके लिए यह निवेदन करना है कि ६.१० लाख का प्लान प्रोविज़न है और उसमें फर्स्ट फाइव इयर प्लान में ४.३२ लाख इन्कर्ड हुआ हैं। बेलेन्स १.७८ लाख सेकिन्ड प्लान में खर्च होगा। उसके अलावा अभी केबिनेट मीटिंग उदयपुर में हुई थी उस समय यह प्रश्न रखा गया था, उसके हिसाब से एक लाख की और सैंक्शन हुई है और काम ६१ के अन्त तक कम्पलीट हो जावेगा।

उदयपुर से फलासिया रोड के बारे में कहा गया। उसके लिए यह है कि सेन्क्शन्ड कॉस्ट उस सड़क की दस लाख की है और थर्ड फाइव इयर प्लान में उसको कम्पलीट किया जावेगा और सेकिन्ड प्लान में ५१ हजार का प्लान प्रोविज़न रखा है ताकि टोकन ग्रान्ट का काम शुरू कर दिया जावे। उसके अलावा फालना....

श्री हरिप्रसाद यादव: फालना रणकपुर रोड है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिश्चन्द्र : उस सड़क के लिए सेकन्ड फाइव इयर प्लान में ३, ६०, हजार का प्रोविज़न है। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क्स चार लाख के हैं। एस्टीमेट्स तैयार करवाये गये और एस्टीमेट्स सैंक्शन्ड भी हो गये २२. ६. ५६ को और सड़क का काम शुरू किया जा रहा है।

इसके अलावा तहसील ओसियां के लिए माननीय सदस्य ने फरमाया कि वहां की सड़क का काम बड़ा धीरे चल रहा है, उसको तेजी से किया जावे। जो काम धीरे चल रहा है उसके लिए मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उसको खत्म कराने की कोशिश की जावेगी। उसकी पोजीशन यह है। ओसियां टू नागोर वाया खींवसर, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ३,२० हज़ार है अन्डर सेन्ट्रल रोड फण्ड्स। २० मील का टुकड़ा ओसियां का है। इस पर काम शुरू है और एक्सपेन्डीचर जो बुक हुआ है वह है ५८-५६ ७८.०६ और ५६-६० १-६० हज़ार। इतने का काम और होगा ये मैंने फैक्ट्स एण्ड फीगर्स रखे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, उदयपुर जिले में शुगर केन एरिया है.

श्री उपाध्यक्ष : आप अशान्त क्यों होते हैं ? अभी वह प्रश्न आया ही नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मंत्री महोदय नागोर पर आ गये इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़!!

श्री हरिश्चन्द्र : अन्त में मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि वे इस मांग को स्वीकार करें।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : मैंने निवेदन किया तो आपने कहा था कि टोंक उनियारा से लेकर जो रोड है, उनियारा तक बनाई है, उनियारा से सकरगढ़ तक नहीं बनी है और टोंक से उनियारा जा रही है सड़क, पर उस पर केवल दो ही इन्जिन्स काम कर रहे हैं, जिनमें से एक इन्जिन तो दो महीने से खराब पड़ा है।

Page No.66

श्री रामचन्द्र (डग–सु) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव के विषय में उत्तर नहीं मिला है कि आऊ पुल के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभ नगर-सु.): उपाध्यक्ष महोदय, दोनों लड़ रहे हैं ....

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिश्चन्द्र : पचपहाड़ और सुनेला नदी के बीच में आऊ नदी पर पुल बनाने वाले हैं। उस पर सरकार ने निर्णय लिया है जो कब तक बन जावेगा, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : Can you enlighten him ?

श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई) : It is not the question hour.

श्री उपाध्यक्ष : It is on a point of explanation, if he so desires.

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा है कि जब स्टेट्स रीऑर्गेनाईज़ेशन हुआ था उस समय सुनेल टप्पा राजस्थान में आ गया। इसके लिए पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश को दिया था। It is a matter of negotiation between the Rajasthan Government, Central Government and Madhya Pradesh. अमाउन्ट ट्रान्सफर होकर राजस्थान में आ जावेगा तो काम शुरू होगा।

श्री रामचन्द्र : जनता की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान से ही हो जावे।

श्री हरिश्चन्द्र : इससे अधिक क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी अमाउन्ट मंगा कर काम शुरू कर दिया जावेगा। मध्य-प्रदेश वाले रिलीज़ करेंगे तब ना।

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्तावों पर अब मतदान होगा।

(विराम)

Yes, Shri Bhimsen.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री भीमसेन : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपु) : एक साथ आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ नहीं आ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका मतलब समझ गया हूं लेकिन लिस्ट में ऐसे नहीं हैं।

Page No.67

श्री भैरोंसिंह : आप नाम कह दीजिये और वापिस लेने वाले खड़े हो जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव रावराजा श्री सरदारसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की इजा-दी जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री लच्छूराम।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री लच्छूराम (मंडावा) ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु) ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री चन्दनमल वैद ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री शिवनाथसिंह ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये ।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लिये जाने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री नाथूलाल करोल को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री नाथूलाल करोल : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सहूम्बा) : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सर्व श्री सोहनलाल भटनागर और लक्ष्मण हीरात को कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my cut motions.

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) का कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री सम्पतराज जैन को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सम्पतराज जैन : मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे कटौती प्रस्तावों का कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी मैं आशा करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : क्या वापिस लेने की आज्ञा चाहते हैं ?

श्री तेजाराम गहलोत : मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री तेजाराम गहलोत ने रखा उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री तेजाराम गहलोत : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री परसराम (आसीन) ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री रामकरणसिंह।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी): मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु): मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सर्व श्री मोतीलाल सूबेदारसिंह और श्री रामचन्द्र को कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री मोतीलाल : I withdraw my cut motions.

श्री सूबेदारसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रामचन्द्र : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य आदि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४६, २८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २३ स्वीकार की गई।

(विराम)

श्री सम्पतराम।

मांग संख्या ४–वन

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८२,०६,००० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Motiou moved.

[इस मांग पर आज निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

डॉ० बहादुरसिंह :

१. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर के निकट चम्बल खारों में वन लगाने पर बहस करने हेतु)

श्री भीमसेन :

२. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (जोड़ बीड की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)

श्री लक्ष्मण हीरात :

३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर डिविजन के फोरेस्ट सोसाइटियों एवं ठेके की प्रथा पर बहस करने हेतु)

श्री रामकरणसिंह :

५. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग की भूमि में ली जाने वाली चराई शुल्क के बारे में वाद विवाद करने हेतु)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' :

६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (वनों की सुरक्षा न होने से वनों के नष्ट होने पर विचार करने हेतु)

श्री आबिदअली :

41. Tha the Demand No. IV, Major Head 10-Forest be reduced by Re. 1/- (To discuss that the Cultivable land under the Forest Department be handed over to the Revenue Department).

42. That the Demand No. IV, Major Head 10-Forest be reduced by Re. 1/- (To discuss the afforestation in the State).

श्री पी० के० चौधरी :

7. That the Demand No. IV, Major Head 10-Forest be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government To handle Panarwa Forest lease extension case properly).

8. That the Demand No. IV, Major Head 10-Forest be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to increase revenue from the existing forests).

20. That the Demand No. IV, Major Head 10-Forest be reduced by Re. 1/- (To discuss the Government's failure to take adequate measures to prevent wind erosion in the State).

13. That the Demand No. IV,

(श्री पी० के० चौधरी)

Major Head 10-Forest be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of Government to give adequate attention to the development of Forests).

रावराजा श्री सरदारसिंह :

६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (टोंक जिले में जलाने की लकड़ी के अभाव पर विचार करने हेतु)

श्री मूलचन्द डागा :

१०. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन महोत्सवों की असफलता पर विचार करने हेतु)

११. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग में फैली हुई अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)

१२. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग के पुनर्गठन में देरी होने के कारणों पर बहस करने हेतु)

३१. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वनों के ठेके देने की प्रथा पर विचार करने हेतु)

३२. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वनों के कुप्रबन्ध पर बहस करने हेतु)

३३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (पाली में वन क्षेत्र की कमी करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)

३४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन पुनर्सीमन पर बहस करने हेतु)

५०. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग के पुनर्गठन पर बहस करने हेतु)

५१. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने में वन विभाग की असफलता पर बहस करने हेतु)

५२. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन महोत्सव के सम्बन्ध में शील्ड पुरस्कार दिये जाने के सिद्धान्तों में परिवर्त्तन करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)

५३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (चिड़ियाघरों की अव्यवस्था को मिटाने पर बहस करने हेतु)

५४. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (नये चिड़ियाघर जिला हैडक्वार्टरों पर खोलने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

५५. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभागीय मोटर गाड़ियों पर अनावश्यक खर्चे को कम करने पर बहस करने हेतु)

(श्री मूलचन्द डागा)

५६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभागीय बकाया रकम अभी तक वसूल न करने के कारणों पर बहस करने हेतु)

डॉ० चन्द्रकला :

१६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन महोत्सव पर बहस करने हेतु)

१७. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (चराई के योग्य छोटे खेतों के निर्माण पर बहस करने हेतु)

१८. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (खराब हुए वनों का पुनरुद्धार और वनों के विस्तार पर बहस करने हेतु)

१६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामों में वनों के सृजन पर बहस करने हेतु)

श्री रामचन्द्र :

२६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले में वन आरोपण पर ध्यान नहीं दिये जाने पर बहस करने हेतु)

३०. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले में बहुत से छोटे छोटे कृषि योग्य भू—भाग बीड़ के नाम से बेकार पड़े हैं उन पर बहस करने हेतु)

श्री दयाकृष्ण विजय :

५८. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (जलाऊ लकड़ी के अभाव को दूर करने हेतु ठेकेदारों द्वारा जला कर लकड़ी को कोयला बनाने तथा बाहर भेजने से रोकने हेतु)

५६. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (काश्तकारों को जिले के निकटतम वन से ही लकड़ी लाने की सुविधा प्राप्त कराने हेतु)

श्री नारायणसिंह :

४८. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (भू—संरक्षण पर बहस करने हेतु)

३७. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन पुनर्सीमन की साधारण एवं विशेष कर जिला अजमेर में आवश्यकता पर बहस करने हेतु)

३८. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (वनोपयोगी भूमि के सर्वेक्षण पर बहस करने हेतु)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है और वह इस प्रकार से है कि धौलपुर के अन्दर चम्बल नदी जो राजस्थान की सीमा पर बहती है, उसके जो खोर हैं उनमें राजस्थान सरकार का वन विभाग फॉरेस्ट लगा रहा है उसकी प्रगति के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो फॉरेस्ट उसमें लगाया

(डॉ० बहादुरसिंह)

जा रहा है वह भूमि ऐसी है कि उसका क्षरण होता है बरसात के कारण, उसकी जो व्यवस्था की जा रही है उसके सम्बन्ध में है। जो फोरेस्टेशन किया जा रहा है, उसकी जो प्रगति हो रही है वह प्रगति बड़ी मन्द गति से हो रही है। फोरेस्ट विभाग के माननीय मंत्री महोदय बदले हैं, मैं उनसे आशा करूंगा कि वे इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और धौलपुर के फोरेस्ट की जो प्रगति है उसमें वे जल्दी करेंगे। उन्हीं के लिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। धौलपुर एक ऐसा एरिया है जिसके १/४ भाग के अन्दर फोरेस्ट है। आपने वहां पशु-वन-विहार भी बनाया है। लेकिन जिस प्रकार की प्रगति होनी चाहिये वह प्रगति अभी तक नहीं हो पायी है। पिछले वन मंत्रीजी जिनके स्वभाव के अन्दर वन की आदत आ गई थी वह आदत नहीं गई....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Bahadur Singh, You will avoid such sort of personal reflections so far as the members are concerned.

२. २६ म. प.

डॉ० बहादुरसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था पशु-वन-विहार के अन्दर आपका स्टाफ है वह भी पर्याप्त नहीं है। प्रचार उसके लिए होना चाहिये। दो-एक बोर्ड बना दिये, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। गेम सेन्क्चुरीज़ के बारे में जो व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था होना आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि जो जानवर हैं जिन लोगों को लाइसेन्स नहीं देते हैं वे भी मार ले आते हैं। शाह अफगान जब आये थे तो वे अव्यवस्था के कारण वहां शिकार नहीं कर सके। इससे हमारी इन्टरनेशनल रेपुटेशन गिरी है।

हमें ताज्जुब होता है, उत्तर प्रदेश के ए० डी० एम० आते हैं, शेरनी का शिकार करके चले जाते हैं और उसके लिये कहा जाता है कि वह मैन इटर थी और इसलिए शिकार हो गया कि वह मैन इटर है। इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण क्या होता है कि छोटे छोटे जानवरों को कोई मार लेता है। उनके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। हम जिस प्रकार से डेवेलप करना चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा धन और दें तो वहां का पशु-वन-विहार काफ़ी प्रगति कर सकता है।

अब मैं चम्बल रेविन्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। धौलपुर प्रोपर से करीब डेढ़ मील के बाद यह एरिया शुरू हो जाता है। इस तरह से यह काफी लंबा-चौड़ा एरिया है। आयुर्वेद के चिकित्सक के नाते आपसे निवेदन करूंगा कि आप वहां पर इस प्रकार के पेड़ लगायें; जैसे अमलताश आदि है जिससे राजस्थान की वनसम्पदा में काफ़ी प्रगति होगी और उससे अच्छे रिटर्न भी मिल सकेंगे। फॉरेस्ट विभाग को इससे काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। आप वहां जंगल की लकड़ियां लगाते हैं तो इससे कुछ आमदनी होने वाली नहीं। फॉरेस्ट के विकास के बारे में मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था। यह इतनी शानदार जगह पर है कि उसके अन्दर दो तो बड़े कुंए हैं जिनका कम्पाउन्ड १/४ ऊंचा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी शानदार जगह सारे डिविज़न के अन्दर नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : There is no quorum, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I am just declaring that there is no quorum. Please ring the bell and request the members as well as the whips on my request to be more attentive. I have been repeating to seek co-operation of the whips, of which I am being deprived all the time.

(गणपूरक घंटी)

डॉ० बहादुरसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो रेविन्स हैं इनमें आप अच्छी अच्छी वनौषधियों लगावें और नर्सरी में भी वनौषधियों के बड़े बड़े पेड़ और पौधे लगाएं। वहां अच्छी जमीन है, वह इसको मानती है। इससे काफ़ी अच्छी इन्कम विभाग को हो सकती है। धौलपुर की जमीन में आम के पेड़ भी आप काफी लगा सकते हैं। इससे भी आमदनी अच्छी हो सकती है।

दूसरी बात, गांवों के पास आपने जो जंगल लगाये हैं उनमें जो जाली लगाकर जंगली जानवरों को रोका है वह काफी डिफेक्टिव है। आप उसको इस तरह लगावें कि बाहर के जानवर अन्दर न जा सकें और अन्दर के भी जंगली जानवर रात को, दिन को पास के गांवों में आकर नुकसान न कर सकें। तो यह जाली आप ठीक तरह से लगावें।

दूसरा, डांग एरिया के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां किसानों को उनके जरूरी कामों के लिये; जैसे हल है तथा और और कृषि के उपयोगी औज़ार हैं उनके लिये लकड़ी मिलने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। उनकी आज शिकायत है कि पहले स्टेट के वक्त में तो मिलती थी पर आज दिक्कतें पैदा की जाती हैं। पहले जहां छूट थी तो वाजिब सख्ती भी थी। धौलपुर महाराज को जंगलों का बड़ा शौक था। इसी का नमूना उनका बंगला है जो उन्होंने जंगलों में बनाया है, जिसको शायद आपने गैस्ट हाउस के लिये ले लिया है। तो तब के फोरेस्ट की और अब के फोरेस्ट की हालत को देखते हैं तो काफी फर्क पाते हैं। तो इसे आप ठीक करें। आप गेम सेक्चुरी को ठीक करें, डेवलप करें।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा धौलपुर में रेलवे लाइन है और दोनों तरफ काफी बड़े बड़े खड्डे हैं। अगर आप उनमें भी फोरेस्ट लगावें तो काफ़ी अच्छी इन्कम हो सकती है। मुझे यह भी मालूम है कि केन्द्रीय सरकार और रेलवे भी आपको इसमें मदद करेगी, आधा पैसा वे दे देंगे। साठ-साठ मील तक ये हैं इस तरह १५० मील का वह एरिया है। उसमें दोनों तरफ आप फोरेस्ट लगा सकते हैं और वहां की जमीन को देखते हुए आम भी काफ़ी अच्छे लग सकते हैं और इससे डिपार्टमेन्ट को काफी आमदनी हो सकती है।

मैं और निवेदन करूं कि गेम सेक्चुरी को कन्ट्रोल करने के लिये आप ऊंचा अफसर वहां रखें, रेन्जर से ऊपर की पोस्ट का हो ताकि वह खुद इमीजिएट एक्शन ले सके और ऊपर से परमिशन लेने की बार बार दिक्कत में समय व्यर्थ न जाने पावे। मैं इन शब्दों के साथ अपना यह कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

Page No.76

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है । बीकानेर जिले में एक मात्र जंगल हैं जो जोड़ बीड़ के नाम से मशहूर है जो ७०० वर्ग मील में है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जंगल बीकानेर स्टेट के वक्त से कायम है पर राजस्थान बनने के बाद इसकी कोई तरक्की हुई हो, ऐसा नहीं लगता । उपाध्यक्ष महोदय, उल्टे वहां के जो फोरेस्ट गार्ड्स हैं वे लोकल विलेजर्स से मिल कर वहां के जंगल की लकडियां और पेड़ों को कटवा देते हैं । आज भी जाकर अगर आकस्मिक रूप से देखें तो हजारों की तादाद में कटते नजर आवेंगे और वैसे प्रत्यक्ष में हजारों की तादाद में पहले के कटे हुए दिखाई देंगे । राजस्थान में वैसे भी जंगलों का लगाना और उनका पालन-पोषण करना मुश्किल काम है, और बहुत जरूरी भी है । और उसमें भी रेगिस्तान में तो और भी मुश्किल है । इतने बड़े कठिन परिश्रम और खर्चे से जो जंगल लगाया गया उसे यों बेरहमी से काटा जावे, यह अधिकारियों की भारी उपेक्षा का सुबूत है । अगर उसको हम न बढ़ा सकें और जो है उसी को कायम रख लें तो बड़ी बात है । जिस तरह से रेगिस्तान बढ़ता हुआ चला जा रहा है उसे देखते हुए हमें इन जंगलों को बढ़ाना बहुत आवश्यक है । इस तरह की शिकायतें बार बार वहां के पचायतों के सरपंचों ने की, तार दिये चिठ्यिां दीं पर इस विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की । वे गार्ड उसे लोकल ठेकेदारों से मिलकर गांव वालों से मिलकर यों ही कटवाते चले जा रहे हैं । यह बहुत उपेक्षावृत्ति का शिकार हो रहा है । सरकार को, मैं समझता हूं, सतर्कता से अब इसे रोकना चाहिये और उन गार्ड्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

दूसरी योजना में नर्सरी लगाने का प्रावधान किया गया है । ६० हजार रुपया सैंक्शन किया गया है । मौके पर जाकर अगर देखा जाय तो सिवाय कुछ पेड़ों के चारों ओर खाई खोदने के एक भी नया पेड़ लगाया हो या पौधा लगाया हो, ऐसा नहीं प्रतीत होता । ऐसा लगता है, उन खाइयों को खोदने में ही वह ६० हज़ार रुपया खर्च कर दिया गया है । मैं चाहता हूं कि इस तरह से काम न किया जाय, इसमें पूरी सतर्कता बर्ती जाय और जोड़ बीड़ के बारे में कुछ लगन से काम किया जाय ।

जहां तक फॉरेस्ट कटवाये जाने का सवाल है इस बारे में सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । इसका एक उपाय है वहां जितने गार्ड्स हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन सबको अलग अलग एरिया बांट कर उनको डिमार्केट कर दिया जाय और उस एरिया में जितने बड़े बड़े या जितने गिनती में आ सकें उन सब दरख्तों को गिन कर नम्बर लगा दिये जायं और फिर उनके सुपुर्द कर दिया जाय और कह दिया जाय कि इतने वृक्ष तुम्हारे एरिया में हैं, अगर इनमें से कोई कम हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है । अगर ऐसा आप करेंगे तो वे कुछ पर्वाह भी करेंगे और आइन्दा पेड़ नहीं कटेंगे । तो इस तरह से इस जोड़ बीड़ की ओर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४ पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है । हमारे यहां जंगलों का बहुत बड़ा महत्व है और खास करके उदयपुर डिविज़न में जो जंगल हैं वह बहुत बड़े बड़े हैं और महत्व के हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव सोसाइटीज़ को प्रोत्साहन देने का और ठेके की जो प्रथा है उसको बन्द करने का है । फोरेस्ट सोसाइटीज़ उदयपुर डिविज़न में कई जगह बनी हुई हैं जैसे हमारे वहां कोटड़ा में ५ फोरेस्ट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं । एक फोरेस्ट सोसाइटी महाड़ी नाम की गत वर्ष बनी और उस फोरेस्ट सोसाइटी के बनने से वहां के आसपास के मज़दूरों को उस फोरेस्ट सोसाइटी के मार्फत मज़दूरी मिली । उस फोरेस्ट सोसाइटी में आसपास के लोगों के शेयर्स हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां सोसाइटी को जो गत वर्ष जंगल मिला था वही इस साल मिला· लेकिन जितना चाहिए था वह नहीं मिला । उस साल सोसाइटी को जंगल मिलने से २० हज़ार का फ़ायदा हुआ लेकिन इस साल तो २० हज़ार के बजाय १० हज़ार का फायदा भी होने वाला नहीं है और शायद उससे तो नुकसान होने वाला है । इसका खास कारण यह है कि हमारे फोरेस्ट विभाग के अधिकारी यह चाहते हैं कि फोरेस्ट सोसाइटीज़ नहीं पनपें । इसका, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं । वहां की फोरेस्ट सोसाइटी ने बहुत कोशिश की कि हमको ज्यादा जंगल दिया जाये और जितना गत वर्ष मिला उससे ज्यादा मिले और सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने इसके लिए कोशिश की और एप्लीकेशन दी कि हमको ज्यादा दिया जाये लेकिन उदयपुर डिविज़न के फोरेस्ट अधिकारियों ने बीच-बचाव करके ज्यादा जंगल नहीं दिया और उससे कम दिया । कम देने की वजह से मैं समझता हूं कि सोसाइटी को इस साल नुकसान होगा । वहां पर इसी वर्ष एक डेडमारिया सोसाइटी बनी उसमें सबसे बड़ी दिक्कतें आईं । वह सोसाइटी बनी लेकिन सरकार की तरफ से लोन जल्दी से जल्दी नहीं मिला । इस वजह से मैं समझता हूँ कि सोसाइटी को भी शायद नुकसान ही रहेगा । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा पनपें क्योंकि ठेकेदारों को जो ठेकों में जंगल दिये जाते हैं उनसे बड़े बड़े फोरेस्ट के अधिकारियों को अच्छी सुविधायें रहती हैं या यह कहिये कि उनको गाड़ियां मिल जाती हैं । वह जंगलों में घूमने जायें तो ठेकेदार गाड़ियां दे देते हैं । वैसे अधिकारियों के पास तो गाड़ियां नहीं होती हैं इसलिये ठेकेदारों से अधिकारियों को काफी सुविधायें मिल जाती हैं । इस वजह से यह चाहते हैं कि ठेकेदारी की प्रथा ही रहे । लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटीज़ पनपाई जायें, ठेकेदारी प्रथा को बन्द कर दिया जाये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह दूसरी सोसाइटीज़ हम बनाने जा रहे हैं, तलोई हमारे कोटडा तहसील में ही है । वहां उसके आसपास में बांस का जंगल है । जैसे पानरवा नाम का जंगल है वह भी हमारे वहां का ही है और वहां जंगलों से लाखों रुपयों का माल हर साल निकलता है और वह मैं चाहता हूँ कि सोसाइटीज़ को ही दिया जाये । सोसाइटीज़ को देने से जंगलों की अधिक रक्षा

(श्री लक्ष्मण हीरात)

हो सकेगी और सोसाइटीज़ चाहती हैं कि जंगल बर्बाद न किये जायें और जो काम की लकड़ी हों वह ही निकाली जाये, इससे उनको ज्यादा लाभ होगा। ठेकेदारों को देने से यह होता है कि सारा का सारा माल निकाल लेते हैं और यह नहीं देखते कि इस लकड़ी को अगली साल काटा जा सकता है। लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं वे सोचती हैं कि ये हमारे ही जंगल हैं। इसलिए सोसाइटीज़ सब तरह का ध्यान रखती हैं। इसलिए ठेकेदारों को ठेका न देकर सोसाइटीज़ को जंगल दिये जाने चाहिए और सोसाइटीज़ को हमें पनपाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत डिमार्केशन लाइन की है। जैसे फलासिया, सराड़ा है इस इलाके में तो डिमार्केशन लाइन इस विभाग द्वारा डाली गई है वह गांव वालों के बिना पूछे ही डाली गई है। एक फोरेस्ट कमेटी बनी हुई है और मैं समझता हूं कि वह फोरेस्ट कमेटी आई हमने फोरेस्ट कमेटी के सामने हमारी मांगें रखीं और वहां के किसानों ने भी अपनी दिक्कतें बताईं लेकिन फोरेस्ट कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी और रिपोर्ट नहीं देने की वजह से जैसी समस्या डिमार्केशन लाइन की है वह वैसी की वैसी बनी हुई है। कर्मचारी ही धांधली करते हैं और गांव वालों के बिना पूछे ही डिमार्केशन लाइन डाली जाती है। इससे बड़ी दिक्कतें होती हैं।

(घन्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे और कहनी है जो डिमार्केशन में जमीन आ जाती है उन जमीन आ जाने वाले किसानों को इस विभाग के द्वारा मुआवजा नहीं मिलता है। सबसे पहला कुसूर तो यह है कि वह पहले गांव वालों से पूछें फिर डिमार्केशन लाइन डालें और अगर लाइन डाली जाती है और उसमें किसी की जमीन आ गई है तो उसको कम से कम मुआवज़ा तो देना चाहिए। लेकिन यह भी हमारी सरकार की तरफ से और इस विभाग की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात और कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां उदयपुर डिवीज़न में ऐसे इलाके हैं जहां कि किसान बिल्कुल जंगल में ही रहते हैं और उनकी जमीन भी जंगल में ही है। वहां एक तरह का ऐसा कन्फ्युज़न हुआ है कि किसानों की जमीन या तो जंगल में है तो इधर तो रेवेन्यू वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारे रेवेन्यू विभाग की है और इधर फोरेस्ट वाले कहते हैं कि यह फोरेस्ट डिपार्टमेंट की है। तो इस तरह की ऐसी समस्या है तो इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू विभाग और फोरेस्ट विभाग वाले दोनों विभाग के अधिकारी बैठ कर उस समस्या को सुलझा लें, इससे वहां के किसानों को राहत मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है, उसके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए, पेश करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विद्यासागर।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में है। जो वन में भूमि आती है और उस भूमि पर जो चराई शुल्क लिया जाता है, उसके बारे में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चराई किस प्रकार ली जाये, कैसे ली जाये, किनसे ली जाये और किस भूमि से ली जावे इसके बारे में बहुत कुछ विचार करना पड़ता है। यह चराई देने वाले कौन होते हैं, चराई किनसे ली जाती है और चराई किस प्रकार से वसूल करते समय सही ढंग से वसूली की जाती है या जो कुछ चराई वसूल की जाती है उससे ज्यादा जो चराई देने वाले हैं उनसे वसूल करने पर भी गवर्नमेंट को उनका कौन सा हिस्सा मिलता है। सबसे पहले चराई के बारे में हमें यह यह देखना होगा कि हम जिन लोगों से चराई लेते हैं उनसे चराई वसूल की जाती है वह लोग किस प्रकार से करते हैं। यह उन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं जो केवल अपना जीवन पशुओं को चरा कर अधिकतर पहाड़ी इलाके में रह कर अपनी गुजर करते हैं। उनसे चराई लेने का जो ढंग है उसका एक उदाहरण मैं जयपुर—दिल्ली रोड पर सिरिसका के जंगल के आसपास का दूं, यह सिरिसका अलवर स्टेट के टाइम में एक बहुत प्रसिद्ध जंगल रहा है, और अब भी है। सबसे पहली बात जो ध्यान में लाने की चीज़ है कि जहां जंगल बहुत गहरा है और जिन जंगलों में प्राकृतिक जंगल अपने आप खड़ा होता है जहां कि शेर और अन्य जंगली जानवरों की भरमार है उसी जगह हमारे वन विभाग ने प्लान्टेशन किया है। ५७ में प्लान्टेशन किया, ५८ में दूसरा और ५६ में तीसरा यह प्लान्टेशन किया है। उसके पास एक हरिपुरा ग्राम है उसके तीन तरफ यह किया गया है। सबसे पहले वहां जो चराई टैक्स लिया जाता है यह देखने की बड़ी जरूरत हो जाती है कि जो गांव केवल वहां पर पशु पाल कर और पशुओं को चरा कर अपना निर्वाह करता है, अपने जीवन का गुजारा करता है, वहां के रहने वाले केवल पशु पाल कर और आसपास चरा कर अपना गुज़ारा करें उसी गांव के चारों तरफ, एक तरफ पहाड़ जो कि पहले से ही रुका हुआ था और तीन तरफ प्लान्टेशन लगा कर उसको चारों तरफ से घेर लिया जाना और जो लोग अपना गुजारा केवल चराई पर करते हैं उनके पशुओं को कहीं भी निकलने की गुन्जायश नहीं रखी, यह वन विभाग में चराई टैक्स वसूल करने का तरीका है। और इस प्रकार से होते हुए भी वहां पर जो कुछ रेन्जर साहब हैं, जो चराई की दरें वसूल करते हैं उनके बारे में बड़ी ही अद्भुत बात वहां के रहने वालों ने कही और थोड़ा सा मैंने जो कुछ देखा है वह अर्ज कर रहा हूं। दांतली के ऊपर कुछ टैक्स बन्धा हुआ है कि जो चराई की भूमि है, जो फौरेस्ट रुके हुए हैं या जो प्लान्टेशन हो रहा है उसमें चराई कराने वाला एक दांतली पर कुछ रुपये जमा कराता है। यह रेन्जर महोदय जिनकी देखरेख में प्लान्टेशन है वह कुछ रुपये जमा करा लेते हैं, उनमें से कुछ को यह छूट देता है। कायदा यह है कि दांतली के रुपये जमा कराने वाला, दांतली का मतलब है कि दांतली से काट कर बड़े से बड़ा बोझ जो ला सकता है, आसानी से ले आये, वह ला सकता है। मगर रेन्जर महोदय की एक अजीब तरकीब निकाली हुई है, वह यह है कि रेन्जर महोदय के पास २-४ सेर महीने में घी पहुंचता रहे, रेन्जर महोदय घी चाहे अल-

(श्री रामकरणसिंह)

वर भेजें चाहे जयपुर भेजें और उसको भेज-कर अपना पैसा कमाते रहें, चूंकि वहां के रहने वालों का यह काम है,व्यवस्था है रोजाना का पशुपालन का वह घी आसानी से दे देते हैं, तो घी देने वालों को तो छूट दी जाती है कि प्लान्टेशन में....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Is it a Revenue System or a Barter System ?

श्री उपाध्यक्ष : You can term it as a Bartar System.

श्री रामकरणसिंह : प्लान्टेशन के एरिया में वह इस प्रकार से बड़े अच्छे ढंग से छूट दे देते हैं कि दिन भर घास कटता रहता है और बागर लगा लेते हैं। बागरों के रूप में इकट्ठा करने की छूट देते हैं और बजाय एक वहां पर ५–५ दांतली वालों को छूट होती है। बागर में काफी घास इकट्ठा कर लिया जाता है १०–१५ दिन में। फिर १ या २ दिन में गाड़ी लाकर या अन्य प्रकार से आदमी लाकर वहां से बागर उठाई जाती है। तो कहने की बात है कि किस प्रकार से रेन्जर महोदय की वजह से सरकार को टैक्स नहीं आता है। जिस घास के लिए सरकार ने वहां प्रबन्ध कर रखा है, उस प्रबन्ध के लिए रेन्जर महोदय सरकार से पैसा लेते हैं गांव वालों से दांतली का पैसा लेते हैं और गांव वालों से घी भी वसूल करते हैं और इधर जो बागर के रूप में घास इकट्ठा करते हैं उनको इतना पर्सेन्टेज देकर, एक एक बोझ पर कुछ रुपया लगा रखा है कि इतना रुपया इतने बोझ पर देंगे वह ले जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था आपके वन विभाग की है जो कि सिरिसका के पास में हरिपुरा ग्राम है उसके तीन तरफ की हुई है। इसके अलावा उस शख्स के पास में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं पहुंचती है तो चाहे कोई बकरी चली जाय, कोई पशु चला जाय, क्योंकि गांव के चारों तरफ प्लान्टेशन है तो जिस किसी ने घी नहीं दिया या अन्य प्रकार की जैसी वह चाहते हैं मदद नहीं दी, फायदा नहीं पहुंचाया तो वे किसी तरह नहीं बचते हैं।

(घंटी)

एक पशु के बजाय कई पशुओं के घुसने का इल्जाम लगा कर उसका बुरी तरह से पीछा करते हैं। इस प्रकार का रवैया आपके यहां है।

इसके अलावा हमें यह देखना है कि जो चराई पशु पालन पर ली जाती है यह सर-कार की एक अजीब सी नीति है। एक तरफ तो हम गोशालाएं, पिंजरापोल व भेड़ पालने की संस्था तथा अन्य प्रकार की कई संस्थाएं चलाते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान में एक ही बाज़ार में एक ही चीज़ के कई कई भाव हैं। अभी माननीय मंत्रीजी ने कुछ दिन पूर्व चराई टैक्स पर बताया था कि हरेक जगह पर चराई है वह गाय, बैल, भैंस, बकरी या अन्य प्रकार के जो पशु हैं उन पर हर एक पर विभिन्न रेट्स हैं। तो इस प्रकार से एक बाजार में और एक बाजार में एक ही चीज़ के कई भाव हैं। जब राजस्थान गवर्नमेंट इस प्रकार से जो लोग खानाबदोश के रूप में रहते हैं, जिनके लिए डाक की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वे जंगल में रहते हैं, अपना

(श्री रामकरणसिंह)

गुजारा जंगलों में करते हैं उनको दवाई की फेसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि जंगलों में दवा के लिए दवाखाना नहीं खोलेंगे और न चलते-फिरते दवाखाने हैं जो उनको सम्हाल सकें। अपनी जान जोखिम में वे २४ घन्टे रखते हैं। उनका जंगली जानवरों से पाला पड़ता रहता है। उनके बीच में २४ घन्टे रहते हैं। इतना रिस्क लेकर जो काम करते हैं, अपना गुज़ारा करते हैं उन लोगों से चराई टैक्स वसूल किया जाता है।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, एक मिनट। यही चराई टैक्स जो उन लोगों से लिया जाता है अगर वह जायज़ रूप से सीधा सरकार के हाथ में जाय तो किसी प्रकार का शायद इन लोगों को यानी पैसा देने वालों को महसूस नहीं हो। लेकिन आज आपका जो चराई टैक्स वसूल किया जाता है उसके ऊपर उसका एक सौवां हिस्सा भी सरकारी खजाने में नहीं आता है बल्कि उसका बहुत अधिक हिस्सा जो रेन्जर या फोरेस्ट गार्ड हैं उनकी जेबों में जाता है। क्योंकि जो देने वाले हैं वे इतने समझदार नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं बल्कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं और हरेक जनता से कट ऑफ रहते हैं। इस प्रकार की आज व्यवस्था है। सरकार या तो इन लोगों से सालाना वसूल करले कि इतना रुपया देने के बाद किसी प्रकार रुपया, कोई चीज़ नहीं देनी पड़े। यानि इसके लिए किसी प्रकार की अपनी व्यवस्था करें कि उन लोगों को छूट दें या कुछेक एरिया देकर सहूलियत दी जाय और इसके बारे में पूरी तरह से विचार किया जाय। यही मैं कहना चाहता हूं।

भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा—सु): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के बारे में मेरा एक कट मोशन है। वैसे तो जब से राजस्थान बना है तब से हमारे गांवों के लोगों को रात-दिन वन विभाग के संबंध में शिकायतें हैं और अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वन विभाग के बारे में गांवों के लोगों में इतना असंतोष बढ़ गया है और इतनी बेचैनी उनमें होती जा रही है कि वे बड़े से बड़े व्यक्ति की भी इज्जत नहीं करते हैं। अभी मैंने एक काण्ड देखा कि तालेड़ा में हमारी भारत सरकार के मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा पधारे थे और वहां पर हमारे राजस्थान के लोकनायक वर्मा साहब पधारे थे। जिस समय हमारे माननीय लोकनायक बोलने के लिए खड़े हुए तो तालेड़ा, बूंदी की आम जनता ने कहा कि माननीय वर्मा साहब हमारी जंगलों की शिकायतों को कोई सुनता नहीं है राजस्थान में, इसलिये जनता आपका भाषण सुनना नहीं चाहती।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय वर्मा साहब इस असेम्बली से संबंध नहीं रखते हैं और न मंत्री मंडल से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए उनके भाषण का प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : वर्मा साहब के भाषण का नहीं कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : उदाहरण उन व्यक्तियों का दिया जाय जिनका इस हाउस से संबंध हो।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : तो, उपाध्यक्ष महोदय, लोकनायक जैसे व्यक्तियों पर लोग अविश्वास करने लग जाते हैं, तो

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

मंत्रियों का भी मौका आ सकता है गांव में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम इस स्थिति को सम्हाला जाय और गांवों के लोगों में वन विभाग के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है उसको रोका जाये। तो मैं यह बता रहा था कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार लाखों-करोडों रुपये वृक्षारोपण के नाम पर खर्च करती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वृक्षारोपण होना तो दूर रहा मौजूदा जंगल भी नष्ट होते जा रहे हैं। सरकार को वन विभाग यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि हम जंगलों से अधिक से अधिक आमदनी सरकार को देते हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, जंगलों से जितनी आमदनी ये लोग दे रहे हैं उसका आधा हिस्सा वन विभाग के कर्मचारियों की जेब में दाखिल हो जाता है जिसकी कोई रसीद नहीं कटती और बाला बाला ही उनकी जेब में चला जाता है। आज फोरेस्ट गार्ड्स की यह हालत हैं, कि वे समय पर नाके पर नहीं मिलते। गांव के लोग लकड़ी लेने जाते हैं, नाकेदार देखता है कि १० बजे वे लोग आयेंगे तो उस समय वह नाके से गायब हो जाता है। दिन भर परेशान होने के बाद वे यह सोचते हैं कि जंगल से लकड़ी काटना जरूरी है तब वे बिना चिट्ठी कटाये ही जंगल में घुसते हैं और नाकेदार उनको बीच जंगल में पकड़ लेता है और कहता है कि चिट्ठी कटा कर क्यों नहीं गये? तब किसान कहता है कि आप नाके पर नहीं थे मैं तो गया था लेकिन वह कहते हैं कि तुमसे आठ गुना या चार गुना वसूल किया जायगा। जब किसान को आठ गुना या चार गुना वसूल करने को धमकी दी जाती है तो वह कहता है आधा आप लेलो। तब वह आधे के बजाय चौथाई तक लेने को तैयार हो जाता है और उस पैसे को जेब में रख कर उसको रवाना कर देता है। इस तरह से वन विभाग के अन्दर चारों तरफ से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इन बातों को भूतपूर्व वन मंत्रीजी के सामने रखते थे तो वे कहते थे कि जानता हूं कि वन स्थिति कैसी है। हम कहते हैं कि किसान को झाड़ नहीं मिलते हैं अपनी फसल की रखवाली करने के लिये इसलिये जंगल के जानवर उजाड़ करते हैं लेकिन वन मंत्रीजी कहते हैं कि वे मिट्टी की दीवार क्यों नहीं बना लेते? लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि रेगिस्तान में एक फावड़े में जल्दी मिट्टी खुद जाती है लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भाग में फावड़े से मिट्टी नहीं खुदती है और वहां पर मिट्टी की दीवार टिक नहीं पाती। किसान खेत की बाड़ उस मिट्टी से नहीं कर सकते। इसीलिये उनको झाड़ की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वे झाड़ काट नहीं सकते, चिट्ठी नहीं मिलती। नाकेदार से मिल कर उसको कुछ पैसा देते हैं तो झाड़ भी मिल जाते हैं और लकड़ी भी मिल जाती है। यदि यह रुपया राज्य के खजाने में जमा होता तो हम जानते कि सरकार की आमदनी बढ़ रही है जंगल उजड़े तो भी कोई बात नहीं लेकिन खजाने में जमा भी नहीं होता और तकलीफ भी रहती है। इससे जनता को संतोष नहीं होता उसमें असंतोष बढ़ रहा है इसीलये इसको रोका जाना चाहिये।

दूसरी तरफ, किसान को आज लकड़ी किस प्रकार से बताई जाती है, एक? तरफ कहते हैं सामद, हलफूल की लकड़ी फ्री देते हैं, उनसे कुछ नहीं लेते, रियायतन देते हैं।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

यह कह दिया जाता है लेकिन उनके समय की कीमत आंकी जाय तो किसान जंगल में लकड़ी के लिये जाता है तो पहले उसे यह कहा जाता है कि तुम साबित करो कि तुम किसान हो। किसान होने का लाइसेन्स लाने के लिये उसको पटवारी के पास जाना पड़ता है। फिर उसको कहते हैं कि तुम किसान हो तो २ रु० फीस के या रिश्वत के दो तस्दीक करेंगे कि यह किसान है। उसके बाद वह रेन्जर के पास जाता है तो २ रु. रेन्जर को देने पड़ते हैं। आप यह कहें कि इसको साबित कर सकते हो क्या तो मैं, अर्ज करूंगा कि आज-कल रिश्वत लेने के नये नये तरीके निकल गये हैं, साबित करना मुश्किल हो गया है। फिर उसको नाकेदार को २ रु. और देने पड़ते हैं। इस तरह से ६ रु. देने के बाद उसको जंगल में घुसने का परमिट मिलता है लेकिन जंगल में उसको सामद की लकड़ी नहीं मिलती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मसला है इस पर और बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन मेरी सीमाएं हैं समय के सम्बन्ध में। मैं निवेदन करूंगा कि घंटी बजती है, उसका भी महत्व है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल': उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी यह कहा था कि अच्छे २ बोलनेवाले बोल लें, उनके बाद समय मिलेगा....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा था इसलिये तो आप बोल रहे हैं। आप समय खराब न करें एक मिनट में समाप्त करें।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : मैं कह रहा था वह बीच में ही भूल गया।

श्री उपाध्यक्ष : वह बात भूलने जैसी ही थी, यदि वास्तविक होती तो भूलते नहीं।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : इस प्रकार से वन के बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि काश्तकारों को सामद की लकड़ी नहीं मिलती है और उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है क्योंकि सरकार बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेका देती है। ये ठेकेदार करते क्या हैं कि अपनी हद से या जो एरिया उनको एलॉटेड है उससे ज्यादा लकड़ी काटते हैं। पहले मैंने फुट भावता और अस्नावर की हालत बताई थी; ये लोग अधिक एरिया में लकड़ी काटते हैं। डी. एफ. ओ. वगेरह उसके खिलाफ मुकदमा करते है तो मंत्रीजी के पास भागते हैं लेनदेन और सिफ़ारिश के बाद ऊपर से कहते हैं कोई केस मत बनाओ, फ्री करो। इस तरह से वे आये दिन वन को उजाड़ते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि वन राष्ट्र की संपत्ति है, वन महोत्सव मनाओ। इससे गांव के लोगों को अश्रद्धा हो गई है और अश्रद्धा के कारण सारा वन उजाड़ा जाता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर लगता है कि आप रोकनेवाले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं रोकनेवाला नहीं हूं, सदन रोकनेवाला है, सदन ने मुझमें विश्वास किया है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : मैं भी

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

आपमें विश्वास करता हूँ, इसलिये कहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कह रहा था कि यदि इस वन विभाग के बारे में सख्ती से काम न लेंगे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि एक तरफ 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं दूसरी तरफ किसानों को खेती के लिये सामद की लकड़ी नहीं मिलती, फसल की रक्षा करने के लिये झाड़ नहीं मिलते। लकड़ी नहीं मिलती, उनको पहिनने के लिये कपड़ा नहीं मिलता इसलिये कड़कड़ाती सर्दी में वे लकड़ी जला कर जानवरों से फसल की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन उनको जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती तो वे खेत की रखवाली नहीं कर पाते और फसल को जंगली जानवर उजाड़ जाते हैं। इसलिये मैं वर्तमान मंत्रीजी, जिन्होंने अभी चार्ज संभाला है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने चार्ज सम्हाला है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैं आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि अभी नये नये पधारे हैं और वह यह है कि इस विभाग की पुरानी बातों को में ध्यान रखते हुए इस प्रकार का नया तरीका हमारे इस वन विभाग में अपनायें जिससे गांवों के लोगों को संतोष हो जाय और गांवों के प्रतिनिधियों....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करेंगे । (श्री पी० के० चौधरी से) If you don't mind Mr. Chaudhary, I would like to give the chance to Mr. Abid Ali first, whose services are needed here.

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो डिमान्ड है, उस पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला मेरा कट मोशन कल्टीवेबल लैंड के सम्बन्ध में है: "To discuss that the cultivable land under the Forest Department be handed over to the Revenue Department." उपाध्यक्ष महोदय, अगर हाउस के सेन्स की तरफ हमारा ध्यान जाय तो यह चीज़ हमारे ख्याल में आती है और हम यह फील करते हैं कि जनरली दरख्त काटने के सम्बन्ध में हाउस की ओपीनियन या बहुत से जो माननीय सदस्यों की है वह यह है कि वे इसके विरोध में बोलते हैं और वैसे भी एक फैक्ट है, यह बात सही है, कि फोरेस्ट हमारी बहुत बड़ी वैल्थ है और उसको प्रिज़र्व करने की हमारी बहुत ड्यूटी हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की हमारे राजस्थान के लिए विशेष नीड है और यह नीड सिर्फ राजस्थान की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती है बल्कि एक सरप्लस एरिया होने के नाते, आज हमारा राजस्थान भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में भी अनाज की सप्लाई करता है। तो इस फन्डामेन्टल बात को सामने रखते हुए फोरेस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेन्ट फूड प्रोब्लम है, इस चीज़ को सामने रखते हुए आज सदन के सामने यह कटौती प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक फोरेस्ट का सम्बन्ध है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता एक है; तक फोरेस्ट प्रोडक्शन, यह ऐसी जगह पर होता है जहां पहाड़ होता है, जहां नदी नाले होते हैं, यह ऐसी भूमि होती है, जिसमें काश्तकारी होना असम्भव है। एक तो यह

(श्री आबिद अली)

फोरेस्ट का हिस्सा है व दूसरा फोरेस्ट का हिस्सा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो प्लेन्स पर फोरेस्ट खड़े हुए हैं, जहां कल्टीवेशन हो सकता है और जहां तक मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का सम्बन्ध है, तीन तहसीलों के उदाहरण, मैं आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को दे सकता हूं कि जहां चाही लैंड है, किन्हीं सर्कम्सटान्सेज़ से, जो पहले रूलर्स थे, उनका राज्य था, कुछ सर्कम्सटान्सेज़ की वजह से, उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन फोरेस्ट के अन्दर हो गई। उस ज़मीन के अन्दर कल्टीवेशन हो सकती है, उसके अन्दर प्रोडक्शन हो सकता है और प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और जो वक्त की प्रेसिंग नीड है, उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज उन एक्स्ट्रनस सर्कम्सटान्सेज़ की वजह से वह ज़मीन आज फोरेस्ट डिपार्टमेंट के कब्जे में है। सिद्धान्त यह मानता है कि जो कटील्वेबल जमीन है, जिस जमीन में प्रोडक्शन हो सकती है, उपज हो सकती है, पर्टिक्युलर लैंड, जो चाही हो सकता है, उसको फोरेस्ट से निकाल कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम प्रोडक्शन की सर्वे करें तो मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहूँगा। आज फोरेस्ट रूल्स के अनुसार और जो फोरेस्ट के प्रिन्सिपल्स हैं उनके अनुसार एक फोरेस्ट ४० वर्ष के अन्दर कटने के काबिल होता है। एक सिद्धान्त यह भी है कि ४० वर्ष के बाद उसको कटवा कर उसे नया जीवन देते हैं क्योंकि अगर एक दरख्त बराबर खड़ा रहेगा तो वह गल जायगा, सड़ जायगा, उसकी जगह दूसरा दरख्त पैदा नहीं होने वाला है। इसलिए राइट सेन्स पर उसे कटवा देते हैं क्योंकि उसे री–बर्थ देना जरूरी है। ये दो सिद्धान्त, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डिपार्टमेंट के हैं। अब जो ४० वर्ष के अन्दर उसकी प्रोडक्शन केपेसिटी को देखते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, आज का एवरेज है, उसके अन्दर फोरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक एकड़ २५० रुपये में नीलाम होता है। यह मैं एवरेज अर्ज कर रहा हूं। वैसे ३००–४०० रुपये तक कीमत जाती है। तो एक एकड़ की ग्रोस इन्कम २५० रुपये होती है। उसके मुकाबले में अगर उस लैंड को साफ करवा कर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाय तो उसके अन्दर, मैं निवेदन करूंगा कि मैं बारानी लैंड के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि एक एकड़ के अन्दर कम से कम आठ मन ज्वार होती है। तो ४० वर्ष के अन्दर ३२० मन ज्वार होती है, जिसकी कीमत अगर ११० रुपये ८ मन ज्वार की कीमत लगायें तो करीब ४,४०० रुपये का प्रोडक्शन उस लैंड में ४० वर्ष में हो जाता है। जब यह डेटा लिया तो निश्चित रूप से यह बात आई कि फोरेस्ट रखने से ४० वर्ष के प्रोडक्शन की कीमत २५० रुपये होती है। अब उसके एक्सपेन्डीचर के ऊपर ध्यान करते हैं तो देखते हैं कि फोरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट उस पर वर्क करता है। वहां फोरेस्ट गार्ड रहता है, फोरेस्ट ऑफिसर, रेंजर रहता है तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट २५० रुपये पर-एकड़ के लिए बराबर काम करता चला जाता है। इसके साथ साथ काश्तकार की नेट इन्कम लेते हैं तो ४,४०० रुपये का प्रोडक्शन वह एक्चुअली कल्टीवेट करता है। उसके बाद रेवेन्यू का भी सवाल आयेगा, रेवेन्यू भी अलग से डिमान्ड कर पायेंगे, उसका ४० वर्ष का हिसाब लगायें तो वह २५०-३०० रुपये के बीच में पड़ता है। इसलिए वह

(श्री आबिदअली)

लैंड जो कल्टीवेबल है, प्रिन्सिपल के तौर पर उसको फोरेस्ट से निकाल कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिए, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े। मैं मिसाल के तौर पर सवाई माधोपुर की बात निवेदन करूं कि सवाई माधोपुर के अन्दर वन हाफ, आधी तहसील ऐसी है जो फोरेस्ट एरिया के अन्दर है। उसके अन्दर बहुत सी जमीन इस प्रकार की है जिसमें आसानी से काश्त हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुए बने हुए हैं, कोठी बनी हुई हैं और धोरे बने हुए हैं। ये सब यह प्रमाणित करते हैं कि वह जमीन किसी जमाने में काश्त के काम में लाई जाती थी लेकिन पुराने राजाओं को शिकार खेलने का शौक होता था, वाइल्ड लाइफ को प्रिज़र्व करने के लिए वे काश्तकार को रिलीफ नहीं देना चाहते थे जो वहां आबाद थे। नतीज़ा यह हुआ कि वाइल्ड लाइफ काश्त को नुकसान पहुंचाती थी इसलिए लोग खेतों को छोड़ कर चले गये, जो चाही लैंड थी, उसको छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह आबाद हो गये। नतीजा यह निकला कि वह फोरेस्ट में आ गई। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस जमाने में फूड प्रोडक्शन की इम्पोर्टेन्स इतनी नहीं थी। लेकिन जब आज लैंड पर काफी प्रेशर है, जब अलॉटमेंट कमेटी के सामने केसेज़ आते हैं तो लैंड नहीं मिल पाता है। सदन में यह बात कई दफा आई कि अलॉटमेंट कमेटी में काफी भ्रष्टाचार होता है, जो कल्टीवेटर है उससे रुपया वसूल किया जाता है। इसका क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि प्रेशर ज्यादा है। ऐसे काश्तकार, जो भूमिहीन हैं, उनकी संख्या ज्यादा है और जो लैंड है वह बहुत कम है। इसके लिए वेज़ एन्ड मीन्स अडॉप्ट करने होंगे। जमीन कोई रबर की तरह तो नहीं कि आप चाहें कि गांवों में जमीन को रबर की तरह खींचकर बढ़ा लें, यह सम्भव नहीं है। इसके मुकाबले में आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा यह सेन्स मंत्री महोदय के सामने रखा है कि सिद्धान्त के अनुसार जो जमीन काश्त के काबिल है, जिस पर कल्टीवेशन हो सकता है, उसको फोरेस्ट से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया जाय।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव अफोरेस्टेशन का है...

श्री उपाध्यक्ष : कम से कम समय लेंगे।

श्री आबिदअली : अफोरेस्टेशन के सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसका इम्प्लीमेन्टेशन सेटिसफेक्टरी ढंग से ज़रूर हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं दो-तीन बातें, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। अफोरेस्टेशन के सम्बन्ध में खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखा जाय कि जहां तक सोइल कन्ज़र्वेशन का सवाल है, नदी की वजह से जमीन फटती है, जमीन में गेप पड़ जाते हैं, वह एग्रीकल्चरल लैंड को बराबर बर्बाद करती चली जाती है। उसको रोकने की प्रमुख समस्या है। सोइल कन्ज़र्वेशन होता है, जहां लैंड फटता है और जब दरारें बहुत दूर तक, खेतों तक चली जाती हैं उसको चेक करने के लिए अफोरेस्टेशन है। अफोरेस्टेशन से उसका चेकिंग होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अपनी तहसील के लिए अर्ज करूंगा

(श्री आबिदअली)

कि चम्बल और बनास नदी सवाई माधोपुर में बहती हैं, इसका नतीजा यह होता है कि दरारें लम्बी होती चली जाती हैं । उसको चेक करने के लिए अफोरेस्टेशन करेंगे तो उसका फायदा होगा कि जो जमीन में दरारें आगे बढ़ती जा रही हैं वे अफोरेस्टेशन होने की सूरत में चैक हो जायंगी । इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो रेगिस्तानी इलाका है वहां पर ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जिनकी बहुतायत से, जो रेगिस्तान बढ़ता है, उसकी क्षति हो, तो उसको रोकने में अच्छी तरह कामयाब हो सकते हैं । इसके लिए पहली चीज़ जरूरी है, वह अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां ऐसी क्वालिटी के पेड़ लगायें जिसके जरिये ज़मीन को लाभ हो । टीक के पेड़ रेगिस्तान में लग सकते हैं । तो इसके लिए एक्सपेरीमेंट किये जायं, फलां जगह पर फलां पेड़ लगायें तो वह ज्यादा लाभदायक होगा ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा था, यह है कि किस तरह यह रेगिस्तान का इलाका है डेज़र्ट है, इसको एफोरेस्टेशन के जरिये ठीक कर सकते हैं । फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा इसके लिए एक और डिपार्टमेंट कायम कर दिया है वह इस मामले में काम कर रहा है और इसकी रिपोर्टस भी सेटिस्फेक्ट्री हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सिलसिले में पर्टिक्युलरली वह इलाका जहां से रेगिस्तान शुरू होता है उसमें यह काम और तेजी से करना चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव रखता हूं । क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष ने जल्दी ही खत्म करने को कहा, अपना सेंस रखने के लिये इतना ही अर्ज किया है ।

जन लेखा एवं प्राक्कलन समितियों १९६०–६१ के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble the Chief Minister to move his motion regarding the election of Public Accounts Committee and Estimates Committee.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम २३० के उपनियम (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से, जनलेखा समिति १९६०-६१ के लिए १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा प्रस्ताव भी रख दीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम २३२ के उप नियम (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से, प्राक्कलन समिति १९६०-६१ के लिये १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति

(श्री उपाध्यक्ष)

१९६०-६१ के सदस्यों के निर्वाचन के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन

(पूर्व क्रम से)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ४ कटौती प्रस्ताव हैं नं० ७,८,१३ और २०, इनमें से मैं २० और १३ नम्बर के कट मोशन्स पर पहले बोलूंगा। The Cut Motion 13 is regarding the failure of the Government to give adequate attention to development of forests and the 20 is; regarding the failure of the Government to take adequate measures to prevent wind erosion in the state.

३.३३ म.प.

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, यह दोनों जो विषय हैं डेवलपमेंट ऑफ फोरेस्ट का और विन्ड इरोजन का ये दोनों एलाइड विषय हैं और दोनों कट मोशन्स पर मैं एक साथ बोलूंगा। जहां तक फोरेस्ट का सवाल है, राजस्थान का जो लैंड सर्फेस है उसका ११ प्रतिशत एरिया फोरेस्ट है इसके माने हुए कि १५,००० स्क्वायर माइल एरिया राजस्थान का फोरेस्ट के अन्दर में है। यह ओप्टिमम क्राइटेरिया है कि किसी देश में यूजेबल लैंड है, किस पर्सेंटेज से फोरेस्ट के अन्दर में रहनी चाहिये ताकि और भी कन्डीशन्स फुलफिल हों। इस हिसाब से २५ से ३३ प्रतिशत तक सर्फेस लैंड का फोरेस्ट रहना चाहिये। सेकिन्ड प्लान में भी मूव किया है : "Between 25 to 33 percent of the land surface should be under forests. In other words, about 2,24,000 acres of land should be under forests in Rajasthan.

आज इसमें हमारी सेकिन्ड प्लान का अलॉटमेंट था, वह मैं समझता हूं राजस्थान की फोरेस्ट प्रोब्लम को देखते हुए जो टार्गेट रखा था वह सफिशियेन्ट नहीं था। हमारे यहां साढे आठ हज़ार एकड़ में अफोरेस्टेशन विंड इरोज़न के लिये ११ हज़ार में शेल्टर बैल्ट रेज़ करने का था। राजस्थान की क्लाइमेट कन्डीशन्स को देखते हुए यह अलॉटमेंट कम था। मैं कट मोशन लाया हूं उससे एक दम सब कुछ नहीं हो सकता पर मैं यह इसलिये लाया हूं कि हमारा जो अफोरेस्टेशन का उद्देश्य है और विन्ड इरोजन को रोकने का हमारा उद्देश्य है कि डेज़र्ट को रोका जाय इसके लिये सेकिन्ड प्लान में जो प्रायोरिटी रखी उससे ज्यादा प्रायोरिटी इसको आगे देंगे। इस ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिये ये कट मोशन रखे हैं। इनके डिपार्टमेंट में कमी है उसको ओर ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा पर प्रोब्लम की ग्रेविटी है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। इस प्रोग्राम के बारे में जो फर्स्ट फाइव इयर प्लान में बताया है, वह मैं बता देना चाहता हूं। राजस्थान का डेज़र्ट है उसके बारे में फर्स्ट फाइव इयर प्लान में कहा गया था : "The great Indian desert of Rajasthan has been spreading towards Agra, Aligarh and Kasganj, encroaching

(श्री पी. के. चौधरी)

upon about 50 square miles of fertile land every year."

यह राजस्थान डेज़र्ट का फैलना ५० स्क्वाअयर माइल एरिया कल्टीवेबल लैंड का है। उसको स्वोलो कर रहा है एवरी इयर। यह ग्रेविटी ऑफ दिस प्रोग्राम बताता है। इसके लिये सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में दिया था : "As a first step to tackling the problem of the advance of Rajasthan desert, Research Station at Jodhpur and Pilot Scheme for the improvement of land use and creation of vegetation belts is being established." अब इस बात को माना गया है कि डेज़र्ट रोकने का तरीका है वह सिर्फ शैल्टर बैल्ट बनाना ही नहीं है बल्कि डेज़र्ट के अन्दर जमीन है उसमें से ज्यादा से ज्यादा जमीन को कल्टिवेशन के काम में लेना, यह भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। तो सिर्फ शैल्टर बैल्ट का तरीका इस चीज़ पर सेकिन्ड प्लान में एम्फेसाइज़ किया था : "Progress of desert can be stopped both by land use and by shelter belts."

अब इस लैंड यूज़ के लिये और शैल्टर बैल्ट से अफोरेस्टेशन के लिये एस्टीमेट था १६ लाख का। अफोरेस्टेशन के लिये और शेल्टर बैल्ट के लिये १७ लाख रुपया था, पर लैंड यूज़ के लिये ११—१२ लाख रुपया था। हालांकि इस बात को मूव किया है कि : "Shelter belts and land use both must have equal importance." लेकिन हमने अलॉटमेंट ऑफ फंड्स इसमें देखा तो लैंड यूज़ के लिये फंड अलॉट किया है लगभग ११—१२ लाख और शैल्ट बैल्ट व अफोरेस्टेशन के लिये फंड अलॉट किया था उसको मैं सफिशियेन्ट नहीं मानता, इससे ज्यादा किया जाय पर इसके साथ साथ An equal amount of funds should be allotted for the land use purposes.

अब सभापति महोदय, यह जो डेज़र्ट है उसको रोकने के लिये अफोरेस्टेशन का या स्पेशल बैल्ट का कहते हैं कि बनना चाहिये पर साथ साथ यह मानी हुई बात है कि हमें कॉज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस डेज़र्ट है उसकी रोक-थाम के लिये ज़्यादा कोशिश करनी होगी। नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स ने एक कमेटी अपॉइन्ट की थी कि राजस्थान के डेज़र्ट के डेवलपमेंट को रोकने के लिये एक सिम्पोशम हुआ था, उसने रिकमेन्ड किया कि हमें बाकायदा एक कार्पोरेशन बना देना चाहिये। जिस तरह दामोदर वेली कार्पोरेशन है उसी तरह की कार्पोरेशन इस एन्कोचिंग, स्प्रेडिंग डेज़र्ट को रोकने के लिये सिफारिश की थी कि इस प्रोब्लेम को डील-विथ करने के कारर्पोरेशन बनाना चाहिये और सिर्फ कारर्पोरेशन ही नहीं बनाना चाहिये बल्कि we should make research into the cause and origin of the desert, spread of the desert फिर हमारे यहां अफोरेस्टेशन और दूसरा एवोपरेशन का रिलेटिव रेशियो है, उसकी किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है ? यह कहा है कि इस संबन्ध में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। मैं अपने कट मोशन के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फाइव इयर प्लान फ्रेम करना चाहिये और इसमें हमें एडिक्वेट ध्यान देना चाहिये। We should give higher priority to it, to this problem of stopping the desert.

सभापति महोदय, इसके बाद मेरा फोरेस्ट रेवेन्यु का कटमोशन था। इसके संबन्ध में

(श्री पी. के. चौधरी)

कुछ कहना चाहता हूं । फोरेस्ट रेवेन्यु का मेरा कटमोशन न० ८ इस प्रकार है : "To discuss the failure of the Government to increase revenue from the existing forests". फोरेस्ट रेवेन्यू आज हमारी है उसको और उसके एक्सपेन्डीचर को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आज एक्सपेन्डीचर रेवेन्यू से ज्यादा है। यह फोरेस्ट मेनेजमेंट की बद–इन्तजामी से है। इस साल की रेवेन्यू और एक्सपेन्डीचर को देखें तो आपको मालूम होगा कि फोरेस्ट के हैड में घाटा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान का फोरेस्ट ही, it is one of the rich resources of the State. हम इसको बराबर एक्सप्लोइट नहीं कर पाते तो इसका मतलब यह है कि हमारा फोरेस्ट मेनेजमेंट डिफेक्टिव है क्योंकि इसका प्रोपर डिमार्केशन और सेटलमेंट नहीं हुआ है । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मेनेजमेंट ठीक तरह से नहीं होगा और इस बात को राजस्थान गवर्नमेंट ने सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में स्वीकार किया है। यह पेज ४० पर लिखा हुआ है : "Demarcation and settlement of forests is of utmost importance before any scientific management can be introduced in any forest. Little progress was made in demarcation and settlement and it is contemplated to complete it as soon as possible during the Second Five Year Plan period."

लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है यह डिमार्केशन का और सेटलमेंट का वर्क ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है और हमने इस प्लान में वर्किंग प्लान बनवाया और कुछ किया था। हमने वर्किंग प्लान बनवाया और उसमें करीब ७ लाख एलॉट किये और सर्वे के लिये १० लाख रुपये एलॉट किये लेकिन जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जाती है तो यह १७ लाख रुपया जो खर्च किया है उसके बराबर हमने काम कम्पलीट नहीं किया। लेकिन फिज़िकल एचीवमेंट कहां तक किया है, कहां तक प्रेक्टिकल वर्किंग प्लान में सफलता प्राप्त हुई है, इसको देखना है। इसमें हम अभी भी सफल नहीं हुए हैं। क्योंकि जितनी प्रोग्रेस हमको करनी चाहिये थी उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको (डिमार्केशन और सेटलमेंट को) प्रायोरिटी दी जावे। फोरेस्ट की एवरेज इन्कम १५० रुपया सालाना पर-एकड़ मिल सकती है। यह तो नोरमल फोरेस्ट रीसोर्स से इनकम होती है। हमारे यहां राजस्थान में उदयपुर में काफी एरिया है जिसकी इन्कम १५० रुपये से ज्यादा मिल सकती है क्योंकि वहां जंगल की पैदावार ज्यादा है। इसके अलावा हमारे यहां हमने फोरेस्ट के प्रोपर कूप्स वगैरह नहीं बनाये और इसके अलावा जागीरदारों के समय में जो जंगल का एरिया था उसका लीज़ था वह लीज़ हमने अभी भी कन्टीन्यू रखा है। क्यों-कि आज से १० वर्ष पहले लीज़ दिया उसके साथ साथ उसकी मियाद भी बढ़ाई जा सकती है। इससे बहुत कम आमदनी होती है और अगर इसको २० प्रतिशत बढ़ाया जावे और १० प्रतिशत बढ़ाया जावे तो भी स्टेट को इससे ज्यादा इन्कम होने की नहीं। इससे स्टेट में ६ आना या ७ आना सालाना आता है। जिनको अगर हम प्रोपर डिमार्केशन करके फोरेस्ट का फ्रेश कॉन्ट्रेक्ट दें तो २००) रु० आ सकते हैं और इसके लिये

Page No.91

(श्री पी. के. चौधरी)

आपके सामने ग्लेअरिंग एग्ज़ाम्पल है आपके पानखा फोरेस्ट की। इसका एरिया लगभग २ लाख, ८८ हज़ार एकड़ का है। अगर इसका प्रोपर एक्सप्लोइटेशन हो तो सालाना करोड़ों रुपये इससे मिल सकते हैं। आप सीधा सा मैथेमेटिकल केल्क्युलेशन निकाल सकते हैं। २,८८००० एकड़ इन्टू १५० रु० होते हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं लेकिन आज जिस रेट से लीज़ होता है उससे हमको दो आना या चार आना पर-एकड़ मिलता है। जैसा मैंने पहले अपने कटौती प्रस्ताव ७ में कहा कि गवर्नमेंट ने इस लीज़ को कैन्सिल कर दिया है, जो जागीरदारों के दिये थे उनको भी कैन्सिल कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंटल इनएफिशियेन्सी इतनी है कि कोर्ट में केस चलता है और उसकी एडीक्वेट पैरवी नहीं होती है और यह हाईकोर्ट में कॉज़ प्लीड किया, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं : "Against the above order the defendant has preferred (the defendant is the Government) no written statement in the case." यानि हाई कोर्ट में केस किया उसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ था :

श्री सभापति : That may be due to certain legal complications.

श्री पी. के. चौधरी : No written statement in this case. When the Government issued order in September, 1957 that the previous order of 31. 10. 56, granting extension of the lease is stayed, the contractor went in appeal to the Court of Magistrate at Udaipur. There the court gave a decision in favour of the contractor and one of the reasons was that the Government did not file a written statement, and that written statement was not filed even when they went to the High Court in a writ.

इसके बाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है "The wording of the above order shows that it was a final order. It is significant that in the order dated 26. 9. 57, the Govenment did not say that they were withdrawing the offer made by them..."

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है और एक माननीय सदस्य सो भी रहे हैं।

श्री सभापति : He is not snoring, आपको डिस्टर्ब थोड़े ही कर रहे हैं।

(गणपूरक घंटी)

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, मैं हाई कोर्ट के जजमेंट से बता रहा था कि कहां पर लूप होल रहा है : "It is significant that in the order dated 26. 9. 57, the Government did not say that they were withdrawing the offer made by them in their letter dated 31. 10. 58 because the plaintiff has not accepted it."

That was another lacuna made by the Government that while staying the order of 1956, they did not say that they were withdrawing the offer. इस तरह से, सभापति महोदय, जब वह केस हाई कोर्ट के सामने आया और यह आग्यु-

(श्री पी. के. चोधरी)

मेन्ट दिये कि ३१ अक्टूबर का ऑर्डर था और कॉन्ट्रेक्ट साइन हुआ वह प्रोपर ऑथोरिटी द्वारा साइन नहीं हुआ था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

राज्यपाल महोदय ने किया था "It was argued that formal document was not executed by an officer of the Government duly authorised in this behalf. No order of the Government was ever produced to show who was the officer authorised to execute contracts on behalf of the Rajpramukh in this behalf." हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि राजप्रमुख ऑथराइज्ड नहीं था। Then who was the competent officer to enter into the contract? वह भी नहीं बताया जाता है। मैं तो हाई कोर्ट के उसमें से आपके सामने एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से किस मैनर से गवर्नमेंट टेकल करती है कि हमारी इन्कम है, आज हमारा रेवेन्यू आता है उससे हन्ड्रेड टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू हमको मिल सकता है, We can get much more revenue. यह फोरेस्ट की व्यवस्था कर देंगे। आज फोरेस्ट का डेफिसिट बजट चल रहा है। It will be a paying budget and forest will be a Department which will contribute more to the Consolidated Fund than probably any other Head in the Budget.

With these words I move my cut motions.

श्री सभापति: रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): चेयरमैन महोदय, मेरा भी मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन विभाग में कटौती प्रस्ताव है। माननीय चेयरमैन महोदय, यह वन विभाग ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को जब तक वह जिन्दा है तब भी लड़की की आवश्यकता रहती है और मरता है तब भी उसको लड़की की अवश्यकता रहती है। पर देखने में आता है कि प्रजा को काफी कठिनाइयां बढ़ गई हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): बहुत सी जन-संख्या को इसकी जरूरत नहीं होती।

रावराजा श्री सरदारसिंह: उसकी ओर ध्यान तो नहीं दिया और अपनी आमदनी बढ़ाने का एक जरिया निकाल रखा है। इस विभाग का ५८-५९ में ५६ लाख का बजट था और ५९-६० में ७४ लाख-५० हज़ार और ६०-६१ में ८२ लाख की आमदनी का अनुमान है। आमदनी हमारी इससे बढ़ रही है। सरकार की आमदनी बढ़ रही है लेकिन उनके साथ साथ दुनिया की कठिनाई भी बढ़ती जा रही है। जो काम हो रहा है उस पर मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय चेयरमैन महोदय, आजकल क्या देखने में आ रहा है कि जनता को इस विभाग से इतनी कठिनाइयां महसूस हो गई हैं कि हर एक काश्तकार को इस विभाग से काम पड़ता है, हर एक काश्तकार को लकड़ी वगैरह की जरूरत रहती ही है और खास कर पहाड़ी इलाकों में इससे ज्यादा काम पड़ता है। बहुत

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

से ऐसे ऐसे गांव हैं कि जिनको जंगलात के एरिया में ले लिया गया है, उनका आज तक डिमार्केशन नहीं हुआ है और जगह जगह पर जंगलात के पत्थर गाढ़ दिये गये हैं, उनका सेटलमेंट अब तक नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि रेवेन्यू विभाग से इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है कि जब तक सेटलमेंट न हो जावे और पुख्ता डिमार्केशन न हो जावे जिनके जो हक थे वे जारी रहेंगे। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कहीं कहीं पर डिमार्केशन हो चुका है और कहीं २ पर नहीं हुआ है। आज-कल क्या हो रहा है कि वहां के जो कर्मचारी हैं उनका क्या रवैया हो गया है कि हर एक की यदि कोई मवेशी चरते चली जाती है तो फौरन उसको पकड़ लेते हैं।

श्री सभापति : आपका कट मोशन तो जलाने की लकड़ी से सम्बन्ध रखता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह तो आखिरी है, मैं उसी पर आता हूं।

दूसरा, मैं निवेदन करूं कि रेवेन्यू विभाग की जमीन है उस पर जंगलात ने पत्थर गाड़ कर दबा रखी है, गांव की भूमि है। अलीगढ़ तहसील में गलवानिया गांव है, तालाब बंध गया है, दो गांव उसमें उठ गये हैं। तहसीलदार ने....

श्री सभापति : आप विषय से अलग हट रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हुकुम, जलाने की लकड़ी, आबादी ज्यादा बढ़ जावेगी तो जलाने के लिए जरूरत नहीं रहेगी, बिजली आ गई है, ऐसा कहा जाता है।

(हंसी)

श्री सभापति : तो खत्म करिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तहसीलदार ने जमीन बता दी। एक साल के लिये लोगों ने जमीन जोत ली। दूसरे साल फॉरेस्ट वालों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। काश्तकार खेतों के बाड़ करने के लिए बाड़ा बनाने के लिए दो आने में गाड़ी लाते थे हम लोगों के वक्त में था, राजा के वक्त में भी ८ आने में गाड़ी लायी जाती थी आज दो रुपया देने में भी इतनी भारी दिक्कत हो रही है। जंगल बढ़ा है, बीस मील दूर फॉरेस्टर रहता है वहां से चिट्ठी कटवाने के लिए जाओ, वहां से चिट्ठी कटा कर आते हैं। तीन-चार दिन लग जाते हैं। एक तो उनके लिए सुविधा नहीं है जो कि होनी चाहिये।

जलाने की लकड़ी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में ठेकेदार लोग जाकर दर्ख्वास्त करते हैं। टोंक में जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है। मेरे क्षेत्र में तो कोई ठेका लेने के लिए ही तैयार नहीं है क्योंकि २० मील दूर से जाकर लकड़ी लाओ। चौमासे में तो बगैर लकड़ी के चार-चार दिन तक मुर्दे पड़े रह जाते हैं। लकड़ी का तो ऐसा अभाव हो

(हंसी)

रहा है कि मैं कहता हूं कि कोई ठेकेदार जब कोई ठेका ही नहीं लेता है तो सरकार की ओर से टाल होनी चाहिये, प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह दु:ख की बात है कि आपके गांव में ऐसा होता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : दु:ख की बात नहीं है, दो आने, आठ आने में जो गाड़ी भर कर लकड़ी मिलती थी आज दो, तीन रुपया मन में भी लकड़ी नहीं मिलती है। यह क्या दुख की बात नहीं है। आप यहां बैठ कर कह देते हैं, सीधी रोटी खा लेते हैं। काश्तकारों की हालत को देखो तो पता चले।

श्री सभापति : सीधी talk न करें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसी दु:ख के कारण काश्तकारों ने बाड़ नहीं (अश्रव्य) हैं। खेती के बाड़ करने में उनको लकड़ी नहीं मिलती। सरकार तो फायदा उठाती है और काश्तकार दु:खी होते हैं।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : इसका कारण तो यह है कि आपके वहां पर जंगल का अभाव है इसीलिये जंगल लगाये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : दो तरह के जंगल होते हैं। प्रोटेक्टेड और रिज़र्व। रिज़र्व वहां होते हैं जहां कि सागवान वगैरह कीमती लकड़ी होती है।

श्री सम्पतराम : जंगल लगा रहे हैं इसीलिए वे आपकी और हमारी जिंदगी के बाद काम में आवेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कहां फले-फूले हैं। मैंने जंगला सौंपा था आपको। वह कहां फला-फूला। अभी तो आप नये आये हैं, अभी तो आपका जन्म ही हो रहा है।

(हंसी)

लकड़ी न मिलने की काफी असुविधा है, इसलिए या तो सरकार अपने जरिये से या फोरेस्ट के जरिये से या पंचायत समिति प्रार्थना करे, डी. एफ. ओ. के पास प्रार्थना करे, कूपन से लकड़ी लाने के लिए प्रार्थना करे तो उसका प्रबन्ध आपकी तरफ से होना चाहिये। काश्तकारां के सवाई माधोपुर और टोंक इलाके में इतने बाड होते थे कि वहां पर एक शुगर फैक्ट्री लग सकती थी लेकिन इस दिक्कत के कारण काश्तकारों ने बाड बनाना ही छोड़ दिया है। सरकार इतने बड़े २ बांध बना रही है लेकिन इस बात की काश्तकारों की डिफिकल्टी को सोल्व करें जिससे कि सब को फायदा हो। सोल्व नहीं करेंगे तो यह धन-राशि काम की नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग पर मेरे करीबन १५ कट मोशन्स हैं....

एक माननीय सदस्य : ये भी कम हैं।

श्री मूलचन्द डागा : वास्तव में कम हैं; वन जो होते हैं वे धरती के सौन्दर्य होते हैं।

श्री सभापति : So you will discuss your cut motions at the rate of 3 minutes for a cut motion.

४ म० प०

श्री मूलचन्द डागा : धरती का जो सौन्दर्य होता है वह वन होते हैं और जहां

Page No.95

(श्री मूलचन्द डागा)

घने जंगल होते हैं वहां बादल भी आते हैं और वर्षा का अनुपात भी उसी हिसाब से होता है। घने जंगलों में पशु भी आनन्द से घूमते हैं। राजस्थान में घने जंगल भी और मरुस्थल भी हैं। हमारे राजस्थान में ८० हज़ार वर्ग मील का मरुस्थल है, इसके साथ बूंदी, झालावाड़, कोटा आदि क्षेत्रों में घने जंगल भी हैं। उदयपुर की पहाड़ियों, करौली आदि में भयंकर जंगल भी हैं। वन-संपदा पर हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले दो सालों से इस विभाग को बराबर घाटा रहा है। १९५७-५८ में १,१७,६२१ रुपये का घाटा रहा। ५९-६० के अन्दर ३ लाख, १९ हज़ार हो गया। इसके पिछले वर्षों के आंकड़े भी हम देखें तो उससे भी यही पता चलता है उस समय में भी घाटा रहा। वन को जहां हम सम्पदा मानते हैं उस सम्पदा से जहां आमदनी होनी चाहिये वहां हमारी सरकार को घाटा हो रहा है। इससे ऐसा मालूम होता है कि व्यवस्था में खामी है। यह तो हम खुद आसानी से समझ सकते हैं कि वन विभाग जो लकड़ी देता है और आमदनी होती है उस वन विभाग में घाटा रहे तो यह बड़े दुःख की बात है। इस मामले में हमें कुछ सोचना होगा। मैं यह मान चुका हूं कि जहां हमारे १३-१४ डिविज़न्स बने हुए हैं आप इसका पुनर्गठन करना चाहते हैं डिमार्केशन करना चाहते हैं लेकिन आपका वर्क प्लान बना हुआ नहीं है। राजस्थान बनने के १२ साल बाद भी आपका वनों के बारे में वर्किंग प्लान नहीं बना। १३ डिविज़न्स ही आप रखना चाहते हैं या ज्यादा, यह भी अभी आप तय नहीं कर पाये आपकी इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण ही प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया था :

"सभी आवश्यक तथ्यों पर विचार करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि राज्य में अधिक से अधिक १० डिविज़नों से आसानी से काम चल सकता है। अतः समिति चाहती है कि राज्य में केवल १० डिविज़न ही रहने चाहिये। समिति यह भी चाहती है कि इस समय भिन्न भिन्न अधिकारियों को जो अधिकार वितरित किये गये हैं उनका विकेन्द्रीकरण किया जाकर क्रमशः नीचे के अधिकारियों को अधिकार दे दिये जावें। ऐसा करने से १० डिविजनों से आसानी से काम चल सकता है ! अभी वर्किंग प्लान नहीं बना है इसीलिये नुकसान हो रहा है। इसलिये समिति अनुभव करती है कि वन विभाग के पुनर्गठन मे असाधारण विलम्ब हुआ है। अब इस कार्य को प्राथमिकता देकर अविलम्ब सम्पन्न करना चाहिये।"

श्री सभापति : आपने तो तीन मिनट में एक ही कट मोशन को लिया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं, सभापति महोदय, पूरा १५ मिनट में ही कह दूंगा। केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड द्वारा १०-७-५७ को १ करोड़, १५ लाख रुपया दिया गया। राजस्थान में, इस धन राशि को काम में लेने के लिये, यह रुपया इसलिये दिया गया कि मरूस्थल को रोकने के लिये उपाय कर सकें। राज्य सरकार को १९५७ में यह लिखा गया था भारत सरकार की ओर से कि १. १५ लाख की राशि दे दी जायगी लेकिन राजस्थान सरकार ने इस योजना के कार्यान्वियन के लिये इन्कार कर दिया। केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि यह कार्य आप ही करवाइये। राजस्थान का इतना बड़ा वन

(श्री मूलचन्द डागा)

विभाग है, इतने डिविज़न्स बने हुए हैं, इतना खर्चा है, उस पर १. १५ लाख रुपया जो भारत सरकार से मिलने वाला था उसके लिये वन विभाग कह देता है हमसे यह कार्य पोसीबल नहीं है, संभव नहीं, यह तो है हमारे वन विभाग की कार्य-कुशलता। इसी प्रकार कई चीजें हैं। यह तो मैंने एक नमूना पेश किया है। इस विभाग के पास कम से कम २६ गाड़ियां हैं एक पीक अप ३ लैन्ड रोवर ६ जीप, १६ ट्रक्स हैं। इनकी हालत क्या है यह देखकर बड़ा ताज्जुब होता है। इन गाड़ियों के बारे में प्राक्कलन समिति कहती है:

गाड़ियां कहां घूमती हैं, कौन ले जाते हैं, इसके लिये किसी के हस्ताक्षर नहीं। प्रत्येक गाड़ी पर कितना खर्चा होता है इसके आंकड़े नहीं रखे जाते। गाड़ियां जंगलों में घूमती हैं और भयानक जंगल है इसलिये गाड़ियां कहां कहां जाती हैं यह भी पता नहीं चल सकता। छोटे मोटे कार्यों के लिये, घर के कार्य के लिये गाड़ियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियां वहां भी ले जाई गई हैं जहां रेल से यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध है। जहां तक गाड़ियों के हिसाब रखने का सवाल है वहां तो यह वन विभाग एक जंगल की तरह हो गया है इस तरह से गाड़ियों के मामले में यह घना जंगल हो गया है। ७२ हज़ार रुपया जिन गाड़ियों पर खर्च होता है, मरम्मत करने के लिये अलग है, इसके लिये आप जो ८२ लाख रुपये की मांग कर रहे हैं मेरा इसके लिये यह निवेदन है कि आपको ८२ लाख का फायदा हो, ऐसे उपायों को सोचना चाहिये। लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना फायदा हमें मिल नहीं रहा है।

अब आप वृक्षारोपण को ही ले लीजिये इसका बड़ा त्योहार मनाया जाता है अच्छे अच्छे पौधे लगाये जाते हैं, सुन्दर सुन्दर हाथों से लगवाये जाते हैं, वे पानी पिलाते हैं। लेकिन जिनके द्वारा पानी पिलाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है आखिर उन वृक्षों में से कितने वृक्ष जीवित रहते हैं। सन् १९५० से वन महोत्सव हम मनाते आ रहे हैं। उस समय के मंत्री के० एम० मुन्शी बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने वृक्षों को यह माना है तथा तालाब और कुएं बनाने से भी ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन वास्तव में देखा जाय कि कितने पेड़ लगाये और उनमें से कितने जीवित रहे ? १९५४ में ३४ लाख पेड़ लगाये थे और उनमें से जीवित सिर्फ दो लाख रहे। आपने जहां ३४ लाख लगाये वहां केवल दो लाख जीवित रहे, इससे क्या हुआ ? १९५६ में २० लाख पेड़ लगाये जिनमें ६ लाख पैदा हुये। इसी तरह से अन्य सालों के आंकड़े भी हैं। आगे यह भी कहा गया कि कितने जीवित रहे, उसका पता तक नहीं है। जिस वृक्षारोपण महोत्सव के लिये लाखों रुपया खर्च किया जाता है, जगह जगह पेड़ लगाने के उत्सव करते हैं। इसके साथ साथ आपने शील्ड भी बनाये हैं, इनाम देने के लिये तीन शील्डस हैं, एक तो मुख्य मंत्री शील्ड, राजस्थान शील्ड और वन मंत्री शील्ड। मखौल की बात है जिनको पता नहीं कितने वृक्ष लगाये, कितने जीवत रहे लेकिन उनको उस जिले को इनाम दिया जा रहा है और दो–दो बार शील्ड दी जा रही है। कम्पीटीशन कहीं करावें तो। जिन्होंने पंचायतों में इस में सक्रिय योग दिया है उन बागवानों को, ग्रामीणों को आप शील्ड दीजिये। उनको आप सक्रिय

(श्री मूलचन्द डागा)

करिये, उनको प्रोत्साहन दीजिये तो आपकी योजना सफल हो सकेगी ।

५४ में सीकर जिले में शील्ड दी गई । सीकर में कितने पेड़ लगाये गये और कितने जीवित रहे, इसके बारे में पूछा तो इसकी संख्या विभाग के पास में नहीं है । इस अवस्था में सीकर जिले को लगातार दो वर्ष तक शील्ड किस प्रकार दी जाती रही, यह आश्चर्य की बात है । इस प्रकार के आपके कारनामे वन महोत्सव की भावना के बारे में जनता में संशय पैदा करते हैं, उनकी उत्साह-पूर्ण भावना को ठेस लगाते हैं ।

यह तो ऐसी बात हुई परीक्षक ने कह दिया पास हो गया । हम पूछें कि भाई मार्क्स कितने आये, किस डिविजन में पास हुआ तो कह दिया गया कि मार्क्स-वार्क्स कुछ नहीं, बस पास हो गया, हमने सर्टिफिकेट दे दिया । तो यह कोई अच्छी बात नहीं है सरकार के लिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अनगिनत थे, गिनती नहीं हो सकती थी ।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : अबके बात कही आपने कमाल की । ऐसी संख्याएं हैं अरब खरब के बाद कि उनकी संख्या बनी ही नहीं। इसलिये लिख नहीं सके आंकड़े । गणितज्ञ कहते हैं गिनती हो नहीं सकी । धरती के इन्च इन्च पर पेड़ लगे हैं । ठीक है । फिर तो, बहुत बहुत धन्यवाद है इन शील्ड देनेवालों को और पाने वालों को । तो मैं कह रहा था हम वन महोत्सव में वृक्ष भले ही कम लगावें पर जो लगावें उनको देखें कि वे जीवित रहें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अब चिड़ियाघर की तरफ आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय । मैं जानता हूं, अब समय आ गया है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर इन नगरों में आप चिड़ियाघर न रखें । अब उनको वहां से हटा दिया जावे । उनको जिलों के गांवों में भेज दिया जावे । शहर के लोग उनको देख कर थक गये हैं अब, बन्दर को वे छेड़ा करते हैं । बाहर गांवों में नये विद्यार्थी उनसे लाभ उठाएंगे । यहां अब वे जानवर रखने चाहिये जो बाहरी मुल्कों के हों । इन जानवरों को खाना भी अजीब ढंग का दिया जाता है । मैं कहता हूँ मैं जैनी हूँ, दया की दृष्टि से भी देखता हूं । अगर किसी का आप ठीक से पेट नहीं भर सकते तो उन्हें छुट्टी दे दें, आजाद कर दें । फिर फर्क क्या है ? जोधपुर में शेर के बच्चों को आप तीन सेर बकरे का मांस और बीकानेर में ६ सेर देते हैं । या तो बीकानेर में भूख उनको ज्यादा लगती है । आबहवा की दृष्टि से पानी अच्छा है, और उदयपुर में चार सेर । जयपुर में शेर के बच्चे को भैंसे का मांस चार सेर और एक सेर दूध देते हैं, तो यह अन्तर क्यों ? एक हिरन को चना कहीं एक सेर, उसी को दूसरी जगह आठ छटांक, कहीं बारह छटांक । क्या हिरनों में फर्क है ? चिड़ियाओं में फर्क हो सकता है पर इनमें क्या फर्क है ? आपके पास कोई इसका उत्तर नहीं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मनुष्य भी कम-ज्यादा खाते हैं, वे भी कम-ज्यादा खाते होंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : तो मैं अपील करूं नये मन्त्रीजी से, नये मन्त्रीजी आये हैं, वे नई बातें करेंगे, यह तो कवियों की कल्पना की चीज रह गई है। आप इन्हें पाली जिले में स्थानान्तरित कर दें।

श्री सभापति : पाली में कर दें ?

श्री मूलचन्द डागा : जी, कर दें। हम लोग उनको खाने को देंगे, पेड़े भी देंगे। गांवों के बच्चे उनको मारेंगे नहीं, सीखेंगे उनसे कुछ और ज्यादा अच्छी चीज़ खिलावेंगे। वे फील करेंगे सभी जानवर कि नये मन्त्रीजी के कार्य काल में वे भी नई जगह की हवा में सांस लेंगे, उनकी आब हवा बदलेगी।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : गांवों में तो भूखे मारेंगे आप उनको।

श्री मूलचन्द डागा : तो यह मैंने चिड़ियाघर की बात रखी। अब मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे जिले के जो साथी हैं जो खास पहाड़ी इलाके में रहते हैं देवारामजी साहब गिरासिया, उनकी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा बताया कि आप लोगों ने घरों के बाहर तक फोरेस्ट का डिमार्केशन कर दिया, घर से बाहर निकले कि फोरेस्ट की सीमा आ गई। कोई गाय या जानवर घर से निकली कि फोरेस्ट में गई और आप पकड़ कर ले गये, गिरफ्तार कर लिये। मेहरबानी करके उन गांव वालों को भी सांस लेने दीजिये, उन्हें भी जीने दीजिये। लेबर कॉलोनी पाली में सुबह शाम लोग पाखाना जाते हैं, फ्लश सिस्टम आपकी तरह वहां नहीं है। लोग चले जाते हैं अपने घरों से थोड़ा बाहर कि वन विभाग वाले कहने लगते हैं तुम कहां बैठे हो, वन सीमा में बैठे हो, तुम्हारा चालान होगा। तो यह सुबह–सुबह छेड़छाड़ वन विभाग वाले करते हैं। ऐसा भी होता है इसमें मुकदमें बाजी भी चलती है। लोग बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं। आप थोड़ा थोड़ा इन जगहों में अपने वनों को सीमित करिये। हम जहां घर बसा चुके हैं, बरसों से रह रहे हैं हमें जीने दीजिये वहां पर, आप मेहरबानी करके पीछे हटिये थोड़े। पर आप तो आज हमारे घर में आकर घुस गये हैं, बिना बुलाये आ गये हैं। आप वहां दो-चार पौधे लगावेंगे, क्या करेंगे। दो-चार पौधे लगा देने से ही कोई राजस्थान लहलहाने नहीं लग जावेगा। वहां के दो–चार पेड़ पौधे अगर नहीं भी लगे तो कोई राजस्थान सूखने नहीं लगेगा। बहुत जगह पड़ी है आपको पेड़ ही लगाने हैं तो, आप वहां राजस्थान को लहलहाइये। पर इस तरह से रोजमर्रा की जिन्दगी में लोगों से मत उलझिये। हम चाहते हैं कि आपका वन हराभरा हो, लहलहा उठे। आप वनों को लहलहाइये पर मनुष्यों को मत सुखाइये। तो इस तरह मैंने यह कट मोशन रखा है। आशा है आप, इन बातों पर गौर करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग के सम्बन्ध में मेरे ४ कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं संक्षेप में उनके विषय में कहूँगी।

वन की उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इसके विस्तार की ओर अधिक से अधिक प्रयत्न करने चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती। और राजस्थान के लिये तो इसका और भी महत्व है, विशेष महत्व है, क्योंकि रेगिस्तान

(डॉ० चन्द्रकला)

हमें भयत्रस्त करता हुआ बढ़ने की दिशा में है। इसलिये हमको इस ओर ध्यान देना चाहिये।

हम इसके लिये तरह तरह के प्रयत्न तो करते हैं और वन-महोत्सव नामक नया नारा जनता को दिया है। इसके विषय में अभी माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा। उनको नहीं दोहराते हुए मैं कुछ नई बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। हमारा वन महोत्सव कागज़ों में ज्यादा मनाया जाता है और धरती पर कम। ये आंकड़े भी जो सरकार देती है और बताती है, संदेहास्पद हैं। सचमुच अगर स्पॉट पर जाकर देखा जावे तो पेड़-पौधे कुछ भी उपलब्ध नहीं होंगे। ये सब बातें कागज़ों में चलती हैं।

श्री सभापति : ये पौधे तो कागजों में भी नहीं मिलेंगे। आंकड़े मिल सकेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : आप ठीक कहते हैं। कागज़ों में फिर भी मिल जावेंगे पर जगह पर वन महोत्सव नाम भी शायद नहीं मिलेगा। मनाता कौन है इसको ? ऊपर से आने वाले कुछ लोग, मन्त्री या सेक्रेटरी या डिपार्टमेन्ट के कुछ लोग या वे कर्मचारी जो मजबूरी से जाने के लिये बाध्य हैं और वह वन महोत्सव मनाने के बाद धूमधाम से पौधे तो लगा दिये पर इसके बाद उनको देख भाल करने की पर्वाह किसे कि वे सुरक्षित भी रहेंगे या नहीं।

मैं स्पष्टतः यह कहना चाहती हूं कि केवल इस तरह की नारेबाजी से वनों का विकास नहीं होने वाला है। सही अर्थों में अगर विकास करना है तो इसका एक रास्ता है। जनता को साथ लें। जनता कौन आती है आपके वन महोत्सवों में ? सांगानेर में आपने गये साल मनाया, कितने गांवों के लोग, आसपास के लोग आये आपके वन महोत्सव में ?

आपने अब विकेन्द्रीकरण किया है सत्ता का। पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदों का निर्माण किया है। आप यह काम उनको सौंप दीजिये। वे जितने पौधे लगावेंगे उनको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद आप एक पैसा भी इस वन महोत्सव में खर्च करना बन्द कर दें। यह व्यर्थ है, इस तरह करने से वह काफी फिजूल खर्ची बच जावेगी और इसके साथ ही वन का विकास भी सचमुच में हो सकेगा।

दूसरी बात यह है कि एक ओर तो हम वन महोत्सव मनाते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर हमारी सरकार ही बड़ी निर्दयता के साथ वनों का संहार करती है। मैं आपको सभापति महोदय, बताऊं कि जयपुर के पास ही नींदड़ की बनी है वह बड़ी निर्दयता के साथ काटी गई। वहां के लोग इसके लिए पुकारते रहे लेकिन सरकार के कानों में आवाज तक नहीं पहुंची और वह वन बर्बाद हो गया। तो एक ओर तो हम वन महोत्सव मना कर पेड़ लगाते हैं और दूसरी ओर हम ही उनको कटवाते हैं तो हमारी सरकार को यह विरोधी नीति छोड़नी पड़ेगी। वन महोत्सव के विषय में इतना ही कहना चाहती हूं और जो मेरे दो सुझाव हैं उनके लिए आशा है कि उनकी ओर सरकार ध्यान देगी।

इसके बाद मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव

(डॉ० चन्द्रकला)

चराई के योग्य छोटे खेतों के निर्माण पर बहस करने हेतु है। अभी अभी माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे जंगलों को सुरक्षित करने की ओर सरकार का प्रयत्न नहीं हो रहा है। यह हम जानते हैं कि राजस्व विभाग द्वारा गांव गांव में चराई की भूमि छोड़ी हुई है पर मैं आपको बताऊं कि केवल चराई की भूमि छोड़ देने से ही कोई चराई का सवाल हल नहीं होता है। इसके साथ ही यह भी हम सब जानते हैं कि गांव के जानवर ही हमारे जंगलों को बर्बाद करते हैं। भेड़, बकरियां वगैरह वनों में जाती हैं और वहां का विकास रोकती हैं। क्योंकि जानवरों को गांवों में यों ही खुला छोड़ दिया जाता है और वे वनों में घुस जाते हैं और चरने लगते हैं। जहां तक वनों को सुरक्षित रखने के लिए आपने तार खींच दिए वह तो ठीक है, लेकिन केवल तार खींच देना ही काफी नहीं होता है। उसके लिए और भी दूसरे तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे। एक ओर तो हम तार खींच कर जंगलों को सुरक्षित कर लें और दूसरी ओर जो गांवों में चराई की भूमि छोड़ी हुई है उसके विकास की ओर ध्यान न दें इससे हम अपने जंगलों का विकास नहीं कर सकते। इसके लिए मेरा सुझाव है कि चराई की भूमि तीन-चार भागों में बांट दी जाये और जब एक भाग को चराई के काम में लाया जाये तो जो बाकी के भाग हैं उनका विकास किया जाये। तो इस तरह से अगर हम छोटे छोटे खेत चराई के बना देंगे, खेत क्या क्षेत्र बना देंगे तो एक में उनकी चराई होती रहेगी तो दूसरा खाली पड़ा रहेगा; उसमें हम वन का विकास करेंगे तो जानवर जो कि जंगलों में जाकर नुकसान करते हैं वह नहीं कर पायेंगे और साथ ही इससे थोड़ी सी जमीन से काम भी चल जायेगा। जब कि हमने अपने शासन को इतना विकेन्द्रित कर दिया है और अधिकार पंचायतों को दे दिये हैं तो हमारी सरकार यह चराई का प्रबंध वगैरह पंचायतों को सौंप दे और वह वहीं पर रहते हुए वनों का अच्छी तरह से विकास कर सकेंगी....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): चारागाह तो रेवेन्यू विभाग के हैं।

डॉ० चन्द्रकला : तो वह वन विभाग ले ले। नहीं तो गांव के लोग कहते हैं कि बकरी वगैरह ऐसे जानवर हैं जो कि पत्थर के अलावा सब चीजें खा जाती हैं और हमारी सब चीजें खराब कर देती हैं। उनको खाने के लिए चाहिए, यह मैं मानती हूं लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाये तो यह काम ठीक हो सकता है। जब जंगलों की भूमि को डीमार्केट कर देते हैं तो उनको खाने को नहीं मिलता तो लोग शिकायत करते हैं। खाली भूमि छोड़ने से तो चराई की समस्या हल नहीं हो जाती है। तो इससे जो हमारे जंगल का नुकसान होता है वह बचेगा। अत: मैं यह सुझाव देती हूं कि अगर वन विभाग इस तरह से नहीं करता है तो राजस्व विभाग को इस प्रकार के सुझाव दे सकता है। उसमें खर्चा तो विशेष लगेगा नहीं और पंचायत समितियां इस काम को अच्छी तरह से भी कर सकती हैं।

मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव खराब हुए वनों का पुनरुद्धार और वनों के विस्तार पर विचार करने हेतु है। अभी मैंने सरकार की विरोधी कार्यवाही के संबंध में बताया कि

(डॉ० चन्द्रकला)

एक ओर तो सरकार वन महोत्सव करती है और दूसरी ओर वनों को कटवाते हैं। जो हमारे पहले के वन हैं वे हमारे देखते देखते बर्बाद हो जाते हैं तो उसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं होता है। हम जानते हैं एक मकान गिर जाये उसका अफसोस नहीं होता है उसको तो चुन कर फिर से बना लेंगे लेकिन एक पेड़ गिर जाये तो उसके लिए बहुत दुःख होता है क्योंकि वह एक बार गिर जाये तो फिर नहीं उठ सकता। हम लोग देखते हैं कि जंगलों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है सिवाय इसके कि एक तार की लाइन खींच दी और उसके बाद अपना कर्त्तव्य पूरा हुआ समझ लेते हैं। तार खींचने का किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया और उसने अपनी कमाई कर ली और आपने समझ लिया कि हमारा काम पूरा हो गया।

अब मेरा चौथा कटौती प्रस्ताव ग्रामों में वनों के सृजन पर बहस करने हेतु है। मेरा यह खयाल है कि हमारी सरकार यह ध्यान नहीं देती है कि वास्तव में वनों का विकास कहां करे। अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बतलाया कि धौलपुर के जिले में जो चम्बल की डांग है वहां पर वन लगाने की जरूरत है, और भी बताया कि ऐसी जमीनों को वन लगाने के काम में लेना चाहिए। तो सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि सरकार को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वन कहां पर लगायें। नदियों के कछार, नालों के किनारे हैं जहां खेती नहीं हो सकती है और जहां पानी की भी सुविधा होती है वहां वन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि शहरों में वन नहीं हैं। लेकिन सभापति महोदय, सदन को शायद आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार ने नगरपालिका की सीमा के अन्दर भी वन महोत्सव करके वन लगा दिये हैं। ऐसे दो क्षेत्र तो हमारे शहर के पास ही हैं और उनमें भी अरडू के पेड़ लगाये हैं और इन अरडू के पेड़ों को दो रुपये साल का ठेका दिया जाता है! ठीक है, इससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है पर आपको कुछ लगाना ही था तो रामनिवास बाग था। मैं, सभापति महोदय, आपको बताऊं कि ऊटी में बहुत ही सुन्दर बाग है जहां इलायची, लौंग और दुनिया की सारी चीजें लगी हुई हैं। यदि इस तरह का बाग लगा देते तो इससे सरकार को आमदनी तो होती ही पर देखने वाले भी उसे देख सकते थे। गांधीनगर का वन महोत्सव का क्षेत्र है वहां ऐसी चीजें लगाई जातीं तो लोगों को नई नई चीज़ें देखने को मिलतीं और उसका कुछ उपयोग भी था। लेकिन अरडू के पेड़ों को वन महोत्सव में लगा कर शहर के बीच में वन महोत्सव करना कहां तक उचित है? दूसरा वन क्षेत्र हमारा लेबर कॉलोनी के पास है। वह ऐसा कर रखा है जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जो वनों का उपयोग दूसरी तरह से करते हैं, शहर में फ्लश का उपयोग करते हैं, वहां पर वनों को आपको पनपाने की क्या आवश्यकता हुई? मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को देखना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जहां वन लगाये जायें, ऐसी जमीन का सर्वेक्षण कराया जाये और फिर वन लगाये जायें चाहे जहां वन लगाने की नीति ठीक नहीं है। इसके अलावा शहर में वन और

(डॉ० चन्द्रकला)

तरह के होंगे और गांवों में वन और तरह के होंगे। गांव के लोगों को लकड़ी चाहिए, घास चाहिए, पत्तियां चाहिए पर शहर के लोगों को दूसरी दूसरी चीजें चाहिए। राजधानी में सारी दुनिया आती है, टूरिस्ट्स आते हैं तो इस तरह से वनों का विकास करना चाहिए। सरकार इसकी ओर ध्यान देकर चलेगी तो ठीक रहेगा नहीं तो कहीं भी जाकर एक क्षेत्र ले लिया और उसको चारों तरफ से घेर लिया, कुछ तार लगा दिए तो इससे वनों का विकास नहीं होता है। मेरे ख्याल से हमारे वन विभाग की आमदनी राजस्व विभाग के बाद दूसरे नम्बर की है। पर पता नहीं यह कैसे घाटे में चल रहा है? उसका कारण यही है कि हम योजना-बद्ध तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको बहुत सोच-विचार कर इस तरह से काम करना पड़ेगा और इसके लिए मैं बार बार कह चुकी हूं कि ये सब कार्य जन सहयोग से ही हो सकते हैं। आपको जनता के सहयोग को अपने साथ लेना होगा नहीं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते।

श्री देवाराम गिरासिया (बाली सु०) : (क्षेत्रीय भाषा में दिये गये भाषण का निम्न प्रकार हिन्दी भावार्थ)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बाली क्षेत्र में जो कि गरासिया क्षेत्र है वहां पर जंगलों का पूरा दुःख है। वहां पर बाग, भीमाना, कोयला, पीपला, कुन्डाल, बेरा में जगह जगह पर एरिया बांध दिया गया है कि उसके अन्दर हमारे मवेशी नहीं जा सकते हैं। हजारों पीढ़ियों से एरिया बन्धा हुआ नहीं था। वहां पर हमारे मवेशी चले जाते हैं तो जंगल वाले बहुत दुख देते हैं। इसके बारे में अभी हमने एक सम्मेलन किया था और श्री भीखाभाई और श्री सम्पतराम को बुलाया था किन्तु १२ से ४ बजे तक इन्तजार करते रहे लेकिन वे नहीं आये। लोग वहां पर रिपोर्ट ले लेकर आये थे और उनके नहीं आने से उनको निराश होकर लौटना पड़ा। वहां पर श्री मथुरादास माथुर ने भाषण दिया कि अमेरिका में यह हो रहा है, वह हो रहा है। हमने और गड़ासिया लोगों ने कहा कि हमें बिजली भी नहीं चाहिए लेकिन हमारा यह जंगल का दुःख मिटा दें। वहां पर रेन्जर लोगों को तंग करता है और एक मामूली सी लकड़ी काटने पर किसी से ४० रु., किसी से ५०) रु० और किसी से १००) रु० वसूल करता है और अपनी जेब में रखता है और बिचोड़ी की रसीद नहीं दी जाती है। सरकार की जेब में एक भी पैसा नहीं जाता है और रेन्जर सब अपनी जेब में रखता है। सरकार कहती है कि अरठ लगाओ लेकिन अरठ क्या लगावें लकड़ी जंगल से काटने नहीं देते हैं। इसलिए सरकार इसके लिए ठीक प्रबन्ध करे।

श्री रामचन्द्र (डग–सु.) : सभापति महोदय, मांग संख्या ४ पर मैंने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनके द्वारा मैं यह प्रकट कर देना चाहता हूं कि जंगल विभाग ने राजस्थान में जंगलों की उन्नति करने के लिए जो कदम उठाये हैं वे कहां तक उसमें अग्रसर हुए हैं और वास्तव में कहां तक राजस्थान सरकार जंगलों के विकास करने में सहयोग दे रही है। सभापति महोदय, मैं जंगलों को उतनी ही इम्पोर्टेन्स देता हूं जितना कि खेती को बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि

(श्री रामचन्द्र)

राजस्थान राज्य में जंगलों की ज्यादा कद्र करनी चाहिए बनिस्बत खेती के, क्योंकि राजस्थान भोगौलिक दृष्टि से कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि वहां पर जंगलों के लिए यदि हम क्वान्टिटी की तरफ देखें कि जितनी जंगलों के लायक भूमि है इसको बढ़ाया जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि जंगल विभाग सरासर गलती कर रहा है। राजस्थान में जंगल जितने कि राज्य में होने चाहिए उसके मुकाबले में केवल १।३ हैं। क्योंकि यह माना गया है कि राज्य में जितनी भूमि है कम से कम उसका ३०,३३ प्रतिशत जंगल की वहां पर आवश्यकता है। राजस्थान में केवल १०, ११ प्रति शत जंगल की जमीन है। जंगल विभाग इस ओर प्रयत्न कर रहा है और किये हैं कि जहां तक हो जंगल में राजस्थान की अधिक से अधिक भूमि ली जाय। तो सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि जंगल विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वह बराबर इस प्रयत्न में असफल होगा क्योंकि राजस्थान में जितनी भूमि जंगलों में हो सकती है उतने जंगल हैं। यदि और भूमि को जंगल में रखना चाहते हैं, उनका प्रयास बिल्कुल असफल होगा, क्योंकि राजस्थान का १।३ भाग निरन्तर जंगल है और यह माने हुए जंगल हैं। अफोरेस्टेशन के लिए सरकार ने करोड़ों रुपयों का बजट बनाया है लेकिन यह जो जंगल राजस्थान सरकार लगाना चाहती है वह जंगल के पॉइन्ट ऑफ व्यू से शंकास्पद है। लेकिन जंगल के विस्तार की राजस्थान को, किस मतलब को पूरा करने के लिए आवश्यकता है वह मन्शा राजस्थान सरकार की पूरी नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, जंगलों के जो फायदे हैं, हम सब जानते हैं। जंगल जो लगाये जाते हैं उनके वास्ते इन्डस्ट्रियल और कॉमर्शियल पॉइन्ट ऑफ व्यू से हमेशा देखना चाहिए। हमारे पास ११ प्रतिशत भूमि है जो जंगलों की है। इस ११ प्रतिशत भूमि में भी मैं तो यह कहूंगा कि कुछ प्रतिशत को जंगल विभाग ने जंगल मान रखा है, वह भूमि जंगल की नहीं हो सकती है। यदि उस भूमि को जंगल मान कर चलते रहेंगे तो मैं यह कहूंगा कि जंगल उगाना कभी सफल नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी जंगल की भूमि है उसी पर जंगल की क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए न कि क्वान्टिटी को। हमें जंगलों का विस्तार इसलिए जरूरी है कि जिससे राजस्थान सरकार अपने उद्योगों का विकास करे। उद्योगों का विकास करने के लिए हम करोड़ों रुपये लगा रहे हैं। उनको चाहिए कि हमारे यहां पर जो जंगल उगाये जायं तो जंगलों से संबंध रखने वाले जितने उद्योग हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले। हमारी इन्डस्ट्रियल और कॉमर्शियल पॉइन्ट ऑफ व्यू से जंगल उगाने की मंशा होनी चाहिए। केवल जलाने की लकड़ी के वास्ते जंगल का ध्यान रखते रहेंगे तो अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जायेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि जंगल विभाग को अपनी नीति में परिवर्त्तन करना चाहिए और जहां तक हो सके अपना जितना जंगल का एरिया है उसमें अधिक से अधिक इस प्रकार का प्लान्टेशन करना चाहिए जो कॉमर्शियल और इन्डस्ट्रियल पॉइन्ट ऑफ व्यू से लाभकारी हों और बहुत के ऐसे उद्योग धन्धे हैं जो उन पर चल सकते हैं उनके डेवलपमेंट का प्रयत्न करना चाहिए। यदि

(श्री रामचन्द्र)

हमने यही सोचा कि जलाने के लिए अधिक से अधिक लकड़ी मिले और घास के बड़े बड़े बीड़ मिल जायं तो हमारी पॉलिसी ठीक नहीं होगी।

यहां पर मैं यह कहूंगा कि पिछले १० वर्ष में जो जंगल राजा—महाराजाओं से मिले उनमें अब तक जंगल विभाग ने प्रगति की है तो प्रगति केवल यही की है कि अधिक से अधिक भाग को नष्ट किया है और कम से कम भाग में नये जंगल उगाने का प्रयत्न किया है। मैं यह कहूंगा कि एक पेड़ को काटते हैं तो दो पेड़ नये लगाने चाहिए ताकि आपकी जो जंगल की भूमि है वह बराबर हरी-भरी रहे। लेकिन हम देखते हैं कि जंगल कट गये हैं सैकड़ों मील की तादाद में और उतने एकड़ को तादाद में भी नहीं उगाये गये हैं। इसलिए प्लान्टेशन की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

वास्तव में राजस्थान भर में जंगलों की क्या हालत है, वह उन क्षेत्रों से आये हुए माननीय सदस्य सब जानते हैं। मैं अपने झालावाड़ जिले के लिए कह सकता हूं कि झालावाड़ जिला जंगल के लिहाज़ से एक प्रमुख स्थान रखता है। आज से १० वर्ष पहले वहां पर जंगल की जो दशा थी आज वहां जाकर देखें तो पता लगेगा कि राजस्थान सरकार ने अपनी गलत पॉलिसी के द्वारा जंगलों को कितना नष्ट—भ्रष्ट किया है। उसके बजाय जो नये जंगल उगाने का प्रयत्न किया है वह बिल्कुल नाकाफी है। इसलिए सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि जंगल विभाग को प्लान्टेशन की तरफ और खास तौर से आवश्यक प्लान्टेशन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए; यह नहीं कि जंगल के विस्तार में इस प्रकार के जंगल उगाये जायं जो कि किसानों को सिर्फ जलाने की लकड़ी दे सकें।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस ओर जंगल विभाग को ध्यान देना चाहिए। मेरा यह नया प्रश्न नहीं है, क्योंकि जंगल विभाग इस ओर बहुत जागरूक हो चुका है। अभी कुछ महीने पहले एक कमेटी मुकर्रर की गई थी। उसका आशय यह था कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में घूम-घूम कर यह पता लगाये कि जंगल के बारे में लोगों की क्या शिकायतें हैं और उन शिकायतों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो मैं यह कहूंगा कि कोटा डिविज़न और झालावाड़ जिले की तरफ से तो मैं तो यही कहूंगा, बल्कि कोटा के समस्त डिविज़न की ओर से यही एक मांग है और वह यह है कि हमारे यहां पर बहुत से क्षेत्र ऐसे पड़े हुए हैं कि जो राजा महाराजाओं के जमाने से बीड़ के नाम से हैं, ये कोई बड़े बड़े क्षेत्र नहीं हैं, डिटेच्ड पोर्शन्स हैं, कोई जंगल के भाग नहीं हैं। यदि कोई भाग जंगल में हो और पास ही जंगल हो तो मान सकते हैं, इस घास के भाग में जिसको बीड कहते हैं, ये टुकड़े कहीं ५० एकड़ के हैं, कहीं २५ एकड़ हैं, कहीं ६० एकड़ के हैं। ऐसा है कि राजा—महाराजाओं के जमाने में घास उगाने के लिये रखे जाते थे क्योंकि उस समय बीड़ रखना शोभा थी। उनके यहां सैकड़ों घोड़े, ऊंट, हाथी गायें और भैंसे होती थीं। उनके लिये घास की आवश्यकता रहती थी। जंगल के पास भी कई स्थान होते थे और कई जगह जंगल के भाग को लेकर राजा—महाराजा बीड़ रखते

(श्री रामचन्द्र)

थे इसको वे अपना गौरव समझते थे। इसलिये उस जमाने में इस प्रकार की प्रथा थी। प्रत्येक जागीरदार अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बीड के नाम से रख लिया करते थे क्योंकि उनके स्वयं के घोड़े, भैंसे, गायें आदि हुआ करती थीं। जब राजस्थान बना तब बीड रख लिये गये, चाहे वे १० एकड़ में हों चाहे २०-२५ एकड में हों। जागीरदारों ने कहा कि यह जंगल का क्षेत्र है, जबर्दस्ती जागीर विभाग ने अपना कब्जा किया है। पिछली बार कमेटी ने दौरा किया था और इसके बारे में फैसला किया गया था। मुझे यह बताया गया है कि यह फैसला हुआ है कि जहां १०० एकड से कम टुकड़ा है वह डिटेन्ड पोर्शन काश्तकारों को दे दिया जाय, जंगल न रखा जाय। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि महीनों हो गये फैसला हुए, डी. एफ. ओ. से लगा कर कलेक्टर तक को मैंने कई बार कहा कि मुझे ऐसा नकशा दिया जाय जिसमें जंगल न रखकर बीड माना है और वहां पर भूमिहीनों को बसा कर उस जमीन को काश्त के काम में लाना है। लेकिन मुझे निराशा ही मिली है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जंगल विभाग की तरफ से जल्दी से जल्दी आदेश दिया जाय कि इस प्रकार का जो फैसला हुआ है उसके अनुसार यदि कोई झगड़े बात की हो तो जल्दी उसका फैसला करके जंगल की लिस्ट प्रकाशित कर दी जाय ताकि रेवेन्यू विभाग से पट्टा लेकर किसान उसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। ये ही बातें प्रकट करने के लिये मैंने सदन के सामने दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव है जलाने की लकड़ी के अभाव को दूर करने हेतु, ठेकेदारों द्वारा जलाने की लकड़ी को कोयला बनाने तथा बाहर भेजने से रोकने हेतु वाद विवाद के लिये। आज बड़े बड़े शहरों में और कस्बों में सब ओर यह देखने को मिलता है कि जलाने की लकड़ी या तो मुहैया होती नहीं है और यदि मिलती है तो गट्ठे लानेवालों के द्वारा होती है जो चोरी–छिपे हरा हरा जंगल काट कर लाते हैं और वह लकड़ी बड़े मंहगे भाव से मिलती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि फोरेस्ट विभाग शहरों के लिये जंगल कटवादे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन ठेकेदारों को जंगल काटने का ठेका दिया जाता है वे कुछ दिन तक लकड़ी शहर में नहीं लाते हैं और जंगल में ही काट कर रखते हैं और थोड़े दिन बाद जब कांट्रेक्ट का समय निकल जाता है तो उस लकड़ी के कोयले बना कर बाहर भेजते हैं। शहरों में लकड़ी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती। मैं खाली शहरों की ही बात नहीं कहता बल्कि छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती। मुझे कोटा शहर का अनुभव है, जहां ढाई रुपये, तीन रुपये मण लकड़ी मिलती है। ठेकेदारों से भी ढाई तीन रुपये मण से कम में नहीं मिलती! जो लकड़ी पहले काफ़ी सस्ती मिलती थी और सभी स्थानों पर इसका समुचित प्रबन्ध था वहां आज लकड़ी मंहगी मिलती है और यदि मिलती भी है तो गट्ठरवालों से मिलती है। मैं चाहता हूं कि कम से कम राजस्थान में जितने शहर और कस्बे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है. यह भी मान लिया जाय कि ३ हज़ार की आबादीवाले कस्बों का निश्चित आंकड़ा तैयार किया जाय कि वहां पर कितनी खपत लकड़ी की होती है या कितना कंजम्पशन होता है, कितनी लकड़ी की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्त्ति करने के लिये यदि आप ठेकेदारी संस्था को नहीं रखना चाहते हैं तो सरकार की ओर से जगह जगह डिपोज़ खोल दिये जांय जहां निश्चित भाव पर लकड़ी मिलनी चाहिये । यह समस्या नहीं है कि लकड़ी का अभाव है लेकिन जो लकड़ी लाकर बेचते हैं वे ऊंचे भाव पर बेचते हैं । ये दोनों बातें हैं । जितनी खपत होगी उतना रिज़र्व जंगल रखा जाय और लकड़ी बेचने के लिये छोटे छोटे डिपोज़ खोले जायं, जहां निश्चित भाव पर लकड़ी बेची जाय तो लोगों को लकड़ी आसानी से मिल सकती है वर्ना ठेकेदारों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है । ठेकेदारी प्रथा के बारे में निर्माण विभाग पर आरोप थे वे ही आरोप इस वन विभाग पर भी लगाये जा सकते हैं । मैं उदाहरण देकर बता सकता हूँ, उनको जितना जंगल दिया गया उससे अधिक जंगल काटा गया । यही नहीं कि अधिक काटा गया बल्कि जिस प्रकार से जितनी ऊंचाई को छोड़ कर काटना चाहिये था उसके बावजूद भी काफी निचाई से काटा गया है ....

श्री सभापति : वन विभाग भी नीचे से कटाना चाहता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : कम से कम ६ इंच ऊपर से कटना चाहिये ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि लकड़ी कटती है वह कटती ही है लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या जनता के सामने मुंह बाये खड़ी है वह है जलाने की लकड़ी का अभाव । मेरा निश्चित मत है कि ठेकेदार उस लकड़ी को जलाकर, कोयला बना कर बाहर भेजते हैं । मेरी यह मांग है कि कोयला बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिये, इसे बंद करना चाहिये । यदि थोड़ी बहुत इजाजत देते हैं तो जो जनता के लिये फोरेस्ट रिज़र्व रखा जाता है जलाने की लकड़ी के लिये वहां पर कोयला बनाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये । इसके साथ साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल लकड़ी ही मिले, ऐसी बात नहीं है, कोयले से भी काम चल सकता है लेकिन वह कोयला भी बाहर जाता है ....

एक माननीय सदस्य : कोयले से भी खाना बन सकता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं भी कह रहा हूं कि कोयला भी खाना बनाने के काम में आता है इसलिये उसको बाहर भेजने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये, बाहर भेजने पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिये । राजस्थान का पृथक क्षेत्र बनाया जाय । एक डिविज़न से बाहर भी नहीं जाना चाहिये जब तक लोगों की डिमान्ड पूरी न हो जाय । दोनों समस्याएं हैं; एक तो यह कि इसके लिये रिज़र्व फोरेस्ट रखें और लकड़ी केवल जलाने के काम में आवे । जो कोयला बनाने की इजाजत दी भी जाती है वह न दी जाय और अगर कहीं दी जाय तो वह यहीं काम आवे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाय । छोटे छोटे डिपोज़ खोल कर निश्चित भाव पर लकड़ी बेची जानी चाहिये । इन तीन–चार बातों पर विचार किया गया तो जलाने की लकड़ी की सम-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

स्या का समाधान हो सकता है। कई जगहों पर तो ऐसी भी घटनाएं घटी हैं कि मुर्दों को जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिल सकी है और लाश को रखना पड़ता है। इस तरह की शिकायतें कई जगह से मिली हैं। जलाना एक पवित्र संस्कार है, हिन्दुओं में यह धार्मिक संस्कार है उसके लिये भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। हर बात को ध्यान में रखते हुए–शहरों में जनसंख्या के अनुपात से रिज़र्व फोरेस्ट रखें और लकड़ी बाहर न भेजी जाय और यदि कोयला बनाते हैं तो वह भी पहले वहीं पर काम में आवे।

मेरा दूसरा एक और कटौती प्रस्ताव है, वह है काश्तकारों को जिले के निकटतम वन से ही लकड़ी लाने की सुविधा प्राप्त कराने हेतु। अभी फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने यह हुकम निकाला है कि किसान लोग अपने पास के जंगल से लकड़ी काट कर ले जाते हैं चाहे वह दूसरी तहसील में ही हो, इसलिये वे केवल अपनी तहसील के जंगल से ही लकड़ी काट कर ला सकते हैं। यदि वह जंगल उनसे १५–२० मील की दूरी पर होता है तो भी उनको वहीं से लकड़ी काटनी पड़ती है और दूसरी तहसील यदि एक–दो मील को दूरी पर भी होती है तो भी वहां के जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते। इसलिये यह जो तहसील का प्रतिबन्ध है वह हटना चाहिये। बल्कि आप चाहें कि उसी तहसील से लकड़ी लें तो वह कर सकता है लेकिन आप यह चाहें कि वह दूसरी तहसील से लकड़ी लाये तो इससे काश्तकार को परेशानी होगी। इसलिए इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है इससे काश्तकार को तकलीफ होती है। मैं सुझाव दूंगा कि जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है उसको हटाया जाय और काश्तकार से कहा जाय कि वह पास के जंगल से लकड़ी लाने के लिए स्वतन्त्र है और उस जंगल के नाकेदार या रेंजर उसको सहूलियत दें।

अब प्रश्न यह है कि कौनसे विलेज के लिए कौनसा फोरेस्ट निकट पड़ेगा? एक तहसील में भी दो जगह हो सकती है। इस पर्टिक्युलर तहसील में एक जगह पास पड़ती है और दूसरी के लिए दूसरी जगह पास पड़ती है। इस तरह निश्चित् करके सहूलियत देने के लिए एक हिदायत निकालें, सर्वे करायें जंगल की ताकि काश्तकार काश्तकारी के काम के लिए व दूसरे कामों के लिए लकड़ी आसानी से ला सकें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अगर काश्तकार को लकड़ी चाहिए, अगर पास के जंगल से लकड़ी नहीं ला सकता तो दूसरी तहसील से लकड़ी लायेगा। अब अगर उस पर आप प्रतिबन्ध लगायेंगे कि वह अपनी तहसील से लाये तो काश्तकार चोरी करेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन अगर आप लगाते हैं तो चोरी करने की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि काश्तकार में यह गलत प्रवृत्ति न बढ़े और उसको आसानी से लकड़ी मिल जाये। इसके लिए आवश्यकता है कि रेस्ट्रिक्शन हटा कर सर्वे करायें और जिस हिस्से के लिए जो जंगल निकट पड़ता है वहां से लकड़ी लाने के लिए इजाजत दी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल ।

(अनुपस्थित)

राव श्री नारायणसिंह ।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा): सभापति महोदय, वन की मांग पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो वन पुनर्सीमन की साधारण एवं विशेष कर जिला अजमेर में जिसकी आवश्यकता है उसके लिए, दूसरा वनोपयोगी भूमि के सर्वेक्षण के विषय में है और तीसरा सोइल कन्ज़र्वेशन की हमारी पॉलिसी है उसके विषय में।

काफी अर्से पहले राज्य सरकार ने वन की कई समस्याओं पर विचार करने के लिए और वन पुनर्सीमन के लिए राजकीय स्तर पर एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने काफी डाटा इकट्ठा किया, काफी एवीडेन्स इकट्ठी की, कई एम. एल. एज़ से मिली और कई दूसरे जो पब्लिक वर्कर्स हैं उनसे बातचीत की। हम यह आशा करते थे कि उसकी सिफारिशें बहुत जल्दी हमारे सामने आयेंगी और उनके अनुसार री-डिमार्केशन, पुनर्सीमन का कार्य शुरू होगा और कई दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन आज तक उस कमेटी की सिफारिशें हमारे सामने नहीं आई हैं और वनों के प्रति जो अश्रद्धा, कुछ बन्दोबस्त के कारण से, कुछ सीमाओं की निकटता से पैदा हो रही थी वह बढ़ती जा रही है और बजाय इसके कि हमारी पॉलिसी एक पोपुलर पॉलिसी बने, उसके प्रति गांवों में अनेक शंकायें बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि अभी अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी दिलचस्प भाषा में कहा, काश्तकार सुबह सुबह घूमने बाहर निकलता है तो उसको सबसे पहले वन अधिकारी छेड़ता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है, कई स्थानों पर मैंने देखा है कि कई गांवों में जंगलों की सीमायें गावों के निकटतम आ पहुँची हैं, इस कारण ऐसी समस्या होती है कि काश्तकारों को थोड़ी।बहुत जरूरत पड़ने पर भी एकदम वन में जाना पड़ता है, उनके देवी-देवताओं के देवरे, कई ऐसी चीजें भी वन में चली गई हैं, इतनी निकटतम सीमाओं के आने से। दूसरी ओर कई जगहों पर ऐसी सीमायें बनी हैं कि वहां पर कैटल वैल्थ का ध्यान न रख कर वहां के चारागाहों पर भी असर पड़ा है। कई दिक्कतें गांवों में पेश हो गई हैं। अब तो यह इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रकार से इस चीज की कमी हो गई है ....

(घंटी)

ऊपर के लोगों में जागरूकता नहीं है उसी तरह से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो नीचे के स्तर के लोग हैं वे अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए भी कुछ ऐसी कार्यवाहियों में चले जाते हैं कि जिनका असर गांव वालों

(श्री नारायणसिंह)

पर बहुत भारी पड़ता है और जब तक वन की सीमाओं को रद्दोबदल नहीं किया जाता है वन की सीमायें नजदीक आ जाती हैं तो गांव वालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि वनों का पुनर्सीमन हो वनों का पुनर्सीमन हर जगह होना आवश्यक है। जिस वक्त अफोरेस्टेशन की पॉलिसी उठाई गई उस वक्त पूरी तरह से ख्याल नहीं किया गया कि वनोपयोगी भूमि कौनसी है और वन के उपयोग में न आने वाली भूमि कौनसी है, जैसा कि मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है : वनोपयोगी भूमि का पूरी तरह से सर्वेक्षण हमारी राज्य सरकार आज तक नहीं कर पाई हैं। वास्तव में ज्योफिज़िकल सर्वे है वह इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे हमें ध्यान हो जाय कि कौनसी भूमि वन के उपयोग में आने लायक है। आज कई जगहों पर एक लकीर के फकीर बन कर हम इस पॉलिसी के पीछे पड़ गये और इसके अनुसार कई जगह वन हटा देते हैं। कई जगह इस सिद्धान्त को काम में लाते हैं कि जहां ऊबड़-खाबड़ जमीन हैं वहां वन बना देना चाहिए। कई जगह हम दूसरी बात मानते हैं कि जहां वन बने हुए थे उस भूमि को कृषि योग्य जमीन बना कर कृषि के लिए भूमि उपलब्ध करते हैं। आज तक पूरी तरह यह ख्याल नहीं रहा कि जो वन में से भूमि निकाल के कृषि के लिए लेते हैं वह कृषि की पोटेन्शियलिटी से कितनी भरी हुई है और जो भूमि वन में ली जाती है उसमें वन की दृष्टि से कितना लाभ हो सकेगा। जिस मोटे सिद्धान्त को लेकर हम पहाड़ियों पर वन लगाने में लग जाते हैं तो यह देखा जाता है कि कहीं कहीं छोटे छोटे वनों के दायरे बने हैं, उन छोटे छोटे दायरों में जो धन लाभ पहुँचना चाहिए वह पूरी तरह नहीं उठा पा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि हम फिज़िकल सर्वे इस प्रकार की कर पायें, जिससे यह पूरा ध्यान हो सके कि वनोपयोगी भूमि कौनसी है। मैं वनों के पुनर्सीमन की बात अर्ज कर रहा था। उसके बीच में सर्वे की बात आई। पुनर्सीमन के विषय में मैं यह अर्ज करूंगा कि पुनर्सीमन के विषय में जो सिफारिशें उस कमेटी की होंगी उनकी तो मुझे अवगति नहीं है, उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के स्तर पर, हर डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर ऐसी कमेटियां बननी चाहिए, जो वनोपयोगी भूमि का और गांव वालों की दिक्कतों का पूरा विश्लेषण करके उसके पुनर्सीमन की नीति निर्धारित करें यदि हमें वन पॉलिसी पोपुलर बनानी है। जब जंगल बहुत थे दुनियां में, उस समय जंगलों की उपयोगिता का लोगों को ख्याल नहीं था लेकिन जब आज जंगलों की उपयोगिता का ख्याल आया है, बढ़ती हुई आबादी के कारण, अन्य कई कारणों से तो बहुत से जंगल गायब होते चले जा रहे हैं। उस जंगल की उपयोगिता का, भूमि के संरक्षण का यह ख्याल असल में विदेशों से आया। अमेरिका में आकोलोहोम के स्थान पर बहुत तेजी से खेती होने लगी क्योंकि नई आबादी हुई, इसलिए भूमि को वन में से निकाल कर जो खेती की गई उससे ऐसी पैदावार हुई कि एक बार वहां के कृषक मदोन्मत्त हो गये और वन में से पूरी तरह से जमीन लेने लगे और वहां की जो लोकल स्थितियां थीं उनका ध्यान नहीं रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि वहां की सारी जमीन जब बायोटिक पोटेन्शियल से महरूम हो गई और रेगिस्तान की

Page No.110

(राव श्री नारायणसिंह)

स्थिति बन गई, वहां डस्ट वाल बनने की स्थिति की बात हो गई तो इस स्थिति से कुछ ध्यान आया कि वनों का भी कुछ स्थान है, वनों में पशुओं का भी स्थान है और उसके साथ साथ जो भूमि क्षरण होता है उसको रोकने की भी अत्यन्त आवश्यकता है........

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : टाइम हो गया है।

(घंटी)

श्री सभापति : How much time you will take because you see you have already spoken for 10 minutes.

राव श्री नारायणसिंह : मैं ५-१० मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : You have already spoken for 10 minutes.

राव श्री नारायणसिंह : I have spoken only for about 5 minutes. I have not been able to deal with all...

श्री होतीलाल (भरतपुर) : मैं निवेदन करूं कि आज बहुत इधर—उधर हुआ है....

श्री सभापति : Let the Hon'ble Member consolidate his speech within two minutes.

राव श्री नारायणसिंह : I would like to have time tomorrow.

श्री होतीलाल : We can continue to-morrow.

श्री सभापति : House is adjourned till tomorrow 11 a. m.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्होत्तर पांच बजे, अगले दिन दिनांक २५ मार्च, १९६० के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, २४ मार्च, १९६०)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान दुकान व वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अंतर्गत पकड़े गये मामले।

झालावाड़ जिले में ठेकेदारों द्वारा सरकारी रेट से अधिक में शराब की बिक्री।

चुरू के एस. डी. एम. के विरुद्ध हुई शिकायत में कार्यवाही।

अलवर गेट पुलिस चौकी के सिपाहियों द्वारा लूणकरणसर का हट्टी के श्री छैंगा की पिटाई।

तहसील सराड़ा के केफड़ टैंक से पीवल भूमि पर सैटरमेंट लेवी।

भाखरा केनाल एरिया में भूमि-हीनों को भूमि का अलॉटमेन्ट।

जोधपुर तहसील के ग्रामों के अधिक आबादी वाले हिस्से को जोधपुर क्षेत्र में मिलाये जाने की योजना।

पार्ट टाइम और होल टाइम पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स।

जयपुर शहर के अस्पतालों हेतु विजीटर्स कमेटी।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना।

वैक्सिनेटर्स को ड्रेस।

नगरपालिका फतेहपुर द्वारा भूमि का विक्रय।

पुलिस इन्सपेक्टर श्री कन्हैयालाल का शव।

सहकारी कृषि संस्थाएं।

आबू रोड में यातायात मोटर गाड़ियों की कमी।

ग्राम नगलाची धौराय (बाडी) के निकट पार्वती नदी में प्राप्त हुई लाश।

जालुपुरा (जयपुर) के निवासियों को बसाने की स्थायी व्यवस्था।

आयुर्वेद की परीक्षाओं हेतु आयोजित परीक्षा बोर्ड।

जयपुर से वाटिका होती हुई सुनारा तक मोटर रूट।

धौलपुर उप-जिले में कृषि विभाग के बाग।

Page No.112

स्तम्भ

खतरनाक कैदियों के ही हथकड़ी डालना।

मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५० व ५०-क-नागरिक निर्माण कार्य आदि ४७६४

(पूर्व क्रम से)

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा २३ कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत किये गये। श्री हरिश्चन्द्र, निर्माण मंत्री, के उत्तर के पश्चात्, इस मांग पर प्रस्तुत कुल ५४ कटौती प्रस्तावों में से ३३ प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन। ४८५६

उपरोक्त मांग श्री सम्पतराम, मंत्री, वन विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर आज ३७ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

स्तम्भ

जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ के अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचनों के संबंध में प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने जनलेखा समिति, १९६०—६१ के १० सदस्यों एवं प्राक्कलन समिति, १९६०—६१ के लिये १५ सदस्यों को निर्वाचित किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो सदन द्वारा स्वीकार किये गये।

दिनांक २५ मार्च, १९६० की कार्य-सूची

(१) मांग संख्या ४—वन (पूर्व क्रम से)

(२) मांग संख्या २१—उद्योग और प्रदाय।

(३) शेष मांगों पर मुख-बन्ध।

(४) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६० (पुरः स्थापन)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING LIQUOR SHOP, AMOUNT OF CONTRACT, QUANTITY OF LIQUOR SOLD AND PROFIT DERIVED BY THE CONTRACTORSIN DISTRICT JHALAWAR DURING 1955 56 TO 1957-58.

S. No.	Circle	Name of theshop	Name of contactor 55-56, 56-57, 57-58		Contract-Money 55-56-56-57-57-58		Sale 55-56 Jagmo-han	Kesar Kasturi.	Rose	oran-eg	Plain		Sale 56-57 Jagmohan	Kesar Kasturi	Rose	Orange	Plain	Sale 57-58 Jagmohan	Kesar Kasturi	Rose	Orange	Plain	Profit to contractors 55-56	56-57	57-58	REMARKS.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Jhalawar	Mochi pada Jhala-war	Thawar-Dass Prabhu M	Narain Dass Jawar Mal	Janiram Peshu Mal	5600	5561	6101	2.5	22.5	20.0	19	784	2.5	49.5	32.5	322	552	1.5	76	20.5	483	529	1649/8/-	2093/--	2268/-	
2.	"	Mangal Pura Jhalawar	"	Thawardas Prabhumal	Thawar Dass Prabhumal	6000	6151	8325	3.0	38.5	23.0	18	816	5.0	50.5	55.5	411.5	812	9.5	105.5	86.0	814.5	841	1876/12/-	2897/6/-	4136/14/-	
3.	"	Khal	"	Abdul Shkur Nagzr Khan	Govindram Jassumal	3312	4151	5551	—	280	18.5	5	636	1.0	7.0	14.5	178.5	372	-	26.5	14.5	404.0	298	1413/8/-	1210/14/-	1634/-	
4.	"	Mochi Pada	Wadhumal Wasumal	Wadhumal Washumal	wadhu-mal	3500	4031	5101	3	18.5	5.5	11	560	1.5	21.0	5.0	37.5	496	2.0	39.0	22.0	309.0	342	1235/4/-	1168/6/-	1445/12/-	

परिशिष्ट

STATEMENT OF RATE FOR RETAIL SALE OF LIQUOR 1955-56, 1956-57, 1957-58

S. NO	Year	Jagmohan 10 0. P.	Kesar Kasturi 5 U. P.	Rose 20 U. P.	Orange 25 U. P.	Dhulars 25 U. P.	Plain 35 U. P.	Remark
1.	1955-56	10/-	6/-	$4\frac{1}{2}$/-	4/-	3/6/-	3-	
2.	1956-57	10/-	6/-	$4\frac{1}{2}$/-	4/-	3/6/-	3-	
3.	1957-58	$10\frac{1}{2}$/-	$6\frac{1}{2}$/-	$4\frac{3}{4}$/-	$4\frac{1}{4}$/-	$4\frac{1}{4}$/-	$3\frac{1}{4}$/-	

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३४ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में निम्नलिखित जगहों पर (पार्ट टाइम) पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स काम करते हैं।

अजमेर डिविजन

(१) पी. पी. भरतपुर। जयपुर शहर। जयपुर जिला। सीकर। झुंझनूं। अलवर। टोंक।

(२) पी. पी. अजमेर। गवर्नमेन्ट प्लीडर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अजमेर।

(३) एडीशनल पी. पी. जयपुर शहर। जयपुर जिला। किशनगढ़। गंगापुर। धौलपुर।

(४) एसिस्टेन्ट पी. पी. अजमेर। अलवर

जोधपुर डिविजन

(१) पी. पी. बालोतरा। सिरोही।

(२) एडीशनल पी. पी. जालोर। जोधपुर

(३) एसिस्टेन्ट पी. पी., नागोर।

कोटा डिविजन

(१) पी. पी. कोटा। बूंदी। झालावाड़.

(२) एडीशनल पी. पी. बारां।

उदयपुर डिविजन

(१) पी. पी. उदयपुर। बांसवाड़ा। भीलवाड़ा

(२) एडीशनल पी. पी., उदयपुर।

(३) एसिस्टेन्ट पी. पी., डूंगरपुर।

बीकानेर डिविजन

(१) पी. पी., बीकानेर। गंगानगर।

(२) एडीशनल पी. पी., गंगानगर।

(३) एसिस्टेन्ट पी. पी., गंगानगर।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ का उत्तर देखिए)

Statement showing the name of gardens in Dholpur Sub-Division along with their area, annual expenditure and income thereon.

S. NO.	Name of the Garden	Area of the garden Bigha	Biswa	Expenditure	Income.
1.	Rajdharju Bagh, Dholpur.	28	12	The probable expenditure during the year 1959-60 is Rs. 17,050/— There is no separate budget for each garden, hence no separate expenditure is kept so far from the year 1959-60, the account for Dholpur sub-Division gardens is separate and which Amt. to 17,050/-	Income of the Gardens during the year 1959-60 is Rs. 6,745/—
2.	Bhilagwa Garden, Dholpur.	100	-		
3.	Maharaj Bagh Bari.	44	-		
4.	Ranbagh Bari.	77	-		

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक २४ मार्च, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४७३५–३६	शीर्ष	–२४ माच	–२४ मार्च
व४७४१–४२			
४७५७	शीर्ष	(श्र	(श्री भीखाभाई)
४७५७	४–५	ल एम. ए. को इस पद पर अस्थायी रुप स न किया गया है	लाल एम. ए. को इस पद पर अस्थायी रूप से प्रमोशन दिया गया है
४७६६	२१	क जो [illegible] है	के जो काम हैं
४७७२	१	तहसील [illegible]नेर	तहसील सांगानेर
४७८१	६	वा । गोगुन्दा	वाया गोगुन्दा
४७८४	८	दिक्कते	दिक्कतों
४७८६	शीर्ष	नागरिक निमण कार्य	नागरिक निर्माण कार्य
४७९६	१५	mamtain	maintain
४८१०	६	नहा देते	नहीं देते
४८२०	अन्तिम से ४	श्री उपाध्यत्त	श्री उपाध्यक्ष
४८२२	२६	चित्तोड़	चित्तौड़
४८२३	२०	सावजनिक	सार्वजनिक
४८३०	६	एकेजुशन	एज्युकेशन
४८३२	२,६ व ११	whi:h istrict ?	which district ?
४८३३	अन्तिम से ६	epartment	department
४८३८	२१	लिये में	लिए मैं
४८४५	अन्तिम से ६	epartment	department
४८५०	२०	(श्री माधोपु)	(श्री माधोपुर)
४८५४	अन्तिम से ३	(सहूम्बा)	(सलूम्बर)
४८५६	६	Motiou	Motion
४८६०	७	Tha the Dmond	That the Demand
४८६१	शीर्ष	मांगों संख्या	मांग संख्या
४८६७	१४	वनौषधियों	वनौषधियां
४८७४	१६	जगल में	जंगल में
४८८६	अन्तिम से ४	एक है; तो	एक तो
४८८८	शीर्ष	०१–वन	१०–वन
४८९२	३–५	जनलेखा....प्रस्ताव	जन–लेखा .. प्रस्ताव
४८९४	८	हमारी से किंन्ड	हमारी सेकिन्ड
४८९९	२	पानखा	पानरवा

(२)

१	२	३	४
४८६६	७–८	एकड़ इन्ट्र	एकड़ इनूट्र
४६०५	शीर्ष	मांगों संख्या	मांग संख्या
४६०६	शीर्ष	मांग संरुपा	,, ,,
४६११	शीर्ष	मांग संख्य	,, ,,
४६१७	शीर्ष	मांग संख्य	,, ,,
४६२०	२१	होगा नहीं, तो	होगा, नहीं तो
४६२४	अन्तिम से ३	बहुत के ऐसे	बहत से ऐसे
४६२८	६	को गिलता	[illegible] जता
४६२६–३०	शीर्ष	२४ मार्च , ६६	[illegible]० मार्च, ६०
४६३८	शीर्ष	१०–नव	१०–वन
४६४२	६	सिद्धन्त	[illegible]
,,	अन्तिम से ३	शेष मगों	[illegible]गों